विषय-सूची

सत्र-01 (भाग-3) बुधवार, 27 मई, 2015/ज्येष्ठ 06, 1937(शक) अंक-06

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणाएं	3–6
3.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	6–26
4.	गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य (बलात्कार पीड़िता का अस्पताल द्वारा इलाज न किए जाने के संबंध में)	26–28
5.	नियम 89 के अन्तर्गत संकल्प (गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 21 मई, 2015 को जारी अधिसूचना सं. 1080 से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सोमनाथ भारती द्वारा प्रस्तुत संकल्प)	28–160

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-01 (भाग-3), दिल्ली विधान सभा के पहले सत्र का दूसरा दिन अंक-06

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।
अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुएः-

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री वेद प्रकाश
8. श्री सुखबीर सिंह
9. श्री रितूराज गोविन्द
10. श्री रघुविन्द्र शौकीन
11. सुश्री राखी बिड़ला
12. श्री विजेन्द्र गुप्ता
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा
17. श्री इमरान हुसैन
18. श्री विशेष रवि
19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिवचरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
23. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)

24. श्री राजेश ऋषि
25. श्री महेन्द्र यादव
26. श्री नरेश बाल्यान
27. श्री आदर्श शास्त्री
28. श्री गुलाब सिंह
29. श्री कैलाश गहलोत
30. कॅ. देवेन्द्र सहरावत
31. श्रीमती भावना गौड़
32. श्री सुरेन्द्र सिंह
33. श्री विजेन्द्र गर्ग
34. श्री प्रवीण कुमार
35. श्री मदन लाल
36. श्री सोमनाथ भारती
37. सुश्री प्रमिला टोकस
38. श्री नरेश यादव
39. श्री करतार सिंह तंवर
40. श्री प्रकाश
41. श्री अजय दत्त
42. श्री दिनेश मोहनिया
43. श्री सौरभ भारद्वाज
44. श्री अवतार सिंह कालका
45. श्री सही राम
46. श्री नारायण दत्त शर्मा
47. श्री अमानतुल्ला खां
48. श्री राजू धिंगान
49. श्री मनोज कुमार
50. श्री नितिन त्यागी
51. श्री ओम प्रकाश शर्मा
52. श्री एस.के. बग्गा
53. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
54. श्री राजेन्द्रपाल गौतम
55. सुश्री सरिता सिंह
56. मो. इशराक खान
57. श्री श्रीदत्त शर्मा
58. चौ. फतेह सिंह
59. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-01 (भाग-3) बुधवार, 27 मई, 2015/ज्येष्ठ 06, 1937(शक) अंक-06

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।
माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष द्वारा घोषणाएं

अध्यक्ष महोदय : आज के इस विशेष सत्र के दूसरे दिन आप सबका अभिनन्दन करता हूं। 280 में जो जो नाम आये हैं उनको लेने पूर्व...

श्री ओमप्रकाश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी बात कर लूं अभी कार्रवाई मैंने शुरू नहीं किया है। ओमप्रकाश जी। एक सेकेंड बैठिये। दो मिनट बैठिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मेरा निवेदन है। 280 से पहले जो मुझे कहना है...

अध्यक्ष महोदय : नहीं जो नियम है उसके अंतर्गत कहिए नहीं नियम के अंतर्गत कहिए...

श्री ओम प्रकाश शर्मा : नहीं-नहीं नियम के अंतर्गत क्या होना चाहिए... मेरा निवेदन ये है कि कल जो व्यवस्था के लिए आपसे मैंने निवेदन किया था...

अध्यक्ष महोदय : आप फिर वहीं बात कर रहे हैं जो कल किया था। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। चेयर का सम्मान करना सीखिये**...(व्यवधान)...**

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं पूरे सम्मानपूर्वक आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि कल जो व्यवस्था के लिये मैंने आपसे निवेदन किया था उसके ऊपर आपने व्यवस्था नहीं दी...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। आपने कह लिया न। आप बैठिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : व्यवस्था तो दीजिये। ये तो कोई बात नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय : कौन सी व्यवस्था?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : कल जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके खिलाफ असंसदीय भाषा का जो प्रयोग हुआ उसके लिये**...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : वो मैंने शब्द निकलवा दिये थे। आपके आग्रह पर वो शब्द मैंने निकलवा दिये थे।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : वो तो निकलवा दिये लेकिन आपने जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया **...(व्यवधान)...** आप खुद इस चेयर पर बैठकर आप अपना पोलिटिकल जो वक्तव्य दे रहे हैं

अध्यक्ष महोदय : देखिये, आपने अपनी बात रख दी। बैठिये दो मिनट। आपने कर ली अपनी बात और क्या करेंगे?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मेरी बात तो पूरी कर लेने दीजिये। मेरी बात अब आपको कैसे पता पूरी हो गयी। मुझे अपनी बात कहने का हक है**...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : ओमप्रकाश जी, उचित नहीं है ये तरीका। आप बैठिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : निवेदन केवल इतना है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं उनकी मर्यादा के विपरीत जो असंसदीय भाषा का प्रयोग के लिये जो आपसे निवेदन किया गया आप व्यवस्था नहीं दे रहे हैं...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सदन की कार्रवाई आरंभ होने से पूर्व मैं एक-दो बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जैसा कि कल माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया था कि वह अपनी बात शालीनता से कहें। **...(व्यवधान)...** आप सुन लीजिये पहले एक बार। आप सुन लीजिये पहले एक बार फिर उसके बाद आपकी बात आ जायेगी। फिर उसके बाद कुछ रह जाये तो कहिये। मैं लिखित बयान पढ़ रहा हूं। फिर दुबारा पढ़ रहा हूं। माननीय सदस्यगण, सदन की कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व मैं एक-दो बातों की ओर आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसा कि कल माननीय उपमुख्यमंत्री ने भी सभी सदस्यों से अनुरोध किया था कि वे अपनी बात शालीनता से कहें और किसी भी प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप न लगायें। मैं भी सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो व्यक्ति सदन में मौजूद न हो उनका नाम अपने भाषण के दौरान नहीं लें। किसी भी प्रकार का आक्षेप न लगाये। दर्शक दीर्घा में बैंठे हुए बंधुओं से भी मेरा अनुरोध है कि कल जैसा मुझे संज्ञान में आया कुछ एक-दो बंधुओं ने ताली बजायी थी मेरा उनसे अनुरोध है कि तालियां न बजायें और न ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट करें। प्रेस एवं मीडिया के सभी साथियों से भी मेरा अनुरोध कि सदन में अपने मोबाईल फोन या तो बंद रखें या फिर साईलेंट मोड पर रखें या कृपया बाहर छोड़कर के आयें। ओमप्रकाश देखिये। एक सेकेंड, मुझे कार्रवाई पूरी करने दीजिये। ऐसे नहीं है। व्यवस्था कुछ रहती है सदन की। मैं 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख आरंभ करूं उससे पूर्व मैं दो चीजें बताना

चाह रहा हूं। श्री बिजेन्द्र गुप्ता जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष से नियम 54 के अंतर्गत एक ध्यानाकर्षण की सूचना मुझे प्राप्त हुई। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि नियम 54 (1) में यह प्रावधान है कि ध्यानाकर्षण सूचना सदन की बैठक आरंभ होने से तीन घंटे पूर्व यानी पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक विधान सभा सचिवालय के नोटिस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए जबकि माननीय सदस्य की सूचना 12-05 पर प्राप्त हुई हैं इसलिए इस प्रस्ताव को मैं अपनी अनुमति नहीं दे रहा हूं। **...(व्यवधान)...** एक सेकेंड भाई साहब। ओमप्रकाश जी दखिये। एक सेकेंड, मेरी प्रार्थना को एक बार पूरा कर लेने दीजिये। मैं आपको मौका दूंगा। मुझे श्री ओमप्रकाश शर्मा, माननीय सदस्य से नियम 54 के अंतर्गत एक ध्यानाकर्षण की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि 54 (1) में प्रावधान है कि ध्यानाकर्षण सूचना सदन की बैठक आरंभ होने से तीन घंटे पूर्व यानी पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक विधान सभा सचिवालय के नोटिस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए जबकि माननीय सदस्य की सूचना 12-30 पर प्राप्त हुई हैं इसलिए इस प्रस्ताव को मैं अपनी अनुमति नहीं रहा हूं। मुझे श्री बिजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष से नियम 114 के अंतर्गत निन्दा प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है इस प्रस्ताव में माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि विधान सभा के नियमों में निन्दा प्रस्ताव का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। नियम 280 के अंतर्गत जो मुझे प्रस्ताव मिलें हैं सर्वप्रथम मैं जगदीश प्रधान।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को यहां पर मंजूरी नहीं दी है क्योंकि वो जनहित का मामला हैं और मंत्री का बयान होना आवश्यक

है क्योंकि दिल्ली देखिये। व्यवधान। आपने 12-12 दिन की एक्जम्शन दी है। हमारी एक घंटे अगर...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, मेरी बात सुन लीजिये। मेरी बात सुन लीजिये प्लीज। मैं बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये बहुत गंभीर सदन चल रहा है। इसमें सारे नियम जो भी कुछ इस पुस्तक में लिखे हैं। मैंने 12 घंटे की अगर कोई सोमनाथ जी को दी है उन्होंने रूल 293 के अंतर्गत मुझसे मांगा है। 293 में वो परमिट करता है। उन्होंने लिख के भेजा।

अध्यक्ष महोदया : आपने मुझे नियम 114 का हवाला दिया।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : देखिए मेरी बात सुन लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदयः मैं नियम 54 की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेंड, मेरी बात सुन लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं नियम 54 की बात कर रहा हूं। मैं नियम 114 की बात नहीं कर रहा हूं। नियम 54 में आपकी रूलिंग में ये है कि एक घंटा लेट हो गया।

अध्यक्ष महोदया : आप नियम 54 को पढ़ लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, नियम, 89 को भी तो पढ़ा जाये। नियम 89 में 12 दिन की एग्जम्पशन है। हमारी एक घंटे की एग्जम्शन नहीं और दिल्ली में पानी की स्थिति पर जो बयान होना है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री कपिल मिश्रा :

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी दो मिनट रुकिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी, आप दो मिनट रुक जाइये।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी, दो मिनट बैठिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मेरी बिना अनुमति के जो भी बोला जा रहा है, उसे डिलीट कर दिया जाये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : XXX[1]

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मेरी बिना अनुमति के जो भी बोला जा रहा है, सत्ता पक्ष से या विपक्ष से, उसे डिलीट कर दिया जाये।

...(व्यवधान)...

---

[1]चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही से निकाले गए।

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी बैठिए आप।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी बैठिए आप। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी।

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : XXX

श्री ओमप्रकाश शर्मा : XXX

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी आप बैठिए। दो मिनट।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आपको समय मिल जायेगा बाद में। मैं आपको समय दूंगा।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं नेता विपक्ष से प्रार्थना कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि वे कृपया बैठें। नियम के अनुसार..

...(व्यवधान)...

XXX चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही से निकाले गए।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप सदन की अवहेलना कर रहे हैं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष खड़े हैं।

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : XXX[2]

अध्यक्ष महोदय : चलिए, विरोध दर्ज हो गया आपका। ये सारी कार्यवाही सदन की कार्यवाही से निकाल दी जाये।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, अध्यक्ष खड़े हैं। मैं खड़ा हूं अपने आसन पर और आप फिर भी बैठ नहीं रहे हैं...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं आप कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आपका 280 पर आया हुआ है। विजेन्द्र जी आप बैठ जाइये पहले।

...(व्यवधान)...

---

[2]चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप बैठिए। ये सदन का बहुत बड़ा अपमान है। ये अध्यक्ष की कुर्सी का अपमान है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप करिए। वाक आउट कीजिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप वाक आउट कर रहे हैं। करिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप वाक आउट कर रहे हैं करिए। चलिए।

...(व्यवधान)...

(भाजपा के सभी माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

अध्यक्ष महोदय : 280 के अंतर्गत जो मुझे विशेष उल्लेख प्राप्त हुए है जगदीश प्रधान जी वाक आउट कर गये हैं,

(भाजपा के सभी माननीय सदस्यों का सदन में प्रवेश।)

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं जगदीश जी तमाशा नहीं है यह सदन है और सदन की गरिमा को बनाये रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं allow नहीं करूंगा

मैं बिल्कुल allow नहीं करूंगा आपने वाक आउट किया, वाक आउट रखिये यह कोई तमाशा नहीं है सदन का।

श्री जगदीश प्रधान : सर हमने तो वाक आउट किया है जनता आज पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है और पूरी दिल्ली में कहीं भी पानी नहीं मिल पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। पहले बैठिये **...(व्यवधान)...** पहले आप बैठिये पहले।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी आपको शायद संसदीय प्रणाली की जानकारी की कमी है क्या?

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप मानेंगे नही क्या।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हमने वाक आउट किया मुद्दों पर वाक आउट किया इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सदन में नहीं आ सकते हमने मुद्दों पर वाक आउट किया। आपने कालिंग अटेन्शन मोशन को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया हमने इसलिए वाक आउट किया है और आप क्या सोचते है कि हम जनता के मुद्दे नहीं उठायेंगे यहां हमने वाक आउट किया जनहित के मामलों पर यहां डिस्कशन नहीं हो रहा। नियम 280 पर हमारे मैम्बर का लगा हुआ है वो क्यों नहीं बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी आप मानेंगे नहीं क्या। विजेन्द्र जी आप बैठ जाइये ओम प्रकाश जी आप बैठ जाइये आप सभी शांत रहें। नितिन जी बैठ जाइये। आप अपने समय का महत्व समझिये सदन के समय का महत्व समझिये। मैंने यह कभी नहीं कहा कि आप वाक आउट करने के बाद आ नहीं

सकते, मैंने कभी ये नहीं कहा। आप बैठ जाइये आप बैठ जाइये डिस्टर्ब मत कीजिये। जगदीश प्रधान जी आप बोलिये।

अध्यक्ष महोदय : जो विषय दिया गया है जगदीश जी मुझसे बात कीजिये। जो आपने इसमें लिखकर दिया है उसको पढ़ दीजिये।

श्री जगदीश प्रधान : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपनी विधानसभा क्षेत्र मुस्तफाबाद में शिक्षा हेतु अनुकूल वातावरण न होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय मेरे विधान सभा में चार लाख की आबादी है इसमें केवल एक सैकेंडरी विद्यालय है और दूसरा जो विद्यालय है वह सीनियर सैकेंडरी विद्यालय है चार लाख की आबादी पर दो विद्यालय है मैंने पहले भी जो सदन चला था शुरु वाला उसमें भी यह समस्या रखी थी और मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी मेरे साथ गये हैं उनको सब समस्यायें दिखाई है एक विद्यालय ऐसा है जिसमें दो हजार बच्चे हैं और केवल हफते में छह दिन स्कूल लगता है तीन दिन आधे बच्चे पढ़ते हैं और तीन दिन आधे बच्चे पढ़ते हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि दिल्ली में हम 500 नये विद्यालय खोलकर देंगे। मैं बहुत अदब के साथ बड़े आदर सम्मान के साथ मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जो हालत है वो इतनी दयनीय है कि वहां से निकास करके न तो बसें आती है और न इतना ट्रैफिक जाम रहता है कि बच्चे स्कूल समय पर पहुंच नहीं पाते हैं मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं मुख्यमंत्रीजी से शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं हमारे बीच में कि मेरे क्षेत्र के अंदर विद्यालयों की समुचित व्यवस्था की जायें बाकी और अध्यक्ष महोदय कल भी पानी के उपर एक शब्द कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता पानी के लिए खासकर मैं

अपनी विधानसभा जहां से हमारे कपिल मिश्रा जी उपाध्यक्ष जल बोर्ड से हैं इस कदर की पानी की समस्या है कि रात को बारह बजे पानी आता है केवल पांच मिनट पानी आने के बाद तुरंत चला जाता है। मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि दिल्ली की जनता के हक में देखतें हुए पानी के उपर शिक्षा के उपर अनोथराइज्ड कालोनियों के उपर और सीवरेज के उपर एक विशेष सत्र लाने की कृपा करें ताकि यहां विधायक सभी अपने अपने क्षेत्रों की समस्या रख सकें और उसका कोई समाधान निकल सकें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अलका लांबा जी।

सुश्री अलका लांबा : धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे मौका दिया बोलने का अपने क्षेत्र की समस्या रखने का और मैं बिल्कुल जगदीश प्रधान जी से जो पानी की समस्या है मैं उससे सहमत हूं पर यह मानने को तैयार नहीं हूं कि दिल्ली में पानी की कमी है दिल्ली में पानी की कमी नहीं हैं वितरण प्रणाली जो है उसे ठीक करने की समस्या है मेरे यहां पर भी मैं दिल्ली 6 से आती हूं चांदनी चौक जामा मस्जिद की संकीर्ण गलियां है खुदाई करके पानी पाईप लाईन को डालना और अंत तक जो घर है उसे पानी देना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है अध्यक्ष जी तेलगांना में अभी खबर है कि 1100 से अधिक जानें गर्मी की लू की वजह से गई मैं मान सकती हूं कि पिछली 49 दिन की आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी और सर्दियों का समय था इस तरीके से सड़कों पर मौतें हो रही थी कोर्ट के आर्डर हुए कि तुरंत जल्द से जल्द इन्हें राहत दी जायें इन जानों को बचाया जायें यह पानी से ही संबंधित है और इसमें जो है रैन बसैरे रातों रात खड़े किये गये जो अपने आप में सराहनीय कदम था बहुत सी जानों को बचाने के लिए हम कामयाब हुए। अब मेरी दिक्कत यह है कि अगर

पूरी दिल्ली में 270-272 के करीब रैनबसेरे पूरी दिल्ली में बसे तो मेरे चांदनी चौक विधानसभा में लगभग सबसे अधिक 55 रैनबसेरे मेरे यहां पर है और मेरे लिए भी चुनौती रैनबसेरों में जो लोग बसे हुए हैं को पीने का पानी देना सीवर और शौचालय देना दिक्कत यह है कि यदि मैं जामा मस्जिद की ही बात करूं उर्दू बाजार में 6 से 7 रैनबसेरे बिल्कुल जामा मस्जिद के अंदर है और कम से कम नहीं तो 800 से 1000 लोग वहां रहते है मेरे लिए चुनौती है कि वहां एक हैरिटेज प्रापर्टी होने की वजह से सीवर और पानी की पाईप लाईन देना संभव नहीं है जो नियम कानून है कि आप किसी भी हैरिटेज प्रापर्टी के नजदीक जो इस तरह की खुदाई व निर्माण कार्य नहीं कर सकते तो मैं सरकार को हाथ जोड़कर कहूंगी कि प्राथमिकताओं में है आप मेरी विधानसभा में 55 नहीं 100 रैनबसेरे और बनाइये बिल्कुल अच्छी सुविधाओं के साथ बनाईये ताकि हम उन्हें पीने का पानी, सीवर और शौचालय की जो समस्या से जो जूझ रहे हैं वो मैं उन्हें दे पाउं। मैं कुछ गलियों का जिक्र करना चाहूंगी जहां पर बहुत ही दयनीय स्थिति है पानी की बात है पानी देने की बात है गली आजम खां, गली कडैया, गली छत्ता मेम वाली, कूचा नीलकंठ, कटरा गोकुल शाह, कूचा चेलान, काला महल, गली सैफुदीन, खीर वाला फाटक, गली माता वाली चांदनी चौक और गली हनुमान प्रसाद ये वो गलियां जहां पर मैं फिर कहूंगी कि पानी की पाईप लाईन मैं आपकों फिर कहूंगी पानी की वितरित प्रणाली में और जहां जहां पाईप लाईन बहुत पुरानी है ऐतिहासिक गलियां है जहां मुझे अब ऐसा लगता है कि बहुत सालों से पानी की पाईप लाईन को जो है बदला नहीं गया है और तरीके की जरूरत है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि पीने के पानी और सीवर लाईन को जो है दोबारा से दिल्ली जल बोर्ड जो है इसे देखें ताकि लोगों को राहत दे पाये दिल्ली में मुझे

जो है पानी की कमी नहीं है वितरण प्रणाली में दिक्कत आ रही है धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री कैलाश गहलोत जी।

श्री कैलाश गहलोत : स्पीकर सर, मुझे बोलने का मौका दिया आपने। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा हमारी दिल्ली में सिविल डिफेंस वालंटियरस की एक आर्गेनाइजेशन है और ये आर्गेनाइजेशन का जो गठन हुआ था उसका बेसिक परपज था कि कम्यूनिटी के जो काम हैं उसमें उनका इंवालवमेंट किया जाये सोसाइटी को strengthen किया जाये। मैं नजफगढ विधानसभा से आता हूं और वहां घंटों तक ट्रेफिक जाम लगा रहता है दो-दो तीन-तीन घंटे का ट्रेफिक जाम बड़ा कामन है वहां पर। एसडीएम की सहायता से, लोकल पुलिस की सहायता से ट्रेफिक पुलिस को इनवालव करके हमने उस ऐरिया को वन वे किया। क्योंकि ट्रेफिक पुलिस की जो वहां पर फोर्स है उसकी एवेलेविलटी कम है इसलिए हमने एसडीएम साहब से रिकवेस्ट किया कि हमें कुछ सिविल डिफेंस वालंटियरस उपलब्ध कराये जायें। इस रिकवेस्ट को आज लगभग तीन चार महीने हो गये हैं लेकिन उसपर कोई कारवाई नहीं हुई अभी तक। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये सिविल डिफेंस के जो वालंटियरस हैं इनको कहां-कहां पोस्ट किया गया है और मुझे ये भी पता चला कि इनका मिसयूज किया जा रहा है। कुछ आफिसरस के बंगलों पर सिविल डिफेंस पर्सनल पोस्टिड है। तो उनकी लिस्ट मैं डिप्टी सी.एम. साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे दिल्ली में कितने सिविल डिफेंस वालंटियरस हैं और उनको कहां-कहां पोस्ट किया गया है किस किस काम के लिए पोस्ट किया गया है। अगर कम्यूनिटी सर्विस में उनका कोई योगदान नहीं हो रहा है अगर सोसाइटी के लिए उनका काम नहीं हो रहा

है तो मैं समझता हूं कि उनका gross misuse किया जा रहा है। तो मैं अनुरोध करता हूं डिप्टी सी.एम. साहब को कि इस सदन में उन सब का डिटेल रखा जाये और जब भी कम्यूनिटी सर्विस के लिए सिविल डिफेंस वालंटियरस की रिकवेस्ट आये तो मैं अनुरोध करता हूं कि उनको एक्स सर्विस के लिए दिया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और अस्पतालों में कांट्रेक्ट के तहत कार्य कर रहे हजारों कर्मचारियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, आम आदमी पार्टी की सरकार ने सभी कांट्रेक्ट कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की थी परंतु अब अपने वायदे से मुकर रहे हैं और कह रहे हैं उनको निकाला नहीं जायेगा। यद्यपि लेबर एक्ट में यह प्रावधान है कि किसी को भी निकाला नहीं जाता तो इसमें सरकार की क्या उपलब्धि है। यद्यपि ये नियम पहले से ही मौजूद हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप संबंधित मंत्री महोदय को निर्देश दें कि जो स्टाफ जैसे कि सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी, डाटा आपरेटर, कम्पयूटर टीचर, पैरा मैडीकल स्टाफ आदि-आदि जो कांट्रेक्ट में ठेकेदारों के द्वारा कार्य कर रहे हैं तथा जिनका ठेकेदारों के द्वारा शोषण किया जा रहा है उनको इनसे निजात दिलाई जाए। ऐसे हजारों कांट्रेक्ट कर्मचारियों को नियमित करने का आपसे मेरा आग्रह है कि उसका कष्ट करें। इसके अलावा मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि मिनीमम वेजिज बढ़ा तो दिया है जोकि एक सराहनीय कार्य है परंतु इसका पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है और ठेकेदारों के द्वारा अपने जो कर्मचारी है उनका शोषण हो रहा है और उनसे कागजों पर साइन अलग और उनको जो दिया जा रहा है वह

दोनों अलग-अलग हैं। मैं ये दावे से कह सकता हूं दिल्ली में मिनीमम वेजिज एक्ट का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा जैसे कि जहां छोटी दुकाने हैं, फैक्ट्रियां या ठेकेदारों द्वारा कई संस्थानों में कांट्रेक्ट पर कर्मचारी लगाये गये हैं उन्हें पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा अतः मेरा कहना है कि मिनीमम वेजिज कानून का दिल्ली में सख्ती से पालन कराया जाये जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसके अलावा मेरा आपसे निवेदन ये है कि एक दिन सदन की और कारवाई बढ़ाकर माननीय मुख्य मंत्री महोदय दिल्ली के जो जनहित की चीजें हैं उनके लिए भी चर्चा के लिए रखें मेरा आपसे ऐसा नम्र निवेदन है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। पंकज पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्कर : माननीय अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जैसा कि हम सब उस स्थिति से दो-चार हो रहे हैं कई मल्टीपल एजेंसीज हैं अलग-अलग अथारिटीज हैं तो उनके बीच समन्वय का प्रश्न कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और उस समन्वय के उल्लंघन से किस तरह से जनता के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है इस संदर्भ में सदन के सज्ञान में एक-दो उदाहरण लाना चाहता हूं जिससे कि हम अपनी प्राथमिकतायें बेहतर तरीके से तय कर सकें। ये विशेष सत्र दरसल बिल्कुल इसी सवाल पर उठा हुआ है उसको हम अपने संज्ञान में लें। मैं तीमारपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नं. 10 के वजीराबाद, संगम विहार, रामघाट जैसे क्षेत्रों का आपके संदर्भ में लाना चाहता हूं। अरबनाइज विलेज है वजीराबाद, संगम विहार का क्षेत्र एक अन अथोराइज कालोनी है सो काल्ड, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा चिन्हित 885 कालोनीज के अंदर नहीं आता ऐसे क्षेत्रों के अंदर मूलभूत सुविधाओं का इस तरह से अभाव इस समय है वहां

पर दिल्ली सरकार की कोई एजेंसी विकास के कार्य को अपने हाथ में लेने के लिए तत्पर नहीं दिखाई देती अभी स्थिति ये है कि वहां निकासी की व्यवस्था, सड़कों की मूलभूत जो स्थिति है वो लगभग एक नारकीय स्थिति वहां पर बना दी गई है। पिछले वर्ष डेंगू की, चिकनगुनिया की बीमारी से 200 से ज्यादा केसिज आये। 40-50 मौतें वहां हुई उसके ऊपर कोई हमारी सरकार उस समय संज्ञान नहीं ले सकी। इस वर्ष वही वो स्थिति आने वाली है। पूरे ये जो वार्ड नं. 10 की स्थिति है उसकी कालोनीज संगम विहार वजीराबाद में निकासी की व्यवस्था बिल्कुल चौपट है और में दिल्ली सरकार के जो विभाग हैं और एम. सी.डी. है, लगातार इस समन्वय की कोशिश में हूं कि एक बिल्कुल मूलभूत अधिकारों की स्थिति है वहां पर बहुत जबरदस्त पब्लिक हाईजेन का संकट है, बहुत बड़ी दुर्घटना के हम कगार पर खडे हैं। दो महीने बाद मानसून होगा फिर बहुत बड़ी महामारी की स्थिति होगी और हम कुछ नहीं कर पायेंगे तो मैं पूरे सदन के प्राथमिकता में ये सवाल लाना चाहता हूं अपनी सरकार के सभी मंत्रालयों के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं कि इसको प्राथमिकता के स्तर पर इस सवाल को उठाया जाये और जो एक न्यूनतम मूलभूत अधिकार देने कह सफाई की सुविधा दे सकें, पानी की सड़क की सुविधा दे सकें ये हर दिल्ली वासी के लिए हम सुनिश्चित कर सकें और अगर ये हम नहीं कर सकते तो हमारे सभी प्राधिकृत चाहे वो एमसीडी हो चाहे दिल्ली सरकार हो उनके अपने वैधता के सामने एक संकट खड़ा होता है तो इसी तरह की समस्या वार्ड नं. 9 में कटरों के बारे में सवाल हमारे कई विधानसभा क्षेत्रों से उठा था उस सवाल को मैं पुनःरेखांकित करता हूं कि वहां सेनीटेशन की स्थिति, वहां सीवर की स्थिति उसमें एक समन्वय की आवश्यकता है जब हम एल.जी. और सी.एम. के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो एक इस तरह के प्राधिकृत निकाय की भी आवश्यकता

है जो कि इन सभी विभागों के बीच सभी अथारिटीज के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके और जनता के मूलभूत अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसपर एक सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके। धन्यवाद महोदय।

अध्यक्ष महोदय : राखी बिरला जी। राखी जी अपने 6 विषय इसमें लिखें हुए हैं कोई भी 3 विषयों पर मैक्सीमम बोलें।

कु. राखी बिरला : सर मैं एक-एक लाइन में सभी के ऊपर बोलूंगी कम टाइम लूंगी बहुत। सबसे पहले अध्यक्ष साहब धन्यवाद आपे मुझे मौका दिया 280 के तहत बोलने का। सबसे बड़ी समस्या जो मेरे क्षेत्र में है वो ट्रैफिक जाम की है। मैं कई बार पत्र व्यवहार के माध्यम से डीसीपी-ट्रैफिक और जो आस-पास के जितने भी अधिकारी हैं, सबको दे चुकी। एफ-ब्लाक चौक से 100 कदम की दूरी पर ही संजय गांधी हास्पिटल है वो चौक घंटो जाम से जो है ग्रस्त रहता है कई बार ऐसा हुआ है कि एम्बुलेंस में किसी ने दम तोड दिया है किसी महिला की डिलीवरी उस चौक पर हो गई तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री साहब को ये कहना चाहती हूं कि उस चौक को जल्दी से जल्दी जाम फ्री किया जाये ताकि वहां की जनता को राहत हो और ट्रैफिक जो है आराम से चल सके। इसके अलावा। झुग्गियों में शौचालय की व्यवस्था हमारा एक अहम मुद्दा है हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का, लेकिन मैं पिछले कई दिनों से हमारे सदस्य भी बैठे हैं जो है झुग्गी झोपड़ी के जो सदस्य बने हैं, चेयरमेन बने हैं उन लोगों को भी मैंने बताया कि हमारे एरिया में 1 झुग्गी क्लस्टर हैं वहां पर एमपीवी वेनस लगाने के लिए, पोर्टा कैबिन लगाने के लिए हम लोगों ने कई बार रेकवीजिशन भी लिखी लेकिन वे बार-बार बोलते हैं कि हमें बजट नहीं है

हमारे पास बजट नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता कि मोबाइल टायलेट वैन लगाने के लिए कौन से बजट की जरूरत है। तो माननीय जो सदस्य हैं हमारे, जे जे कलस्टर के और जो चेयरमेन हैं या इससे संबंधित जो भी हमारे मंत्री लोग हैं जरा इस पर ध्यान दें क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन ये रुकी हुई हैं इसके जो इनकी वेरीफिकेशन हो रही है और एक सराहनीय काम किया जा रहा है हमारे मंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी लोगों को ये लगता कि कहीं हमारी पेंशन कट न जाये। ऊपर से एमसीडी के जो निगम पार्षद हैं वे लोगों को बहका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता कि कौन सी पेंशन कौन दे रहा है। विधायक पेंशन दे रहा है या निगम पार्षद पेंशन दे रहा है। उन्हें पेंशन से मतलब है। जब उन्हें हम बताते हैं कि उनकी अगर चैक से पेंशन आती है तो निगम पार्षद की और डायरेक्ट अगर बैंक में आती है तो विधायक की पेंशन है। उन लोगों को नहीं पता। तो कृपा करके इस समस्या पर भी जरा गौर फरमाया जाये और जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : बस ठीक है राखी जी अब।

कु. राखी बिरला : सर, एक बहुत अहम मुद्दा है और एरिया का। 19 अप्रैल को मेरे यहां तीन घरों में लगातार आग लगी जोकि एनडीपीएल की लापरवाही की वजह से लगी क्यों कि हमारे यहां पर खम्बे ओवर लोड हैं। एक खम्बे पर कानूनी तौर से 8 से 10 कनैक्शन चाहिए मीटर के लेकिन वहां पर 15-15 20-20 कलैक्शन एक-एक खम्बे पर हैं जिसकी वजह से 19 अप्रैल को एक बहुत जो है हादसा हुआ बड़ा, चार लोगों की जानें गई। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री साहब ने मौके पर पहुंचकर दौरा भी किया और मैं बधाई देना

चाहती हूं और साथ में धन्यवाद भी देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री साहब को कि उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से उन लोगों के लिए मुआवजे का भी जो है मेरा समर्थन करा है जो मैनें उनको लेटर दिया था लेकिन सर ऐसी भविष्य में घटना न हो इसके लिए मैं पावर मिनीस्टर साहब को कहना चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी इसपर संज्ञान लिया जाये और खम्बों पर से जो ओवर लोडिड मीटर की तारें है वे हटाई जायें। इसके अलावा जितने भी फुटपाथ हैं ऐसा लगता ही नहीं कि वे फुटपाथ हैं। ऐसा लगता है कि उनको घेरा जा रहा है, अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे वो पी डब्ल्यू डी की रोड़े हों, एम सी डी की रोड़े हों सभी रोड़ों पर गैर कानूनी तरीके से ठईये लगाये जा रहे हैं। रेहडियां लगाई जा रही हैं। जिसकी वजह से सड़क पर बुजुर्ग और बच्चों को चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है और इसका ये परिणाम निकला कि पिछले दो महीने में हमारी विधानसभा में ग्रामीण सेवा के नीचे आकर दो छोटे-छोटे बच्चों की मौत तक हो चुकी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो अनक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है फुटपाथ के ऊपर, गैरकानूनी तरीके से। इसका जल्दी से जल्दी समाधान लिया जाये। मैं कई बार लेटरस कंसर्ड डिपार्टमेंट और कंसर्ड मिनीस्टर को दे चुकी हूं।

अध्यक्ष महोदय : राखी जी। नहीं आप रोकिए।

कु. राखी बिरला : सर, एक सैकेंड, सब जनता के विषय में है।

अध्यक्ष महोदय : एक 280 में इतने विषय नहीं उठाये जाते।

कु. राखी बिरला : सर एक और...

अध्यक्ष महोदय : मैडम रोकिए इसको प्लीज। नहीं आप रोकिए प्लीज।

कु. राखी बिरला : सर एक विषय सिर्फ अपने से रिलेटिड है इस विधानसभा सदन से...

अध्यक्ष महोदय : राखी जी मेरी बात को समझ लीजिए।

कु. राखी बिरला : सर मैं हम इस विधानसभा में महज 6 महिलायें जीतकर आई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि हम 15 परसेंट एक ही पार्टी से जीते हुए लोग हैं।

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी बोलिए। मैं रोक रहा हूं, मैं रोक रहा हूं न।

कु. राखी बिरला : लेकिन हम 6 महिलायें हैं हमें महसूस होता है कि जो हमारे अधिकार हैं...

अध्यक्ष महोदय : राखी जी, राखी जी आप बैठ जाइये। राखी जी रोकिए। राखी मैं आग्रह कर रहा हूं रोकिए इसको। आप मान नहीं रही हैं।

कु. राखी बिरला : चलिए, धन्यवाद सर।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी मैं 280 के तहत आपका एवं मुख्यमंत्री जी का ध्यान सरकार के उस सर्कूलर के बार में दिलाना चाहता हूं जिसमें सरकार की मानहानि करने पर मीडिया संस्थान पर केस और कार्यवाही के आदेश दिये गये थे और जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। अध्यक्ष महोदय सरकार मीडिया के साथ अजीब तरीके से व्यवहार करती आ रही है

तथा वह अपनी आलोचना तथा ज्वंजंत समस्याओंकी सच्चाईपरक मीडिया कवरेज के प्रति असहनशील है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा पहिया है और यदि उसकी स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार से रत्ती भर भी प्रतिबंध लगता है तो लोकतंत्र मात्र तीन पहियों में रह जाता है। हम सभी जानते हैं कि चार पहियों से एक पहिया टूट जाता है तो गाड़ी और उसमें बैठी सवारियों की स्थिति क्या होगी। मीडिया पर इमरजेंसी के दौरान ततकालीन प्रधानमंत्री ने प्रतिबंध लगाया था और उस सरकार का हश्र किसी से छुपा नहीं है। मीडिया कमियों पर दिल्ली सचिवालय में प्रवेश पर दोपहर 3 बजे तक प्रतिबंध लगाया जाता है। आज तक किसी भी सरकार ने मरडिया के मार्ग में इस प्रकार की रूकावटें खड़ी नहीं की हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए यह पहली शर्त है कि मीडिया पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाए। दिल्ली सरकार के सौतेले व्यवहार से मीडियाकर्मी इस प्रकार अपने को असहाय और अपमानित महसूस कर रहे हैं वैसा उन्होंने कभी भी महसूस नहीं किया। पारदर्शिता की बातें तो होती हैं परन्तु मीडिया के लिए अपारदर्शी पर्दा लगा दिया जाता है। अतः अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि मीडियाकर्मियों के प्रति आदर दिखाएं और उनके ऊपर लगाये गये सभी प्रतिबंधों को जल्द से जल्द हटा दें ताकि स्वतंत्रतापूर्वक मीडियाकर्मी अपने कार्य की दिल्ली की जनता की सेवा कर सकें। अध्यक्ष जी इसके साथ साथ दो लाईनें और जोड़ना चाहता हूं जब सुप्रीमकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है और ये मान लिया है कि यह आदेश सर्कूलर पूरी तरह से गैरकानूनी है असंवैधानिक है तो आज आप जिस संवैधानिक व्यवस्था की बात यहां कर रहे हैं चर्चा यहां हम लोग कर रहे हैं उसमें ये इस विषय पर सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है और उस सर्कूलर को क्यों नहीं विड्रा करती जिसपर सुप्रीमकोर्ट की भी एक प्रकार से रूलिंग आ गई है या एक मनोस्थिति सुप्रीमकोर्ट भी हमारे

सामने आ गई है इसलिए हम ये सदन से मांग करते हैं कि उस सर्कूलर को तुरन्त जो है वो बर्खास्त किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत पीड़ा का प्रश्न है और केन्द्र सरकार की तरफ से उसपर भ्रम की स्थिति खड़ी की जा रही है और वो है 1984 के कत्लेआम के मुआवजे और एसआईटी को लेकर। पहले तो दिल्ली चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले अनाउंसमेंट की गई कि जितने भी लोग मारे गये हैं उनके आश्रितों को पांच पांच लाख रुपये दिये जायेंगे और चुनाव से ठीक पहले जो रिस्टेलमेंट कालोनी है तिलक विहार में वहां पर 17 चैक बांटे गये लेकिन उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि ये पैसा जो है वो राज्य सरकारों को बांटना है। और माननीय अरुण जेटली जी ने वहां पर बजट अपना पेश किया लेकिन बजट में केंद्र सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया है तो क्या ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक भ्रम पैदा किया गया था और मैं चाहता हूं कि अगर दिल्ली का भी बजट आने वाला है क्या उसमें भी कोई प्रावधान किया जाएगा ये प्रश्न छोड़ो दूसरी बात जो है एसआईटी बनाने का एक फैसला किया गया था अरविन्द केजरीवाल जी को बहुत सम्मान करते हुए उन्होंने पिछली सरकार ने ये फैसला कर लिया था लेकिन बाद में केन्द्र सरकार ने कहा कि एसआईटी हम बनाएंगे ठीक है क्योंकि दिल्ली पुलिस आपके अंतर्गत आती है, सीबीआई आपके अंतर्गत आती है, इंवेस्टिगेशन उन्होंने करनी है अगर आप एसआईटी बनाते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन एस एसआईटी को बने हुए अभी तीन महीने हो चुके हैं और छह महीने में उसको काम करना था लेकिन एक ऐसा भ्रम फैलाया गया कि दिल्ली की सरकार उस एसआईटी के अंदर रोड़े अटका रही है, सहयोग नहीं कर रही है। जबकि

जो मीटिंग की गई उसके लिए अगर कोई काउंसिल अगर कोई वकील की मांग की गई वो दो दिन में दे दिया गया। अगर आपको कोई पुलिस वाला चाहिए अगर आपको कोई दफ्तर खोलना है तो उसके लिए आपको दिल्ली सरकार की आवश्यकता नहीं है तो केन्द्र सरकार एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि एसआईटी में राज्य सरकार एक रोड़े अटका रही है, ये सहयोग नहीं कर रही है, तीन महीने निकल चुके है छह महीने में उसको रिपोर्ट पेश करनी है तो मैं इस मुद्दे को इस सदन में उठा रहा हूं और आशा करता हूं कि इसके ऊपर कोई न कोई स्पष्टीकरण दिया जाएगा।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : श्री सतेन्द्र जैन जी, माननीय गृहमंत्री। एक अस्पताल द्वारा बलात्कार पीड़ित का इलाज करने से मना करने के संबंध में एक वक्तव्य देंगे।

गृहमंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। आज मुझे एफएम 92.3 से फोन आया और उन्होंने एक विषय मेरे सामने रखा कि एक नौ साल की पीड़ित बच्ची की जिसको दो हास्पिटल से इलाज करने से मना कर दिया गया। मैंने उनसे ये पूछा कि ये अस्पताल बताईये कौन से हैं हम तुरन्त कार्यवाही करते हैं तो सर एक तो था गुड़गांवा का चलो उसमें तो कुछ नहीं है दिल्ली से बाहर था उसके बाद रात को नौ बजे वो लोग सफदरजंग हास्पिटल के अन्दर बच्ची को लेकर गये बहुत ही दुख की बात है कि सफदरजंग हास्पिटल ने उस बच्ची को लेने से मना कर दिया और उसका इलाज करने से मना कर दिया और कहते हैं कि आप वापिस जाईयेगा गुड़गांवा जाईयेगा। दिल्ली सरकार ने आदेश दिये हुए हैं कोई भी रेप से पीड़ित है या एक्सीडेंट है या एसिड अटैक विक्टिम है उसको कोई भी हास्पिटल लेने से मना नहीं कर सकता। सर अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने दौबारा आती

है हमने सोचा कि चलो हम अपने यहां के अस्पताल में इलाज करा लेंगे अब से एक महीना पहले ऐसा आया था, नीतिन त्यागी जी बैठे हैं उन्होंने मेरे संज्ञान में लेकर आये तो उस बच्चे का हमनें तुरन्त जीटीबी हास्पिटल में इलाज कराया और पूरे के पूरे उनके परिवार वाले भी हमारे एमएलए साहब भी सब सेटीसफाइड थे पर जो आज सिचुएशन पैदा हो गई है जिस तरह की भ्रांति पैदा हो गई है कि दिल्ली सरकार तो एक किसी छोटे कर्मचारी की भी स्थानांतरण नहीं कर सकती उनके पास कोई अथारिटी नहीं है, सर्विसेज इनके हाथ में नहीं है जिस तरह का कि एक ऐसा माहौल बन गया है कि मंत्री कहते हैं कि कहते रहिएगा आज से दो दिन पहले बिग एफएम आ जाता है चैनल वालों ने मुझ से बात कराई एक लड़का फोन पर बात करते करते रोने लगा कहता है सर अस्पताल में गया था अपनी वाईफ को लेकर उसको डायलिसिस कराना था और डाक्टर ने उससे बोला कि जाके केजरीवाल जी से करा लीजिएगा सर वो दिल्ली सरकार के अस्पताल में अगर उसको ऐसा सुनना पड़ रहा है तो ये इस नोटीफिकेशन की वजह से है जो दिल्ली सरकार के खिलाफ केन्द्र सरकार ने किया है मुझे लगता है इस नोटीफिकेशन के जो इम्पैक्ट आने वाले हैं उसके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया है उसकी बहुत आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं और जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। कल सुबह मेरे घर पर मैं वहां पर लोगों से मिलता हूं एनआई न्यूज वाले मेरे पास आ गए सर वहां पर डेढ़ सौ के करीब लोग थे वो मेरा इंटरव्यू लेने लग गये थे रोज इतने लोग आते हैं मैंने हां जी रोज आते हैं कहते हैं कि इनकी समस्याओं का निदान कैसे होता है मैंने कहा आप इनका इंटरव्यू लीजिए मेरा क्या ले रहे हैं अब जनता से तो पूछियेगा जनता क्या चाहती है सर जनता बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम उनकी समस्याओं का निदान नहीं कर सकते। सर जनता

ने हमें चुनकर भेजा है। जनता की समस्याओं को सुनना हमारी जिम्मेदारी है। उनके निराकरण करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। मैं आपके द्वारा केन्द्र सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस तरह के जो नोटीफिकेशन उन्होंने किया उसको वापस लें और दिल्ली की जनता का सहयोग करें। धन्यवाद।

संकल्प

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ भारती जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर अब हम आगे चर्चा करेंगे। जो सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं, भाग ले सकते हैं। मेरे पास कुछ नाम आये हुए हैं पहले से ही। मैं क्रमबद्ध समय से उनको इजाजत दूंगा बोलने की। लेकिन मेरी प्रार्थना ये रहेगी कल जितने नाम थे, उनमें से 7 लोग बाकी रह गये थे। आज हम शार्ट में बोले, कम बोलें और मुद्दे तक सीमित रहें तो निश्चित रूप से सभी की बारी आ जायेगी। लगभग अभी मेरे पास तीस नाम हैं। और मैं चाहता हूं कि सभी की बारी आ जाये। तो कृपया हम बहुत की शार्ट में अपनी बात रखेंगे। ज्यादा नहीं बोलेंगे। मैं माननीय गोपाल राय जी से प्रार्थना करता हूं कि वे बोलें। उन्होंने बैठकर बोलने की इजाजत मांगी है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठकर बोलिए।

श्री गोपाल राय (माननीय परिवहन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के इतिहास में दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता की आंकांक्षाओं और देश की राष्ट्रीय सरकार के गृह मंत्रालय की इस अधिसूचना के बीच में सर्वोपरि कौन है? दिल्ली की करोड़ों जनता की आकांक्षा सर्वोपरि है, या फिर गृहमंत्रालय का ये गैर संवैधानिकनोटिफिकेशन सर्वोपरि है, इसको लेकर कल से इस सदन में चर्चा हो रही है। कल इस बिन्दु पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसोदिया जी ने अपनी बात रखी थी और उस पर चर्चा आगे बढ़ी थी। प्राइवेट बिल के रूप मे माननीय सदस्य सोमनाथ भारती जी ने अपनी बात रखी अपना प्रस्ताव रखा और उस पर चर्चा आगे बढ़ी है। कल जो भी चर्चा हुई है, आपने कहा

है, सदन में बहुत सारे सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं। उसमें कुछ बिन्दुओं पर अपनी बात उसमें जोड़ने के लिए आपसे इजाजत मांगी है हमने। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता आज जिस दुश्चक्र में फंसी है, सारे विधायक सारे अधिकारीगण, दिल्ली के सारे लोग एक दुविधा की स्थिति में आकर के खड़े हुए हैं, और उनके ऊपर संविधान के नाम पर एमएचए के द्वारा इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जिस तरह से हाथ पैर बांधने की कोशिश की गई है। वजह क्या है, कहा जा रहा है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, केन्द्र शासित प्रदेश है, तो क्या दिल्ली के लोगों का ये गुनाह है कि देश की राजधानी में रहते हैं। अगर वे छत्तीसगढ़ में रहते तो उन्हें आजादी मिल जाती? अगर वे कश्मीर में रहते तो उनको आजादी मिल जाती? अगर वे हिन्दुस्तान के अलग अलग राज्यों में रहते तो उनको आजादी मिल जाती? लेकिन अगर क्या दिल्ली में ढ़ाई करोड़ से ज्यादा लोग अगर दिल्ली की राजधानी में रहते हैं, ये गुनाह है उनका? इसलिए उनके ऊपर पाबन्दी लगाई जायेगी। हिन्दुस्तान के अंदर संविधान का विकास आजादी की लड़ाई के बाद पैदा हुआ। किसलिए पैदा हुआ? भारत का संविधान कहता है, हम भारत के लोग, भारत के लोगों ने भारत के संविधान को आजादी की लड़ाई में लाखों कुर्बानियां देकर के उस संविधान को निर्मित किया। किसलिए हिन्दुस्तान के लोगों के विकास के लिए, हिन्दुस्तान के लोगों की आजादी के लिए, हिन्दुस्तान के सपनों को पूरा करने के लिए। सबको सम्मान मिल सके, सब को रोटी कपड़ा और मकान मिल सके। सब को बिजली मिल सके और हिन्दुस्तान के अंदर जो अंग्रेजों की लूट थी, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद उस लूट पर लगाम लगायी जा सके। इसके लिए संविधान बनाया गया था। लेकिन आज क्या

हो रहा है? कल सदन के अंदर माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि आज इस नोटिफिकेशन को लाने की इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने एक दस दिन के लिए कार्यकारी सचिव की नियुक्ति पर बवाल खड़ा कर दिया। क्या यही सच है? इस नोटिफिकेश के पीछे केवल यही वजह है? और अगर केवल यही वजह है तो 23 जुलाई, 2014 को सरकार बनने के बाद जब केन्द्र सरकार ने एन्टी करप्शन ब्रांच की ताकतों को कम करने की अधिसूचना जारी की थी, तो क्या उस समय सैक्रेटरी की नियुक्ति का बवाल था। उस समय क्या मकसद था? मकसद था कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग जारी है, उस जंग को रोका जाये। इतना ही नहीं। पहले उसकी ताकत को कम किया गया। बोले कि केन्द्र के अधीन रहने वाले अधिकारियों के ऊपर एन्टी करप्शन ब्रांच कार्रवाई नहीं कर सकता। फिर दूसरा नोटिफिकेशन आया। जब दूसरे नोटिफिकेशन में क्या आया है? दिल्ली के अंदर रहने वाले जितने अधिकारी/कर्मचारी हैं, वे केन्द्र के अधीन होते हैं। केन्द्र के जो अधिकारी हैं, उन पर पहली अधिसूचना के अनुसार कार्रवाई नहीं कर सकता एन्टी करप्शन ब्रांच और दूसरी अधिसूचना के तहत जब दिल्ली के सारे अधिकारी केन्द्र के हो गये तो दिल्ली के भी किसी अधिकारी के ऊपर इस अधिसूचना के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। मतलब क्या है? मतलब क्या है? दिल्ली के अंदर रहने वाले जो लोग लूटतंत्र में शामिल हैं, उनके खिलाफ चुप रहा जाये। आज सोचना एक बार ठण्डे दिमाग से। मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं। मसला सदन का नहीं है। मसला विधायकों का नहीं है, मसला मंत्री का नहीं है। मसला सरकार का नहीं है। मसला मुख्यमंत्री का नहीं है। मसला दिल्ली के उन ढाई करोड़ लोगों का है, जिनके प्रतिनिधि के रूप में हम लोग बैठे हुए हैं और जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम बैठे हैं।

किसलिए लोगों ने बदलाव लाया। किसलिए लोगों ने तब्दीली की है? और तब्दीली लोग आज नहीं कर रहे हैं, दुनिया के इतिहास के पटल पर आप एकबार नजर डालो, जब भी दुनिया के अंदर आवाम की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। जब उसे दुख दर्द पैदा हुआ, व्यवस्थाएं बदली हैं। आदिम समाज था, आदिम समाज से सामन्ती समाज आया। सामन्ती समाज को लोगों ने बदला। राजशाही आयी। राजशाही को लोगों ने बदला। लोकतंत्र आया और लोकतंत्र में भी जहां जहां कमियां हैं, उसको बदलने के लिए आवाज उठती है। यही है प्रगति, यही है विकास, यही है सिद्धांत। लेकिन आज क्या हो रहा है? इस आदेश के माध्यम से आज क्या करने की कोशिश हो रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी जो हिन्दुस्तान के लोगों के लिए एक नई आशा की किरण के रूप में अपनी बात रखते हैं। कहते हैं मैं फैडरलिज्म पर विश्वास करता हूं। राज्यों के अधिकार पर विश्वास करता हूं। हम जहां पर कांग्रेस ने छोड़ा था, वहां से आगे ले जाने की बात करता हूं। लेकिन दिल्ली के अंदर जहां कांग्रेस ने छोड़ा था, वहां से पीछे ले जाने के लिए काम करता हूं। यह दोहरा मापदंड नहीं चलने वाला। यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। अरे, दिल्ली को आप नहीं दे सकते हो। आपके पास तीन विधायक हैं। अपने पास आप रखो। क्योंकि जनता ने चुनकर भेजा है। आपके पास संविधान के तहत तीन अधिकार हैं, पब्लिक आर्डर, पुलिस और लेंड। तीन विधायक और तीन अधिकार संविधान ने आपको दिये। सर्विस। सर्विस को छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हो आप? और एक तरह से नहीं। नोटिफिकेशन से चाहते हो कि सारे अधिकारी हमारे हो जायें और जब सारे अधिकारी हमारे हो जायेंगे तो एन्टी करप्शन ब्रांच उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। ये जो नीयत है, इस नीयत के पीछे एक ही मकसद है कि एन्टी करप्शन अरविन्द केजरीवाल के हाथ में रहेगा तो अम्बानी भी बचकर के बाहर निकल कर नहीं जा पायेगा।

ये डर है। ये दहशत है और इस दहशत का नतीजा है नोटिफिकेशन। कल माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे ये क्लेरिफिकेशन है। सर जी, ये जो लिखने में पढ़ने में आ रहा है, यह नोटिफिकेशन है। अगर क्लेरिफिकेशन है तो आपकी पार्टी की सरकार है और मंत्री हैं, एक वेरिफिकेशन/करेक्शन करवाकर भिजवा दीजिए। फिर इस सदन को बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो स्थिति यहां पैदा हुई है। हम एक बात कहना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को दुनिया में सब पर विश्वास है। पहली बार देश के अंदर, रक्षा सौदों में विदेशी कंपनियों को प्रवेश का रास्ता खोल दिया गया। विदेशी कंपनियों पर विश्वास है। लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से आयी हुई सरकार पर विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री पर विश्वास मत करिये। मंत्रियों पर विश्वास मत करिए। सरकार पर विश्वास मत करिए। इस सदन पर विश्वास मत करिए परन्तु दिल्ली के जिन ढ़ाई करोड़ लोगों ने इस सदन को चुनकर भेजा है, उस पर तो विश्वास कर लीजिए। उस पर तो यकीन कर लीजिए। उसका क्या गुनाह है? अरे, लोक सभा चुनाव में इसी दिल्ली की जनता ने आपको दिल्ली की सात की सातों सीटों पर पार्लियमैंट के मेम्बर को चुनकर दिया। इसी दिल्ली की जरूरत ने दिया है। लेकिन आज अगर बदले की भावना से आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो न तो ये लोकतांत्रिक है और न ये संवैधानिक है और न तो दिल्ली और देश के विकास को आगे ले जाने वाले रास्ते की तरफ जाता है। इस लिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर इस तरह से कार्रवाई पहली बार नहीं हो रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस देश के अन्दर इस तरह से कार्यवाही पहली बार नहीं हो रही है। इतिहास के पत्रों में आप झांकेगें तो पायेंगे कि जिस तरह से दिल्ली के अधिकार धीरे धीरे

कतरते हुए अपने कब्जे में करने की कोशिश हो रही है और उसका संज्ञान, मैं आपको बताऊं। तीन दिन पहले अखबारों में इस तरह की खबरें छपी कि जिस तरह से 1955 में पूर्व मुख्य मंत्री माननीय ब्रहम प्रकाश जी के समय में, ब्रहम प्रकाश जी ने केन्द्र के कमिश्नर के आदेश को मानने से मना कर दिया। पूरे सदन को भंग कर दिया गया था। एक माहौल बनाया जा रहा है कि दोबारा विधान सभा भंग हो सकती है और कल हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने पुष्टि की। दैनिक जागरण अखबार में बयान छपा है कि इस सदन को संसपेंडिड मोड में डाल देना चाहिए। ये बात और ये विचार दर्शाता है कि यहां बैठे हुए हमारे साथी यह सोचते हैं गृह मंत्रालय भी यह सोचता है देश की सरकार भी यही सोचती है। लेकिन दिल्ली की आवम यह नहीं सोचती है दिल्ली की आवाम जो देखती है, उसका नजारा इतिहास में देखा है जब केन्द्र के अन्दर कांग्रेस की सरकार ने तानाशाही अपनाया आपको याद हो जब माननीय अन्ना हजारे की तिहाड़ जेल में कैद कर दिया था नाजायज तरीके से तो हिन्दूस्तान की जनता सड़क पर आई और सरकार को पीछे हटना पड़ा। जब भी तानाशाही आई है, आवाम खड़ी हुई है। अंग्रेजो की तानाशाही आई, आवाम खड़ी हो गई। कांग्रेस की तानाशाही आई, आवाम खड़ी हों गई और अगर भा.जा.पा. हुकुमत तानाशाही करने की कोशिश करती है ये हिन्दुस्तान वो हिन्दुस्तान है जब अंग्रेज बंगला का विभाजन करता है तो पूरा हिन्दुस्तान खडा हो जाता है और अंग्रेजो को कलकता छोड़कर दिल्ली भागकर आना पड़ता है। ये वह हिन्दुस्तान है विविधता है आप इस तरह दिल्ली में करेंगे देश में क्या फर्क पड़ेगा आप दिल्ली में अगर तानाशाही लाने की कोशिश करोगें, तो और लोग भी खड़े होंगे, बिहार भी खड़ा होगा जम्मू और कश्मीर भी खड़ा होगा कर्नाटक भी खड़ा होगा हिन्दुस्तान की आवाम खड़ी होगी। हिन्दुस्तान की सरकार खडी होगी तानाशाही तो बड़े बड़ों की खत्म

हो गई हुजूर। इस लिए मैं कहना चाहता हूं दिल्ली की जनता का ख्याल करिये और आपसे किसी गलती बस यह नोटिफिकेशन आया है कल माननीय गृह मंत्री जी ने कलकत्ता में बोला है कि नहीं ये तो ऐसा है नहीं वैसा है अगर ऐसा लग रहा है मेरा निवेदन है इस नोटिफिकेशन को वापिस ले लीजिए। गलत बात को करके उसे वापिस लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपकी मंशा जिस तरह से आपने 23 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया था 2014 में एंटी क्रप्शन ब्रांच की ताकत को कम करने के लिए दोबारा यह नोटिफिशन जारी करके उसकी ताकत कम करने की कोशिश की है। अगर आपका यही रवैया जारी रहेगा तो दिल्ली की यह सदन दिल्ली की यह विधान सभा चुप नहीं बैठेगी लड़ाई केवल सदन के अन्दर नहीं, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई केवल सदन में नहीं सदन में भी लड़ी जाएगी सवैंधानिक तरीके से लड़ी जाएगी न्यायालय में भी लडी जाएगी और सड़क पर भी लड़ी जाएगी आजादी की लड़ाई के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं और ये लड़ाई केवल दिल्ली में सिमटने वाली नहीं है। क्योंकि ये तो शुरूआत है।

वो एक कहानी थी कि जब वो पहली बार आया एक मजदूर को मारने के लिए, दूसरा नहीं बोला क्योंकि वो उसको मारने नहीं आया। लेकिन जब दूसरे को मारने आया तो तीसरा नहीं बोला। क्योंकि वो उसको मारने नहीं आया जब तीसरे को मारने आया तो चौथा नहीं बोला। क्योंकि उसको नहीं मारने आया था लेकिन एक बार जब आया तो बचाने वाला कोई बचा नहीं था आज जो ये दिल्ली से सरकार कि जिस तरह की बदनीयत से गैर सवैधानिक तानाशाही रवैये की तरह से अधिसूचनाएं आई है। यह दिल्ली तक सिमटने वाली नहीं है यह दिल्ली के बाहर भी देश के अन्य राज्यों को जहां नही जीत पाएगी। भारतीय

जनता पार्टी उन सरकारों को कब्जा करने की नीति का एक शुरूआत है और मैं यह देश के अन्दर देख रहा हूं चारों तरफ हल चल मच रही है। सारे बुद्धिजीवी इस पर चिन्तिन कर रहे हैं। सारे कानूनविद, इस पर चिन्तन कर रहे हैं। देश के सामाजिक चिन्तक इस पर चिन्तन कर रहे है। आवाम भी इस पर देख रही है और इस बात का मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सदन के सारे सदस्यों से दिल्ली के ढाई करोड़ लोगों की महत्वाकक्षा उनकी आकांक्षा की आजादी की गारंटी करना हम सब की जिम्मेदारी है साथियों और यकीन मानों यह ऐतिहासिक क्षण है अगर यह लड़ाई को मुस्तैदी से लड़ोगे लड़ाई केवल धरने देने से नहीं होती कानून की इबादत में जिस तरह का यह नोटिफिकेशन आया है उसके लिए इस सदन के अन्दर मुस्तैदी से खड़ा होना पड़ेगा और सब को खड़ा होना पड़ेगा यह तय करना पड़ेगा कि तय करों किस ओर हो आदमी के साथ हो या किसी के ओर हो यह तय करना पड़ेगा और सारे लोगों को तय करना पड़ेगा। मैं केवल इतना गुजारिश करना चाहता हूं कि आज जो चर्चा है चर्चा में और लोग भी अपनी बात रखेगें। दिल्ली के अन्दर जिस तरह की परिस्थितियां है उसमें दिल्ली के अधिकार को और बढ़ाया जाए। ये आज मौके की मांग है। बताने की जुरर्त न की जाए। क्योंकि अगर कोई सोचता है कि दिल्ली वाले कमजोर है वो पुरानी बात है। पहले आन्दोलन बंगाल से होता था, पंजाब से होता था, बिहार से होता था, महाराष्ट्र से होता था, इतिहास ने करवट लिया है, आन्दोलन अब दिल्ली से होता है हिन्दुस्तान की आकांक्षा का केन्द्र आज दिल्ली है और उस आंकाक्षा की लड़ाई के लिए हम मजबूती के साथ सदन की भावना के साथ हम खड़े हैं। और जो प्रस्ताव सदन में आएं हैं हम चाहते हैं कि इस प्रस्ताव पर सारे सदस्य अपनी सहमति जताएं और एक लोकतंत्र को बचाने की सविधान को बचाने की तानाशाही के खिलाफ इस अभियान में संवैधानिक तरीके से साथ दें। शुक्रिया आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती बन्दना कुमारी।

श्रीमती बन्दना कुमारी : महोदय मैं आपका धन्यवाद करती हूं आपने हमें बोलने का मौका दिया। दिल्ली की सौ दिन की सरकार मुख्य मंत्री जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि जो इस तरीके से पहली बार जनता के लिए केबिनेट बैठी और उसमें जहां भी जा रही हूं लोगों की सरहाना मिल रही है। जिस तरह की कैबिनेट जनता के लिए बैठाई गई। दिल्ली विधान सभा के चुनाव के पश्चात जब मतगणना का परिणाम आया तो सारी दुनिया अचम्भित थी। क्योंकि इतना प्रचण्ड जनादेश बिरले ही किसी पार्टी को मिलना था। विधान सभा की कुल 70 सीटों में 67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने मिसाल कायम की। वो अपने आप में अद्भुत था और कल्पनीय था एवं आछ्रितिय था। तकरीबन 95 प्रतिशत सफलता के साथ इसमें प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के विजय के अश्वमेद्य यज्ञ के घोड़े को पकड़ने का साहस दिखाया, जिसके लिए दिल्ली की जनता के हम आजीवन आभारी रहेंगें। बीते 10 दिनों से ऐसा माहौल बनाया गया कि दिल्ली की सरकार अपने आप में उलझी हुई है। वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज तक उस प्रचंड जीत को पचा नहीं पा रही है। उप-राज्यपाल के माध्यम से आए दिन नया बखेडा खड़ा कर देती है। माहौल को तबब्जों से शायद इसे दिया जा रहा है कि सामने से दिल्ली की जनता ने उसे ऐसी पटकनी दी है कि 32 से 3 पर जाकर सीमट गई परन्तु चोर दरवाजे से इसमें किसी तरह के षडयन्त्र की बू आती है। मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहती हूं, उनको बताना चाहती हूं कि यह सफर सिफर तक आकर सिमट न जाए। इसके लिए हम सबको सावधान होना पड़ेगा। जिस जनता जर्नादन ने हमें दिल्ली की विधान सभा सदन में चुनकर भेजा है, इस आशा के साथ

कि उनके साथ अब न्याय होगा। लेकिन हम यह क्या देख रहे हैं। जनता ने हमें जनादेश दिया है, इसमें उनकी क्या गलती है। परन्तु ऐसा आभास हो रहा है कि केन्द्र की सरकार इन दीन-हीन गरीब जनता के बदला लेने की तैयारी में है और इन बदला लेने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसमें जनता का क्या दोष था। पता नहीं केन्द्र सरकार को यह लगने लगा है कि हमने इन्हें यहां नहीं रोका तो पता नहीं क्या कर देंगे। हमने अपने मैनिफेसटों में किये गए वादों पर अमल करना प्रारंभ कर दिया। हमारी सरकार महज सौ दिन में 70 वादे में से ग्यारह वादे पूरे किये। परन्तु भा.जा.पा.सरकार हमें विफल करने हर संभव प्रयास कर रही है, परन्तु एक बात हम बड़ी सिद्दत के साथ कहना चाहते हैं, भले लाखों बुराइयां हो हम में कभी हमारी बात गलत हो जाए, परन्तु हमारी नीयत, हमारे इरादे, हमारी सोच सही है। जनता की भलाई के लिए हम काम करते रहेंगें, मरते रहेंगें। जनता की भलाई के लिए हम काम करते रहेंगे, मरते रहेंगें। लैंड पालिसी जो दिल्ली सरकार के पास लैंड नहीं हैं, पुलिस नहीं है। हम अपने विधानसभा क्षेत्र में कभी-भी कोई काम के लिए आगे बढ़ते हैं, जनता की भलाई के लिए बढ़ते है तब उस समय हमें इन दोनों चीज का बहुत ही बुरी तरह से सामना करना पड़ता है। जनता की भलाई के लिए शौचालय बनाने की बात करते हैं, जनता की भलाई के लिए कंयूनीटी सेंटर की बात करते हैं, जनता की भलाई के लिए जब-जब हमने लैंड की मांग करी, डी.डी.ए. फ्लैट हमारे एरिया में बहुत सारे बने हुए हैं। लेकिन ना उनके लिए बस टर्मिनल हैं, ना उनके लिए कंयूनीटी सेंटर की सुविधा हैं, ना उनके लिए कोई शापिंग कांम्लैक्स की अच्छी सुविधा हैं और इसके लिए जब-जब दिल्ली के विकास, दिल्ली की जनता की बात करते है तो हमें लैंड़ में बहुत मुश्किल आती है। हमारे एरिया में बहुत सारे डी.डी.ए. के पार्क हैं लेकिन उनकी कोई भी **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वंदना जी शार्ट करिए प्लीज। बहुत लोगों को बोलना है प्लीज।

श्रीमती वंदना कुमारी : पार्क में सुविधा नहीं है इसके लिए। सर मुझे बहुत दिनों बाद और बहुत समय से बहुत सारी बातें कहनी हैं इसलिए में आज थोड़ा आपसे 5 मिनट समय लेना चाहूंगी। यह बहुत ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य की मांग तब-तब की है जब-जब उसे इस मामले में अपनी पालिटिकल ०० मिला है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि जब-जब ये पार्टी विपक्ष में रही तब इनकी मांग की स्पीड दुगुनी हो गई। परंतु सत्ता में आते ही इसने इस विषय पर चुप्पी साध ली। सन् 1998 में बीजेपी के सी. एम. श्री साहिब सिंह वर्मा जी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का एक मसौदा तैयार किया था। श्री वी.के. मल्होत्रा जी, नेता विपक्ष ने वर्ष 2011 में सलाह दी, बीजेपी स्टेट हुड की बात करे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो 2013 में गोवा में हुई थी, ने भी इसका सपोट किया और उस समय बीजेपी प्रेसिडेंट ने का था कि दिल्ली सरकार विकास बाधित हो रही है फुल स्टेट हुड के अभाव में। सारी बातें उन्होंने कही और अभी केंद्र सरकार पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में है। दिल्ली सरकार आम आदमी के हाथ में है। अभी सभी लोग मिलकर अगर हम लोग चाहें तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बहुत ही अच्छे तरीके से 10 दिन के अंदर मिल सकता है और मैं अपने विपक्ष के साथियों से विनम्र निवेदन के साथ यह कहना चाहती हूं जो भी अपनी सरकार केंद्र सरकार को बार-बार दिल्ली के विकास, दिल्ली की जनता के विकास के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अगर पूरी तैयारी के साथ दिल्ली की सरकार से कदम से कदम मिलाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में, दिल्ली की जनता के हित के लिए जो कल उन्होंने

बात कही, जो ताला मारने की, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि एम.सी.डी दिल्ली की जनता की स्लम की जनता की शौचालय में ताला डेली मारती है और हम लोग चुप रह जाते हैं क्योंकि एम.सी.डी अपनी तानाशाही दिखा रही है। इसी तरह से **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब कंकलूड करिए, प्लीज।

श्रीमती वंदना कुमारी : इसी तरह से जब भी किसी भी तरह की जनता की आवाज उठानी होती है तो हमें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने के कारण जनता के विकास का काम हम नहीं कर पातें। तो आप सबसे, सदन के विपक्ष के साथियों से मेरा निवेदन है जो इस दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक साथ हों और एक साथ मिलकर दिल्ली की जनता की आवाज बने। जो छोटी-छोटी चीजों में ये जमीन किसकी है, इसका एन.ओ.सी. कौन देगा और एन.ओ.सी. नहीं मिलती है तो बहुत सारी रूकावट हमारी development के कार्य में आती हैं। तो और साथ ही इस नोटिफिकेशन, केंद्र सरकार से जो नोटिफिकेशन आई है उसका हम सख्त विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से इसको जल्द से जल्द वापस लेने की मांग करते हैं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल जी।

श्री मदल लाल : Thank you, अध्यक्ष महोदय, हमारे लोकतंत्र के दो स्तम्भ हैं एक फेडरल सिस्टम है जो राज्यों और केंद्र के समन्वय एवं संबंध को बताता है। दूसरा है केबिनेट सिस्टम जो चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा कानून बनाने, फैसले लेने और सरकार चलाने की प्रक्रिया को बताता है और यह भी बताता है कि राज्यों से जुड़े फैसले चुने हुए प्रतिनिधि लेगें। हमारा संविधान जुरीडिक्शन

की तीन लिस्ट बयान करता है, एक यूनियन लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है और तीसरी कनकरंट लिस्ट है। जो केंद्र राज्य दोनों उस पर फैसला लेते हैं। हालांकि आई.ए.एस की भर्ती का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है और उसकी ट्रांसफर व पोस्टिंग का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। Council of Minister करती है पर दिल्ली का स्टेटस क्या है। दिल्ली क्या यूनियन टरेटरी है या दिल्ली स्टेट है। Delhi is neither a state nor a union territory, Delhi is governed by a special enactment that is Government of National Capital Territory of Delhi and by article 239 aa of the Constitution and has powered to make laws take decisions in respect of matters except 1,2 and 18 that is Public order Police and Land Article 1 of the Constitution says लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सर्वोपरि है और लोकतंत्र की आवाज दिल्ली में चुनी हुई सरकार के पास है, एल.जी. महोदय के पास नहीं। आर्टिकल 245 और 46 चुनी हुई सरकार को स्टेट से जुड़े हुए फैसले लेने के अधिकार देते हैं और वहीं आर्टिकल 164-165 में माननीय गर्वनर को राज्यों में सरकार बनाने से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। लेकिन राज्यों में भी आई.ए.एस की पोस्टिंग और ट्रांसफर गर्वनर के पास नहीं, बल्कि चुनी हुई सरकार के पास होती है। लेकिन दिल्ली के संदर्भ में आर्टिकल 239 एए में तो एल.जी. को भी ये पावर नहीं है बल्कि केवल ये राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 239 एए के पैरा 4 में भी लिखा है कि अगर एल.जी. और चुनी हुई सरकार में कोई मतभेद हो तो एल.जी. महोदय उस मुद्दे को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और किन्हीं कारणों से अगर एल.जी. available नहीं है और किन्हीं कारणों से अगर प्रेजीडेंट महोदय available नहीं है तो एल.जी. खुद फैसला ले लेंगे। क्या नोटिफिकेशन गलत है, यह बहुत बड़ा सवाल है आज के दिन। आज सवाल उठता

है कि अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से एल.जी. महोदय अपनी मर्जी से चीफ सैकेटरी और अपनी मर्जी से अन्य अधिकारियों को नियुक्त करते हैं तो हमें दिल्ली के सी.एम. or Council of Ministers की रजामंदी ना हो और वो आफीसर्स सदन और दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह न हों तो यह सदन उनको सैलरी क्यों दें। जो खाए किसी और का और काम किसी और का करें **...(व्यवधान)**

सुश्री भावना गौड : अध्यक्ष महोदय, मदन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं बहुत शालीन शब्दों में कहना चाहती हूं अगर **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अल्का जी एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बैठिए-बैठिए प्लीज। जरनैल जी बैठिए, मदन जी, महेन्द्र जी बैठिए, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए एक बार, प्लीज। हां मदन जी जारी रखिए।

श्री मदन लाल : इसलिए **...(व्यवधान)**

सुश्री भावना गौड : अगर इस तरह के काम अगर चलते रहे ये नोटिफिकेशन यहां लाकर के हमारे सर के ऊपर रखा जाता है तो कल को आप ही लोगों ने कर्मचारियों और अधिकारियों की तनख्वाह को पास करना है। तो हम यहां सारे के सारे 67 विधायक खड़े होकर उनकी तनख्वाह पास नहीं होने देंगे।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। देखिए **...(व्यवधान)**

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अरे भाई एल.जी. जी की तनख्वाह आप देते हो क्या, अरे थोड़ा सा समझ लो पढ़ लो भैया। एल.जी. की तनख्वाह आप नहीं देते, **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बैठिए बैठिए ओम प्रकाश जी बैठ जाइये, मैं रोक रहा हूं उनको। विजेंद्र जी बैठ जाइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी ये कार्यवाही से निकाला जाए सारा। ये ऐरोगेंस नजर आ रही है।**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए, बैठ जाइए। नितिन जी बैठ जाइए। हां बैठिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी मेरा ये कहना है कि कार्यवाही में से ये घटना निकाली जाए **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, बैठिए, आप बैठिए दो मिनट। नितिन जी बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : भावना गौड़ जी ने जो बोला हैं उसको कार्यवाही में से निकलवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट बैठिए। उन्होंने कोई अन पार्लियामेंटरी लैंग्वेज नहीं बोली। बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : यह एक प्रकार से उद्दंडता है**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, अब वो भावना है उन्होंने बोली है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये भावना है।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : भावना गौड़ जी ये भावना है आपकी।

अध्यक्ष महोदय : भावना जी बैठिए, भावना जी आप मत बोलिए। अब आप मत बोलिए, नितिन जी बैठ जाइये। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नितिन जी बैठ जाइए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : गलत बोलोगे तो बिल्कुल विरोध करेंगे। निरंकुश हो गए हो आप।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : हमारा काम है, हमारी डयूटी है **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। ओम प्रकाश जी, नितिन जी बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। चलिए मदन जी जारी करिए।

श्री मनीष सिसौदिया-उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है छोटा सा स्पष्टीकरण मैं क्योंकि ..

अध्यक्ष महोदय : मदन जी बैठ जाइये एक सैकेंड।

श्री मनीष सिसौदिया-उपमुख्यमंत्री : माफी चाहता हूं, मदन जी। ये मुझे लगता है जो अभी कुछ लोगों ने उठाया और उसका मिस इंटरपटेशन करके फिर बाहर कुछ और कहेगें इसलिए मैं दोनों चीजें स्पष्ट कर देता हूं। एक तो ये जो नोटिफिकेशन आया है अभी थोड़ी देर पहले मैं दिल्ली सरकार के अपने एक बहुत सीनियर आफीसर के साथ बात कर रहा था और उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, बोले जी आपने एक फिल्म देखी है बहुत पुरानी फिल्म है अमिताभ बच्चन की परवरिश उसमें वो लास्ट में विलेन के अड्डे पर फंस जाता है बेचारा जो नायक है और उसमें दोनों तरफ से दो चक्के चल रहे हैं उसको दबोचने के लिए और दोनों चक्कों में से कीलें निकली हुई हैं। तो आज दिल्ली सरकार उनका ये वर्जन था कि आज दिल्ली सरकार में काम कर रहे अधिकारियों

की स्थिति ये हो गई है कि वो उस फिल्म के हीरों की तरह हो गए हैं बेचारे, मैं बेचारे शब्द किसी गलत संदर्भ में यूज नहीं कर रहा, पर उनकी मनोदशा की स्थिति की तरफ कर रहा हूं क्योंकि ये बार-बार उठ रहा है और उसका मिस इंटरपटेशन ना हो इसलिए मैंने आपसे बोलने की अनुमति मांगी है कि दोनों तरफ से कीलें घुस रही हैं और उसकी जान निकलने को तैयार बैठी है। डरे हुए हैं अधिकारी।

उपमुख्यमंत्री : ...(व्यवधान) एक मिनट बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ओमप्रकाश जी, मंत्री जी बोल रहे हैं ओमप्रकाश जी बैठिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : समन्वय का अभाव है।

अध्यक्ष महोदय : ओमप्रकाश जी, मंत्री जी बोल रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री : समन्वय और सुनने दोनों का अभाव है जी। समन्वय का भी अभाव है सुनने की क्षमता का भी अभाव है। थोड़ा सा धैर्य से सुनिये भी, तो मैं कम से कम इस सदन के माध्यम से सरकार इस सदन को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, इस सदन को कहना भी चाहता हूं कि ऐसी में कोई भी सरकार कोई भी संगठन काम नहीं कर सकता। ये सबसे खतरनाक स्थिति है। और इसीलिये आज हम यहां बैठे भी हैं वरना अगर हमें ये लगता कि अधिकारियों को दंडित कीजिये अधिकारियों को परेशान कर दीजिये तो फिर तो दिल्ली सरकार के पास 50 तरह के अधिकार तो थे ही वहां कर लेते सदन के पास क्यों आये थे क्योंकि ऐसी स्थिति आ गई है कि हम पीड़ा महसूस कर रहे हैं मंत्री हो के। सरकार हो के। अधिकारी पीड़ा महसूस कर रहे हैं कि क्या करें उधर से भी। हम तो फिर भी स्पज के रूप में अपने वाले हिस्से को कर सकते हैं किसी को कोई परेशानी ना हो लेकिन हमने एक जरा सा एक आर्डर किया

तीन महीने पहले जब सरकार बनने के थोड़े दिन बाद एक स्थिति आई थी और एलजी साहब की तरफ से दो वरिष्ठ अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया था खतरनाक स्थिति है वहां से निकली हुई हैं हम करें ना करें हम तो संभालते हैं इधर खड़े हो के वहां से तुरंत अधिकारियों को धमका दिया जाता है डरा दिया जाता है तो आज जो सदस्यों ने कहा मैं सहमत नहीं हूं उससे क्योंकि यहां से मांग उठी जिस पर मैं अपने मंत्री साथियों की तरफ से और इस ग्रुप का नेता, एक वरिष्ठ साथी होने के नाते मैं कह सकता हूं यहां पर ये मांग से हम सहमत नहीं हैं किसी अधिकारी की तनख्वाह काटने की बात ना तो किसी नोटिफिकेशन के दम पर हम दूसरा नोटिफिकेशन जारी करें और उसके बीच में पिसने की बात हो लेकिन interpretation यहां जो जा रहा है कि एलजी साहब की तनख्वाह काटने की बात हो रही है एलजी साहब की तनख्वाह काटने की बात तो कहीं से नहीं हो रही है इस misinterpretation हमारे भाजपरा के साथी ना करें। यहां कुछ सदस्यों ने...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : भावना जी बैठ जाइये, मंत्री जी बोल रहे हैं। अलका जी बैठ जाइये।

उपमुख्यमंत्री : मैं आपकी भावना को ही रख रहा हूं तो यह एलजी साहब को बीच में कहां से ले आये कन्फयूज करने के लिये मुझे नहीं पता। लेकिन कम से कम मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सदस्यों की यह मांग इसको बिल्कुल sense of House में भी ना डाला जाये। कम से कम मैं अपनी पार्टी की ओर से सरकार की ओर से दिल्ली को दिल्ली की जनता को, दिल्ली के कर्मचारियों को, आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है कि कर्मचारी

नोटिफिकेशन की वजह से परेशान रहें या इस तरह का कोई फैसला लिया जाये इसको sense of House में भी ना डाला जाये।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी मंत्री जी ने जो बात कही है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी बार-बार विषयों को डाइवर्ट करेंगें...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, अब हमारे पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं एक बात समझ लीजये आप...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे बोल कैसे रहे हैं...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप कैसे कह रहे हैं बार बार...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी कल आपने मुझे 10 मिनट में 15 बार टोका लोगों ने, मुझे 10 मिनट नहीं बोलने दिया। हमने कहा कोई बात नहीं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये मैं एलाऊ नहीं करूगां ऐसे। मैं बिना बारी के आपको एलाऊ नहीं करूंगा...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी बारी का विषय नहीं है। यह आर्डर क्या है, लीगल है या इलीगल है, मंत्री जी जवाब दें इसका...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने तीन लोगों के नाम लिखकर दिये हैं। विजेन्द्र

जी आपने तीन नाम दिये हैं ना लिखकर के आपकी बारी आयेगी तब बोलियेगा। आप समय को खराब कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी यह आर्डर जो निकाला है सरकार ने क्या कम्पीटेंट अर्थोरिटी से इसको सैक्शन कराया गया है। अप्रूव कराया गया है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने तीन नाम लिखकर दिये हैं।...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मदन जी आप जारी रखिये। मुझे ये सब नाम बुलवाने हैं मेरी ड्यूटी है। मदन जी आप जारी रखिये और शार्ट में बोलिए प्लीज।

श्री मदन लाल : अध्यक्ष जी, मैंने अपने वक्तवय में केवल सरकारी अधिकारियों की बात की थी और ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब स्पष्टीकरण मत दीजिये आगे का लीजिये प्लीज। माननीय मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दे दिया है।

श्री मदन लाल : अध्यक्ष जी, मैं एक और चीज आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सोमनाथ भारती जी ने जो कल प्रस्ताव रखा था और सरकारी संकल्प मैं उसमें amendment की पेशकश करता हूं और उसके पैराग्राफ नं. 1 जो पहला आईटम है पैराग्राफ नं. 7 of the resolution ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह विषय अभी लिस्ट में नहीं है बाद में आयेगा, और जब आयेगा मैं बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री मदन लाल : इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहते हैं कि जो सरकार का नोटिफिकेशन हो वो बिल्कुल रद्द माना जाये क्योंकि उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है और उसे suspect बताया है पूरी बातों को ध्यान में रखते हुये हमें सदन को आज एक फैसला लेना चाहिये के ऐसे किसी भी नोटिफिकेशन को जो न केवल इलीगल है बल्कि लोगों के इनटरेस्ट के खिलाफ है जो सोसाइटी के इनटरेस्ट के खिलाफ है हमें उसको रद्द करवा देना चाहिये। अब मैं पुरजोर से सोमनाथ भारती जी के उस Resolution का समर्थन करता हूं। थैंक यू।

अध्यक्ष महोदय : चौ. फतेह सिंह। बहुत संक्षेप में, प्लीज।

चौ. फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने नियम 89 के तहत माननीय सदस्य श्रीमान सोमनाथ भारती जी द्वारा जो गैर सरकारी प्रस्ताव रखा है उसके संबंध में बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है कि दिल्ली के अंदर इस विधानसभा के माध्यम से चाहे दिल्ली के अंदर ब्रह्मप्रकाश जी ने मुख्यमंत्री के रूप में इस विधान सभा का संचालन किया हो चाहे जब से लेकर और उससे पहले भी इस देश की अंतरिम सरकार भी इसी विधानसभा से चली थी उस समय से लेकर के आज तक यह विधानसभा अपने अधिकारों को लेकर दिल्ली के जनता के अधिकारों को लेकर लगातार संघर्षरत है और यह विधानसभा जब भी दिल्लीवासियों को एक अच्छी सरकार के नाते सुविधाओं को देने का संकल्प करती है तब तब केन्द्र में बैठी सरकार हमेशा इस विधानसभा के अधिकारों में कहीं न कहीं कटौती करने का दुस्साहस करती रही है। आज जिस प्रकार से केन्द्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके इस विधानसभा के अधिकारों में कटौती करने का जो दुस्साहस किया है निश्चित रूप से दिल्ली की जनता में ये संदेश गया है कि

केन्द्र की सरकार दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से 67 सदस्यों वाली ये मजबूत सरकार दिल्ली में आई है तब से केन्द्र की सरकार में बौखलाहट है और उसी बौखलाहट का परिचय देते हुये लगातार दिल्ली के अंदर से सरकार ने संकल्प लिया कि हम दिल्ली के अंदर किसी प्रकार से किसी विभाग में भी भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगें। उस भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिये जिस प्रकार से सरकार ने कदम उठाये एसीबी के माध्यम से जिस प्रकार से सरकार का कार्य आरंभ हुआ तभी से केन्द्र सरकार ने उन कर्मचारियों पर जिन पर नकेल डालने की बात दिल्ली सरकार ने की।

चौ. फतेह सिंह : तभी से ही केंद्र सरकार ने उसे कर्मचारियों पर जिन पर नकेल डालने की बात दिल्ली सरकार ने की और उन उद्योगपतियों पर नकेल डालने की बात की, जिन्होंने इस देश को लूटा है, लगातार लूटने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर नकेल न डाली जाए, इसी प्रकार का इन्होंने यह जो नोटिफिकेशन जारी किया है निश्चित रूप से आज सारे दिल्लीवासी इस बात की भर्त्सना कर रहे हैं, लगातार इस पर टिप्पणी कर रहे हैं लेकिन क्या कारण है कि हम यह नहीं समझ पा रहे कि आज केंद्र सरकार जहां उसे शर्मिन्दा होना चाहिए और शर्मिन्दगी के साथ अपनी क्षमा याचना के साथ इस नोटिफिकेशन को वापस लेना चाहिए बल्कि आज जितने भी ऐसे मामले केंद्र सरकार के माध्यम से इस विधान सभा में प्रहार के रूप में आये वहां पर कई प्रकार के आयोगों ने भी अपनी टिप्पणियां केंद्र सरकार के बारे में की हैं चाहे वो सरकारी आयोग हो, चाहे वो अपना एसआर बोम्बई का आयोग हो, चाहे वो पाहवा कमेटी हो उन्होंने सब ने समय-समय पर कांस्टिट्यूशन को लेकर अपने राइट्स के बारे में दिल्ली विधान सभा के बारे में अवगत कराया है।

अध्यक्ष महोदय : फतेह सिंह जी, कनक्लूड कीजिए।

चौ. फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हर दफा केंद्र सरकार ने चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब दिल्ली की इस विधान सभा में थी तब भी आदरणीय खुराना जी ने अनेकों बार केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए यह बात कही थी कि दिल्ली की जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और इसलिए उस जागरूकता का प्रमाण देते हुए दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 67 सीटें देकर के, इस 67 साल के इतिहास में इस दिल्ली विधान सभा के शक्तियों को और मजबूत करने के लिए जो बहुमत दिया है आज वो वक्त आ गया है कि यह विधान सभा निश्चित रूप से आने वाले समय में अपना स्टेटहुड का दर्जा भी लेगी और जो भ्रष्ट कर्मचारी चाहे केंद्र में है, चाहे दिल्ली में हैं उन सब का पर्दा फाश करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और जो माननीय सोमनाथ जी द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया है इस प्रस्ताव को निश्चित रूप से ध्वनिमत से स्वीकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जयहिंद, जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : एन.डी. शर्मा जी। बहुत संक्षेप में रखिये प्लीज।

श्री एन.डी. शर्मा : धन्यवाद अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का मौका दिया आपने। मैं उस नोटिफिकेशन पर चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं जिस पर कल सोमनाथ भारती जी ने निजी प्रस्ताव सदन पटल पर रखा था कल सदन में हमारे बहुत से साथियों ने अपने विचार सदन के अंदर रखे थे, उन सब तथ्यों को न दोहराते हुए सदन की चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बात हो रही थी नोटिफिकेशन की जो केंद्र सरकार ने असंवैधानिक तरीके से दिल्ली विधान सभा के ऊपर थोपा गया है जिसके द्वारा दिल्ली विधान सभा के अधिकारों को छीनने का कार्य केंद्र सरकार ने किया है। इतिहास गवाह है जब-जब असंवैधानिक तरीके से जनता के

अधिकारों को छीनने की कोशिश इस देश में हुई है तब-तब इस देश की जनता ने सत्ता के पद में अंधे राजनेताओं के घमंड को तोड़ने का कार्य किया है। गुलाम भारत में भी ऐसा होता था, जिसमें वायसराय लंदन के फैसलों को भारत की भोली-भाली जनता पर थोपता था और आज भी आजादी के 67 साल बाद भी ऐसा हो रहा है। जो नोटिफिकेशन दिल्ली विधान सभा पर थोपा गया है वह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। लोकतंत्र की मूल भावना तो लोकतंत्र में लोक यानी जनता सबसे ज्यादा ताकतवर होती है और तंत्र इसका मत होता है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज केंद्र सरकार ने ऐसी स्थिति इस देश में पैदा कर दी है जिससे तंत्र लोक के ऊपर हावी हो रहा है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छे वकील हमारे साथी सोमनाथ भारती जी द्वारा जो निजी प्रस्ताव सदन में रखा गया उसके ऊपर नजर डालते हुए सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, प्रस्ताव के पैरा तीन पर जो यह कहता है गृह मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन बिना संसद की मंजूरी लिए जारी किया गया, जो यह सिद्ध करता है कि यह कदम गृह मंत्रालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उसको जारी किया है, जो कि गृह मंत्रालय की शक्तियों का दुरूपयोग करता है। विपक्षी दल न जाने किस आधार पर इसको जायज ठहरा रहे हैं। लेकिन वही इस देश के नामी गिरामी संविधान के जानकार जैसे कि श्री गोपाल सुब्रमण्यम जी, श्री के.के. वेणुगोपाल जी, श्री राजीव धवन जी, सुश्री इंदिरा जयसिंह जी, विश्वजीत भट्टाचार्य जी, विवेक केतनखाजी इन सब ने जो राय इस नोटिफिकेशन पर दी है वह पूरे तरीके से असंवैधानिक है और अवैध है। साथ ही 25 मई को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऐतिहासिक निर्णय उस निर्णय के अंदर न्यायालय ने राज्यपाल और मंत्री परिषद के संबंधों पर जो व्याख्या दी है वह भी इनको गलत मानती है। इन सब तथ्यों को देखकर यह कहा जा सकता है कि जनता द्वारा प्रचंड

बहुमत से चुनी गई सरकार को गुप्त तरीके से गिराने की साजिश रची जा रही है और राष्ट्रपति शासन के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की जा रही हैं और मैं इस बात को एक कदम आगे जाकर कहता हूं जिस चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की जो साजिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है सब को पता है कौन सी ताकतें उसके पीछे काम कर रही हैं उनके हित में क्या है।

अध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, कनक्लूड कीजिए प्लीज।

श्री एन.डी. शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अति गंभीर विषय पर निष्कर्ष निकालते हुए कहना चाहता हूं दिल्ली की दो करोड़ जनता का नेतृत्व करने वाली विधान सभा के साथ संसद के अधिकारों का हनन कर रहे जो नोटिफिकेशन दिल्ली की जनता की इच्छा के विपरीत जाकर थोपा गया है, प्रधानमंत्री जी जिस संसद को भारत का पवित्र मंदिर मानते है और उसी मंदिर की शक्तियों को धता बताते हुए नोटिफिकेशन जारी करते हैं महोदय जी, प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो सहयोगी संघवाद की नीति की बात करते हैं और देश को 29 पिलर की जरूरत बताते हैं वही दूसरी तरफ वो जनता द्वारा चुनी हुई दिल्ली सरकार की शक्तियां छीन कर उस पिल्लर को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। यह देश के साथ धोखा है, खुद अपने आपसे भी धोखा है और गद्दारी है।

अध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, कनक्लूड करें प्लीज।

श्री एन.डी. शर्मा : सर, एक सेकेंड, मैं कर रहा हूं। महोदय जी, सदन इस तरह से असंवैधानिक तरीके से नोटिफिकेशन को जो कि भारतीय संघीय व्यवस्था को चोट पहुंचाता है हम पूरे तरीके से अस्वीकार करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर बदरपुर विधान सभा की जनता की ओर से इस नोटिफिकेशन को पूरी तरीके

से नकारता हूं और सोमनाथ भारती जी द्वारा रखे गए निजी प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। साथ ही मैं बदरपुर विधान सभा की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारी सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विधान सभा के ऊपर केंद्र ने जो संविधान के इतर रेखायें खींची हैं, उनको मिटाने की हिम्मत दिखाई है। इस देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। जयहिंद, जय भारत। थैंक यू अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, अभी जो कल से चर्चा चल रही है नोटिफिकेशन को लेकर, यह दिल्ली सरकार के अधिकार कम करने की बात हम नहीं चाहते कि दिल्ली सरकार के कोई भी अधिकार कम हो और जैसा कि आज मैंने अखबार में पढ़ा नवभारत के पहले पेज पर उसमें गृह मंत्री ने बड़ा साफ कहा है कि दिल्ली सरकार के किसी भी अधिकार को कम करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं राजनाथ जी का और उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं और दिल्ली सरकार से भी प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली की जनता ने जो आपको इतना भारी बहुमत दिया है, आप दिल्ली की जनता के लिए जो काम हमें करने चाहिए स्कूल का हो, पानी का हो, सीवर का हो, अनअथोराइज बस्तियों का हो या अभी लैंड बिल की बात हमारी माननीया डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि जमीन की आज दिक्कत होती है। मैंने पीछे अखबार में पढ़ा कि हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री थे, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बुलाये और उनसे पूछा लैंड बिल के बारे में। उन्होंने सब ने अंदर यह कहा कि इस बिल को जो कांग्रेस लेकर आई थी 2013 में इस बिल के आने की वजह से किसी भी राज्य में कोई भी काम जहां एक्वायर करके काम करना था विद्यालय

बनाना हो, हास्पिटल बनाना हो उसकी सब को दिक्कत है। ये सभी मुख्यमंत्रियों ने का था चाहे वे बीजेपी के थे या कांग्रेस के थे या अन्य पार्टी के थे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली के भी लैंड बिल का विरोध किया। अभी भावना जी कह रही थी कि हमें लैंड चाहिए। मैं भी कह रहा हूं मेरे यहां विद्यालय नहीं है तो हमें तकरार की राजनीति न अपना कर हमें दिल्ली के हित में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तालमेल बनाकर काम करना चाहिए। यदि हमारी कहीं भी, हमारे विपक्ष के नेता हैं ओम प्रकाश जी बैठे हैं मैं स्वयं खड़ा हूं अगर कहीं भी समन्वय की कमी है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में हम आपके साथ चलने को तैयार हैं और आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं हम सिर्फ चाहते हैं कि दिल्ली की जनता कई बार मुद्दा आता है कि हम 67 हैं आप 3 सदस्य हैं तो मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपको जो ये 67 का बहुमत मिला है ये बीजेपी को वोट आपको नहीं मिला है जो पिछले कई सालों से 15 सालों से लैंड या ट्रांस्फर-पोस्टिंग का कई बार जिक्र चला जो फैक्टरी चल रही थी उसके कारण आपको वोट जनता ने आपको दिया है ना कि बीजेपी का वोट आपको गया है ये कांग्रेस का जो नैगेटिव वोट गया है वो सारा आपको गया है उसके वजह से आप 67 आये हैं जहां तक बीजेपी की वोट का मतलब है बीजेपी का कोई वोट कम नहीं हुआ है जितना वोट बीजेपी को पिछले चुनाव में पड़ा था उतना ही आज मिला है और मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि आपको पब्लिक ने जो इतना भारी बहुमत दिया है उसको आप संभाल कर रखें और दिल्ली की जनता के हित में आप काम करें इसमें 24 घंटे हम आपके साथ हैं धन्यवाद जय हिन्द।

अध्यक्ष जी : श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झा : अध्यक्ष महोदय आपने मुझे इस ऐतिहासिक बहस में बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय कल की चर्चा में विजेन्द्र जी को सुन रहा था और मैं उनसे गंभीर चर्चा की आशा रखता था चूंकि आज इस सदन की ताकत कम करने की बात है बात पक्ष या विपक्ष की नहीं बात इस सदन में बैठे लोगों की है जिनको दिल्ली की जनता ने उनकी आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए भेजा है दिल्ली की जनता हमसे बहुत बड़ी अपेक्षा रखती है परन्तु मुझे उनको सुनकर थोड़ी सी निराशा हुई उन्होंने जारी इस नोटिफिकेशन को declaration कहा इस नोटिफिकेशन में अगर ऊपर पढ़ते तो ये लिखा गया था Ministry of Home Affairs Notification अध्यक्ष महोदय मैं अपनी चर्चा को तीन भागों में बांटता हूं। पहला की legal sanctity क्या है जब मैं इस नोटिफिकेशन को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि "in accordance with the provisions contained in Article 239, NCT Delhi 239 AA में govern हो रही है 239 में कोई नोटिफिकेशन हो ही नहीं सकती इसमें मैं सुब्रम्णयम साहब का कुछ लीगल ओपिनियन देख रहा था और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु मैं सदन के पटल पर रखना चाहूंगा उन्होंने इस नोटिफिकेशन के बारे में अपना ओपिनियन दिया है उन्होंने कहा है कि "in my opinion the President of India will be well advised not to exercise power under Article 239 in relation to territory which is governed by a special Article namely, Article 239 AA of the Constitution." उन्होंने आगे कहा है कि "it is clear to me that sub clause (a) 239 AA (3) does not enable any such Preidential directive. Therefore, the attempt to claim that the

Notification dated 21st May 2015 is under sub-clause (a) of clause (3) Article 239 AA is plainly untenable, illegal and unconstitutional." उन्होंने इस बिन्दु को कुछ ओर क्लीयर किया है उन्होंने कहा है कि "I am also deeply concerned by the manner in which the notification has been issued having knowledge of the procedure by which notifications of delegation are issued by the President that they are placed before His Excellency the President, I do not have a moment doubt that the President of India could not agree to consent to delegate further power to the Lt. Governor as is contained in the notification dated 21st May, 2015." चूंकि ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें ये लिखा गया है कि the President hereby directs that.. उसमें प्रेजीडेंट की consent थी और अगर नहीं थी तो फिर इसकी legal validity क्या है तो मैं सुब्रम्णयम साहब का जो ओपिनियन है मैं उसके साथ हूं और जैसा कल रिज्यूलेशन हमारे Honble Members ने issue किया था कि ये unconstitutional इसको रद्द कर दिया जाये। दूसरी बातें जो सर्विसिज को लेकर थी मैं इस नोटिफिकेशन को पढ़ रहा था और उसमें है and whereas matter related to entry 1, 2 and 18 of the State list being Public Order, Police and Land and entries 64, 65 smd 66 of that list in so far as they relate to entry 1, 2 and 18 as also services falls outside the purview of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. महोदय इसका मतलब ये है कि सर्विसीज को जो entry 41 में है उसको State List से transfer करके Reserved List में लाने की कोशिश की जा रही है। महोदय जो कि unconstitutional है इसके बारे में इंदरा जी ने अपना ओपिनियन दिया है "in my opinion, there is a lack of competence on the part of Central Govt. to issue such A Notification

in as much as this amounts to removal of powers legislate on Services from the State List and has the effect of deleting entry 41 of the State list even though Article 239AA (3) (a) give such powers, it is a axiomatic that no provision of the Constitution can be deleted except by an amendment of the Constitution itself यानि बिना अमैंडमैंट के किसी नोटिफिकेशन के लिए आप किसी इन्ट्री को स्टेट लिस्ट से रिजर्व लीस्ट में ट्रांस्फर नहीं कर सकते यह unconstitional है महोदय ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं की सदन की ताकत इस सदन में बैठे और जो आशा है जनता की उसपर खरा उतरने में थोड़ा समय और लूंगा मैं आपसे। तीसरी सबसे महतवपूर्ण बात की दिल्ली में चुनी हुई सरकार है दिल्ली के अपने Council of Ministers हैं और एल जी साहब को Chief Minister and Council of Ministers की advise पर काम करना होगा। आज अगर जनता इस सरकार को huge mandate से चुनकर भेजी है तो ये अपेक्षा रखती है की जनता की आशाओं पर हम खरे उतरें responsibility हमारी और पावर किसी और की ऐसा नहीं चलेगा although मैं एक provision देख रहा था 1991 NCT एक्ट में कि एल जी बाउंड हैं Council of Ministers, Chief Ministers advise के बिना वो काम नहीं कर सकते except entry 1, 2 or 18 की हम बात कर रहे थे। जब केंद्र में सरकार आई थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था की ना खायेंगे और ना खाने देंगे जनता को बड़ी अपेक्षा थी भ्रष्टाचार कम होगा लेकिन वो आते ही पहला काम किया कि ए.सी.बी. से पावर को prune कर दिया। क्या कर रही थी एसीबी की कुछ मंत्रियों एवं कुछ कंपनियों के खिलाफ एसआइटी उसकी जांच कर रही थी अगर आपकी मंशा वास्तव में ना खाने की ना खाने देने की थी तो आप उसकी पावर को कम नहीं करते उसको ओर मजबूत करते।

महोदय आज एसीबी ने एक एफआईआर दर्ज की एक पुलिस वाले के खिलाफ दिल्ली में सर्वज्ञात है कि पुलिस में भ्रष्टाचार किस कदर है लेकिन ज्यूं ही एफआईआर दर्ज किया गया तो उस एसीबी अधिकारी के खिलाफ पुलिस कार्यवाही करने की कोशिश करी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई कोलर बंद आईएएस आता है तो उसके खिलाफ वो नोटिस कर देते हैं लेकिन जो इतनी बड़ी दुस्साहस जो पुलिस ने की क्यों नहीं उन्होंने नोटिस किया इस दिल्ली के हमारे पुलिस कमिश्नर को अगर वो पुलिस कमिश्नर को नोटिस करते तो दिल्ली की जनता उसके साथ खड़ी होती दिल्ली की जनता तब मानती की उनकी नियत है ना खाने की ना खाने देने की की, हमें उनकी मंशा पे शक है। अध्यक्ष महोदय कम्पीटिशन पोजिटिव होनी चाहिए 100 दिन के अपने काम-काज को हमारे Council of Ministers और माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है हमने बिजली के बिल आधे किये, सरकार ने पानी के बिल कम किये। मेरा कहना केवल ये है कि अगर कम्पीटिशन करना है तो जो दिल्ली की सरकार ने सदन में यहां किया है और जो सैंटर में आपकी सरकार है उसको कहिए किसी तरह काम करे और जनता की इच्छाओं पर खरे उतरे चोर दरवाजे से सरकार के कामकाज को रोकने की कोशिश ना करे। ये नोटिफिकेशन ये कोशिश की जा रही है की सरकार जिस इमानदारी से काम कर रही है जनता की आकांक्षाओं पर खरी उतर रही है उसको चोर दरवाजे से रोका जाये गलत तरीके से रोका जाये अतः मैं हमारे माननीय विधायक श्री सोमनाथ भारती ने जो Resolution लाया है मैं उसके साथ खड़ा हूं और ये जो नोटिफिकेशन आई है एमएचए की ये इलिगल है इसको तुरंत रद्द किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपका।

अध्यक्ष महोदय : श्री कपिल मिश्रा जी,

श्री कपिल मिश्रा : सभापति महोदय, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। समय देने के लिए। मैं इस सदन का ध्यान आज दैनिक जागरण अखबार में छपी हुई उस खबर की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें लिखा है, विजेन्द्र गुप्ता जी का ये बयान छपा है इस अखबार में कि केजरीवाल जी की सरकार को बर्खास्त किया जाये। हमारे मंत्री गोपाल राय जी ने भी इस बात को उठाया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो नोटिफिकेशन पर चर्चा हो रही है और ये जो बयान विजेन्द्र गुप्ता जी का आया है। इसको एक ही कान्टेक्टस में एक ही परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। ऊधर से वो नोटिफिकेशन लाते हैं कि सरकार काम न कर पाये ईधर से ये आवाज लगाकर चिल्लाते हैं कि सरकार को बर्खास्त कर दो। ये भाजपा दिल्ली की सरकार को चलने नहीं देना चाहती क्या। काम नहीं और मैं एक बात कहता हूं। आप इस सदन में बैठे हैं अगर आपको अपने ही सदन पर भरोसा नहीं है तो इस्तीफा दें दें विजेन्द्र गुप्ता। सदन से निकल जायें बाहर। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सदन के अन्दर अपने ही सदन पर भरोसा नहीं है। कहते हैं सस्पन्डेड एनिमेशन में इस विधान सभा को डाल दिया जाये और उपराज्यपाल का शासन लगा दिया जाये। ये विजेन्द्र गुप्ता का बयान है अखबार में।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जब सारे इलीगल काम करोंगे आप। तुम्हारे पर भरोसा नहीं है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी। विजेन्द्र जी, आप बैठिये। विजेन्द्र जी आप सुनने का मादा रखिये थोड़ा सा प्लीज।...**(व्यवधान)** विजेन्द्र जी। नितिन जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये रिजोलूशन भी अनकास्टिट्यूशन...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आपको जब समय मिलेगा आप बोलियेगा। आपने नाम दिया हुआ है न आपको समय दूंगा...**(व्यवधान)** विजेन्द्र जी आप अपने समय का हिसा काट रहे हैं। चलिये नितिन जी। नितिन जी, बैठिये, बैठिये प्लीज ...**(व्यवधान)** नितिन जी, इधर से बात करिये। नितिन जी।

श्री कपिल मिश्रा : सभापति महोदय, मैं ये बात कहना चाहता हूं। एक तो इस पर स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी सदन का एक सदस्य इस सदन को सस्पंडेड एनीमेशन में रखने की बात करता है इस पर स्पष्टीकरण. ..**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आपको बोलने का नाम दिया गया है न। आपने नाम दिया हुआ है न मुझे ...**(व्यवधान)** फिर आप बार-बार औरों को बोलते हो। भाई।

श्री कपिल मिश्रा : साथ में मैं ये बात जोड़ना चाहता हूं। अभी जगदीश प्रधान जी बोल रहे थे और बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने कि भइया मिलजुलकर काम होना चाहिए। हम भी करप्शन के खिलाफ हैं, हम भी साथ में लड़ेगें, लैंड का अधिकार भी मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि तीन लोगों की पार्टी आपस में ही नहीं जानती कि किसको क्या बोलना है। एक कह रहा है कि ये नोटिफिकेशन गलत है लैंड का अधिकार मिल जाना चाहिए, समन्वय से काम होना चाहिए। एक कहता है कि सरकार बर्खास्त होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कंक्लूड करिये आप, नहीं-नहीं। आपका विषय पूरा हो गया है।

श्री कपिल मिश्रा : एक लाईन। एक लाईन कहना चाहता हूं। दुबारा पुनः रिपीट करना चाहता हूं। विजेन्द्र गुप्ता जी, अगर इस सदन में बैठकर सदन

को सस्पेंड करने की मांग करते हैं तो इस्तीफा देकर सदन से बाहर चले जाइए, सदन में आपकी कोई जगह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : चलिये। एस.के. बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गा : अध्यक्ष जी, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया। इससे पहले में अपनी सरकार के 100 दिन के काम जो जनता में जनता को लेखाजोखा दिया है उसके लिए अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी एवं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया जी एवं पूरे मंत्रिमंडल का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। आजतक न किसी ने किया है और न मेरे को उम्मीद है कि कोई गवर्नमेंट ऐसा करेगी, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। दिल्ली की जनता ने ऐतिहासिक जीत दिलाकर आम आदमी पार्टी 67 विधायक जीताकर दिल्ली की विधान सभा में भेजा है। आदरणीय अरविन्द केजरीबाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्रदान किया है। बीजेपी केन्द्र की सरकार दिल्ली की भोलीभाली जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। संविधान में लैंड, पब्लिक आर्डर और पुलिस को छोड़कर बाकी सभी पावर मुख्यमंत्री के अधिकार के क्षेत्र में आती हैं। क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने स्टेनोग्राफर व क्लर्क को नहीं चुन सकता। यह बीजेपी, केन्द्र की सरकार जिसके मुखिया श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं, वो दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं तथा गलत नोटिफिकेशन निकालकर आम आदमी पार्टी की सरकार को काम नहीं करने देना चाहते। ये देश का वफादार बनते है और दिल्ली गवर्नमेंट के साथ धोखा कर रहे हैं। ऊंची दुकान, फीका पकवान। ऐसे कभी इतिहास में नहीं हुआ कि नोटिफिकेशन निकालकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकारों का हनन किया गया हो। ये शर्मनाक

काम केन्द्र की बीजेपी सरकार कर रही है ओर मोदी जी नोटिफिकेशन के माध्यम से एलजी के द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। ये नोटिफिकेशन अवैध हैं तथा संविधान के खिलाफ हैं। हम अध्यक्ष महोदय जी से प्रार्थना करते हैं कि इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाये। सभी लीगल संस्थाओं ने एक ही आवाज में कहा है कि ये नोटिफिकेशन राजनीति से प्रेरित है और इस नोटिफिकेशन से संविधान को कभी नहीं बदला जा सकता और ट्रांसफर-पोस्टिंग एक बहुत बड़ा व्यापार बना हुआ है। इसमें मनमाने तरीके से रिश्वत खायी जाती है और कई किसम के फायदे उठाये जाते हैं। इसलिए केन्द्र की बीजेपी सरकार नोटिफिकेशन निकालकर मुख्यमंत्री के अधिकारों को छीनना चाहती है जो कि दिल्ली की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और समय आने पर दिल्ली की जनता सड़कों पर उतरेगी और केन्द्र की बीजेपी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। हम इस नोटिफिकेशन का विरोध करते हैं और इसको रद्द करने के लिए अध्यक्ष महोदय जी से प्रार्थना करते हैं। इस एसीबी, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके जरिये दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, केन्द्र में शासित बीजेपी सरकार नोटिफिकेशन के जरिये दिल्ली में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। अभी हाल में आनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देकर इनके मुंह पर तमाचा मारा है। हम इस नोटिफिकेशन की निन्दा करते हैं तथा इस नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए प्रार्थना करते हैं। बीजेपी हमेशा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के विषय को मांग करती रही है जब इसकी जरूरत हो तब तो ये लोग कहते हैं कि हम पूरे दर्जा दिलायेंगे, जब इनका काम निकल जाता है तब ये भूल जाते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा क्या होता है। आपसे मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाये और दिल्ली की जनता का जो विश्वास है उसको रखा जाये और

सोमनाथ भारती जी ने जो प्रस्ताव लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। पुनः आग्रह करता हूं नोटिफिकेशन को रद्द किया जाये। जय हिन्द।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। अमानतुल्ला खान जी।

श्री अमानतुल्ला खान : अध्यक्ष जी, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इस अहम मुद्दे पर आपने बोलने की इजाजत दी। इस मरतबा हम लोग 67 विधायक हैं और 67 विधायक सारे के सारे भारी वोटों से जीतकर आयें हैं और लोगों ने हमें इसलिए वोट दिया है कि लोग पानी के मुद्दे से परेशान थे, लोग भ्रष्टाचार से परेशान थे, लोग मंहगे बिलों से परेशान थे, लोग अस्पतालों की हालत से परेशान थे लेकिन अब हम जहां इतने परेशान है हमसे ज्यादा इस नोटिफिकेशन आने के बाद दिल्ली की आवाम परेशान है। ये नोटिफिकेशन दिल्ली की आवाम के साथ धोखा है। अब उनको लगने लगा है, हम जैसे सुबह में लोगों से मिलने का वक्त रखते हैं व हमारे पास लोग आते हैं कि भईया आप अब काम कैसे करोगे। ये नोटिफिकेशन आने के बाद तो आपके अधिकारी आपकी बात नहीं सुनेगें। आप कैसे काम कर पाओगे और जब से ये नोटिफिकेशन आया है, एक अजीब सा रवैया अधिकारियों का देखने को आ रहा है। उनको ये लगने लगा है कि हमारे सर पर तो मोदी जी की सरकार का हाथ है। क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर वहां के मुख्यमंत्री को नजर अंदाज करके क्या मुख्य सचिव को रखा जा सकता है लेकिन दिल्ली में ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था तो हमें अब ये लगता है कि ये जो नोटिफिकेशन है गैर-कानूनी है, दिल्ली की अवाम के साथ धोखा है और इससे ऐसा लगता है कि ये तो एक तालिबानी फरमान है जो इस नोटिफिकेशन की शक्ल में आया है। इसे फोरी तौर से रद्द किया जाये जिससे आवाम को राहत हो। थैंक यू।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रकाश जारवाल जी।

अध्यक्ष महोदय : प्रकाश जरवाल जी।

श्री प्रकाश जरवाल : अध्यक्ष जी धन्यवाद आपका आपने मुझे मौका दिया बोलने का समय दिया मैं आपके माध्यम से सभी माननीय विधायक जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जनता ने हमें प्रचंड बहुमत दिया बहुमत से हमारी सरकार बनायी है 70 में 67 विधायक जीते मगर जो भाजपा उपराज्यपाल जी के माध्यम से सरकार चलाना चाहती है जोकि दिल्ली की जनता के साथ धोखा है जो नोटिफिकेशन केन्द्र सरकार ने जारी किया है इससे इनकी बौखलाहट प्रतीत होती है इन्हें कितना सदमा लगा है जीतने से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जो जीते हैं विधायक सब कोई अपनी नौकरी छोड़कर आया कोई अपना बिजनेस छोड़कर आया है हम इसलिए नहीं आये थे कि नोटिफिकेशन केन्द्र हमारे उपर ऐसे जारी कर देगा हम इसलिए आये थे कि सत्ता परिवर्तन व्यवस्था सत्ता परिवर्तन लोगों का जो 65 साल से काम नहीं हुआ मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं पानी बिजली मैं उस विधानसभा से आता हूं जहां पानी की बहुत समस्या थी मुझे पिछले 5-6 दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है मैं पिछले साल भी विधायक था जब सरकार 49 दिन की रही उसके बाद जो सस्पेंडिड एनिमेशन में सरकार चली पिछले 5 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार वैसे ही चल रही है अब किसी अधिकारी पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है मुझे बड़ा दुख हुआ जब पता चला कि मुख्यमंत्री साहब पीओन, स्टेनोग्राफर की भर्ती भी अब केन्द्र सरकार करेगी बड़ा दुख का विषय है। जनता ने जो हमें वोट दिया है जनता ने जो हमें जिम्मेदारी दी जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही

है आपको याद होगा हमारी सरकार ने एन्टी करप्शन ब्यूरो जब लास्ट ईयर लांच की थी उसका प्रभाव जनता पर अच्छा गया था कोई भी पैसे नहीं मांगता था इस साल फिर लांच की। मुख्यमंत्री साहब ने जो 1031 चालू किया उससे काफी भ्रष्टाचार में कमी आयी। उप मुख्यमंत्री साहब ने 15 अप्रैल 2015 को राजेन्द्र प्रसाद स्कूल का जो निरीक्षण किया वहां प्रिंसिपल के स्टाफ से जो फर्जी बिल पाये गये और जब उसे सस्पेंड किया गया 5 घोस कर्मचारी मिले सभी स्कूलों में भी इसका प्रभाव पड़ा। मैं हाई कोर्ट से जो जजमेंट आया उसका स्वागत करता हूं कि जाने माने संविधान विशेषज्ञों ने के.के. वेनुगोपाल, गोपाल सुब्रह्मणयम, राजीव धवन, इन्दिरा जय सिंह सबने इस नोटिफिकेशन को खारिज किया है और हाई कोर्ट ने भी इस नोटिफिकेशन को संधिग्ध बताया है सस्पेक्ट बताया है मैं यह कहना चाहता हूं कि उपराज्यपाल जी को निश्चित तौर से जनता द्वारा दिया गया जनादेश का सम्मान करना चाहिए तथा केन्द्र द्वारा दिये गये इस अधिसूचना को खारिज करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इसे रद्द करने की मांग भी करता हूं गैर सरकारी बिल जो माननीय विधायक श्री सोम नाथ भारती जी ने रखा था उसका एक प्वाइंट मैं आपको पढ़ कर बताना चाहता हूं "In a democracy, the Parliament of India, through its honourable Members of Parliament, is Supreme and the honourable Members of Lok Sabha and Rajya Sabha are the only authorized persons empowered under the Constitution of India to make changes in the Constitution under Article 368 of Constitution of India. Therefore, the Central Government has sought to encroacch upon the powers of Parliament also through this notification." मैं आपको कहना चाहता हूं कि..

अध्यक्ष महोदय : कनक्लुड करिये प्रकाश जी प्लीज।

श्री प्रकाश जरवाल : अध्यक्ष जी वे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है केन्द्र सरकार द्वारा इससे जनता के अधिकारों को छीना जा रहा है जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं विधायकों से पावर छीनी जा रही है सदन से पावर छीनी जा रही है हमें मैं बस यह कहना चाहता हूं आपसे जो सोम नाथ जी रखा गैर सरकारी बिल उसके समर्थन में यह कहता हूं आपसे कि इस को सदन में रद्द किया जाये खारिज किया जाये धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : राजेश ऋषि जी

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष महोदय आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया है इसके लिए धन्यवाद आज पूरी दुनिया जानती है कि दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार और कुशासन से दुखी होकर 67 सीटो के साथ हमें ऐतिहासिक बहुमत दिया। मैं आज अपने चीफ मिनिस्टर और उप चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे एक वार्ड के अन्दर जहां दस साल से पानी की कमी थी और टैंको की राजनीति चल रही थी उसको दूर किया और आज बिना मोटर के लोगों के तीसरी मंजिल पर पानी चढ़ रहा है मैं इसका धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने पिछले 100 दिनों में बहुत मेहनत और लग्न से काम किया है परन्तु केन्द्र को दिल्ली का विकास रास नहीं आ रहा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केन्द्र सरकार और एल.जी. और अपने तीन विधायकों के माध्यम से दिल्ली में सरकार चलाना चाहती है लोकतंत्र व संज्ञीय ढांचे को तहत नहस करना चाहती है यह दिल्ली की जनता के साथ धोखा है एक तरफ हमारी सरकार दिल्ली की बेहतरी में लगी हुई है वहीं दूसरी ओर केन्द्र की सरकार ऐसे नोटिफिकेशन लाती है जिसके माध्यम से सरकार के अधिकारों को खत्म किया जा सकें। क्या मुख्यमंत्री अपने आफिसर्स और क्लर्क को नहीं चुन सकता यह सवाल आज मेरे यहां पर आये

हुए लोगों ने मुझसे पूछा कि हम आज अखबार में पढ़कर क्षुब्ध हो गये कि किस तरीके से हमारे विपक्ष के नेता ऐसे शब्दों को लेकर के आते हैं जिसके माध्यम से वो हमारे द्वारा चुनी गयी सरकार को धोखे में रखना चाहते हैं और इसको सस्पेंडिंग में लाने की बात की है उन्होंने केन्द्र सरकार का यह हिटलरी फरमान दर्शाता है कि केन्द्र के विकास दिल्ली के विकास और अरविन्द केजरीवाल के भ्रष्टाचार खत्म करने वाली एसीबी कामों से डरकर केन्द्र की सरकार डर रही है और पहले हम सुना करते थे कि दिल्ली के अन्दर पोस्टिंग और नियुक्तियां जो होती है वो पैसे लेकर होती है और थानों का भी नीलामी की जाती है। लेकिन हमारी सरकार ने आकर इसको रोक लगाई इसीलिए सरकार इस समय डरी हुई है केन्द्र की। सरकारी आयोग ने एलजी की नियुक्ति और एलजी की कार्य प्रणाली के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है मैं इस पर जाना नहीं चाहता। आईएएस आफिसर्स की पोस्टिंग के संबंध में साफ लिखा है कि आईएस कैडर रूल 1954 रूल 7(2) के अतंर्गत आईएएस आफिसर्स की पोस्टिंग दिल्ली की सरकार के अधिकारों में निहित है। इस रूल के अनुसार केन्द्र सरकार को आफिसर्स की नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं और इसी कारण से ऐसे कोई भी अधिकार को केन्द्र सरकार राज्यपाल को भी नहीं सौंप सकती। हमारे संविधान के जितने जानकार हैं उन्होंने भी कहा है कि ये नोटिफिकेशन इललीगल व unconstitutional है असंवैधानिक। मैं सोमनाथ भारती जी द्वारा प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस नोटिफिकेशन को संविधान और संज्ञीय ढांचे के विपरीत मानता हूं और इसे रद्द करने की मांग करता हूं, धन्यवाद

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद, श्री अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्त : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपने विचार रखने

का मौका दिया। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा अलग विषयों पर पहले ले जाऊंगा और लास्ट में उसको कनकलुजन करने की कोशिश करूंगा। हमारे पास तीन बड़े विभाग डीडीए, एमसीडी और पुलिस जो कि दिल्ली गर्वनमेंट के अधीन नहीं हैं। उन्होंने अब तक दिल्ली को क्या दिया अगर आप या हम लोग रिकार्ड उठाकर देखते हैं डीडीए के करप्शनस, एमसीडी के करप्शनस और पुलिस डिपार्टमेंट के करप्शनस। ये काप्शनस ये आरटीआई एक्टीविस्टस के द्वारा रिपोर्ट ली गई जिस में उन्होंने पूछा कि एमसीडी वर्सिज दिल्ली गर्वनमेंट। हमें एक रिकार्ड दीजिए और दिल्ली गर्वनमेंट का अगर एक परसेंट उसके अधिकारियों का एक परसेंट करप्शन है तो एमसीडी के 10 गुणा ज्यादा करप्शन में लोग लिप्त है। मैंने कुछ दोटा सा एक डेटा निकाला था इसमें मुझे एक घोस्ट एम्पलाई जिन्हें हम कहते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं बिना काम किए सेलरी ले रहे हैं। वो डेटा मिला उसमें 22853 लोग घोस्ट एम्पलाई पाए गए और उनपर हर साल करीबन 100 करोड़ रुपये का खर्चा उनकी तनख्वाह देने के लिए किया जाता है और ये एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में हो रहा है और जैसा हम सभी जानते हैं एमसीडी दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन नहीं है और आज एमसीडी के मेयर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक साल पहले एमसीडी में कोई लोसेज नहीं थे और आज एक साल बाद जब एमसीडी का हमने चिटठा देखा तो उसमें चार हजार करोड़ रुपये का लोसेज दिखाई दिया। जब हम 49 दिन की गर्वनमेंट छोड़कर गये थे तो वहां पर कोई लोसेज नहीं थे आज चार हजार करोड़ के लोसेज हैं और इस लोसेज का सबसे बड़ा हर्जाना दिल्ली की जनता को, सफाई कर्मचारी को, एमसीडी के कर्मचारियों को भुगतान करना पड रहा है। उनकी तनख्वाहें लेट हो रही हैं, उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही है। इसी तरीके से एक और मैं छोटा सा डेटा लेके आया हूं। अभी गर्मियों के दिन शुरू हो गये हैं और डेंगू और मलेरिया मच्छरों की तादाद बढ़ गई है उनपे मच्छरों

को अगर हम देखें तो ये कोई बहुत विशेष काम नहीं है लेकिन इस काम के लिए 6 महीने के लिए लोगों को नियुक्त किया जाता है और उस नियुक्ति के बाद उनका काम है कि वो...

अध्यक्ष महोदय : अजय जी, कनकलूड करिए।

श्री अजय दत्त : मैं ये कहना चाहता हूं मोटा-मोटा। अगर हम ये जो आरगेनाइजेशन चल रही हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन नहीं हैं उनका दिल्ली में काम करने का तरीका और उनसे हमारा विकास क्या हुआ। मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी उनसे ले पायेंगे और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके के अधिसूचनायें जारी कर रही हैं जिसमें ट्रांसफर, पोस्टिंग दिल्ली गवर्नमेंट के हाथों से चली जायें और वो न रहें। अगर इस तरीके का काम हुआ तो जिस तरीके की व्यवस्था आज एमसीडी, पुलिस और डीडीए में कर रही है जहां घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। अगर ये हुआ तो यहां अनर्थ हो जायेगा। दिल्ली की जनता जो आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद की नजर से देख रही है उनके अधिकारों का हनन होगा और हम विधानसभा के सभी सदस्य ये चाहते हैं कि हम अधिसूचना को रद्द कर दिया जाये, इस पर बात ही न की जाये और आगे कोई भी केन्द्र सरकार या कोई और अथारिटी ये सोचे भी न कि हम दिल्ली की जनता के चुने हुए मेम्बर और सदस्यों की विधानसभा के अधिकारों को कम करने की सोचें। मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस अधिसूचना को रद्द किया जाये। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्यों की अगर सहमति हो तो आधा घंटा चाय का ब्रेक ले लिया जाये। साढ़े चार बजे हम पुनः मिलेंगे, ठीक साढ़े चार बजे।

(सदन की कार्यवाही चाय काल के लिए 30 मिनट के लिए स्थगित की गई)

सदन अपराह्न 4.30 बजे पुनः समवेत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया (श्रीमती वंदना कुमारी) पीठासीन हुईं।

उपाध्यक्ष महोदया : मैं इस सदन में सबसे गरिमामयी पद पर पहली बार बैठ रही हूं अतः इसके लिए इस सदन का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं। श्री ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविंद झा : माननीय उपाध्यक्ष महोदया सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदया जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं इस सदन का सबसे यंगेस्ट मेम्बर हूं और आपने मुझे ये मौका दिया, पहला मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और इस ऐतिहासिक बहस पे सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले एक डेढ़ साल से जो केन्द्र की सरकार हमारे प्रति षडयंत्र रच रही है जिसमें कि तरह तरह से कोशिश कर रही है कि किसी तरह से अड़ंगा लगायें इनको काम न करने दें पहले आपने एक साल से डेढ़ साल तक चुनाव नहीं होने दिया। एलजी महोदय के द्वारा आपने वो सारे संभव प्रयास किये जिससे कि किसी भी तरीके से चोरी छिपे कुछ न कुछ सेटिंग हो जाए कुद न कुछ हो जाए जब उस चीज में आप असफल रहे क्योंकि हम सभी लोगों ने मिलकर के दिल्ली की जनता को बताने का काम किया कि आपका सही मायने में चेहरा कैसा दिखता हैं। आप कहते क्या हो करते क्या हो उसके बाद जब आपने मजबूरी में चुनाव करवाया और दिल्ली की जनता ने जब इस सदन को प्रचंड बहुमत दिया और इस पार्टी को 70 में से

67 सीटें दीं उसके बाद आपकी रातों की नींद खराब हो गई, चैन खराब हो गया। जिसके चलते अब आप सही तरीके से सीधे तरीके से तो आप फाईट नहीं कर सकते तो आप चोरी छिपे तरीके से बैक डोर से फिर से आप षड़यंत्र रचने में लग गये एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है पूरे देश के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं सबके पास कुछ न कुछ ऐसे रेग्यूलेशन होते हैं जिसके तहत वे कानून नहीं बना सकते ठीक उसी प्रकार से दिल्ली प्रदेश के अंदर भी तीन ऐसे क्लाज हैं तीन ऐसे आर्टीकल, तीन ऐसी चीजें हैं जिसमें कि हम कानून नहीं बना सकते हैं जो कि हमारे पास नहीं हैं जिसमें से लैंड है, पुलिस है और पब्लिक आर्डर है। संविधान के अंदर एनसीटी के आर्टीकल के अंदर कहीं यह नहीं लिखा कि सर्विसेज यानि कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है। ट्रंस्फर पोस्टिंग है वो भी केन्द्र की सरकार करेगी। आपने जो अनकास्टिट्यूशनल ये काम करने का काम किया है जो आपने एक नोटिफिकेशन भेजा है इसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और अपना विरोध दर्ज कराते हैं। इस तरह का असंवैधानिक काम आप प्लीज आगे से नहीं करिए और इसको तुरंत खारिज किया जाए। इसको खत्म किया जाए। एक बात मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि पूरे देश के अंदर एक साल पहले जब केन्द्र की सरकार चुनी गई थी और सौ दिन पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी गई आज एसीबी के पावर को कट करने की बात हो रही है। उसके अधिकारों को छिनने की बात कर रही है केन्द्र सरकार। हम आपसे कहना चाहते हैं कि एसीबी ने दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के अधिकारों की रक्षा करते हुए कम से कम 50 अफसरों को गिरफतार करने का काम किया और सौ लोगों को सस्पेंड करने का काम किया और आपकी केन्द्र सरकार ने कितने लोगों को गिरफतार करने का काम किया भ्रष्टाचार विरोध में उसकी भी लिस्ट बता दें विजेन्द्र गुप्ता जी।

उपाध्यक्ष महोदया : श्री ऋतुराज जी, जरा शार्ट में।

श्री ऋतुराज गोविंद झा : लेकिन एक षड़यंत्र रचकर के आप हर उस चीज के खिलाफ काम करना चाहते हैं जो अम्बानी की गर्दन तक पहुंचती हो जो आपके उन चीजों के प्रति पहुंचती हों, हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं कि क्या आप भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हो कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना चाहते हो। जब जब इस सदन के अन्दर अम्बानी की चर्चा होती है। जब जब इस सदन के अंदर किसी भ्रष्टाचारी की चर्चा होती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की चर्चा होती है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती है। हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि Crony Capitalism के बारे में बहुत सालों से पढ़ा हूं बहुत सालों से हम देखते आये हैं सुनते आये हैं लेकिन एक बात तो सही है जी कि एक साल पहले यदि आदानी की संपत्ति में जो कुछ था उसमें अगर एक ही साल में इजाफा हो गया और उसी हवाई जहाज से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हैं तो कुछ तो दाल में काला है जी इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं। साथ में इस नोटिफिकेशन के संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस तरह का जो नोटिफिकेशन है वो इस विधानसभा के अधिकारों को छिनने के षडयंत्र से किया गया है और ये विधानसभा दिल्ली की वो विधानसभा है जिसको दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने चुना है। ये 2 करोड़ जनता का अपमान करने का काम केन्द्र सरकार ने किया है, मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स ने किया है इसका हम लोग खंडन करते हैं पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं साथ ही हम आपसे कहना चाहते हैं जैसा कि विजेन्द्र गुप्ता जी का एक स्टेटमेंट आज अखबार में छपा है ये इनका चेहरा दिखाता है कि इनके मन में क्या है। ये सीधे तरीके से तो फाइट नहीं कर सकते लेकिन ये पीछे के

डोर से षडयंत्र करके इस तरह का षडयंत्र रचना चाहते हैं ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि जैसे दिल्ली के अन्दर इतना बड़ा संवैधानिक संकट पैदा हो गया हो और दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर दो या...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदया : ऋतुराज जी, कन्क्लयूड कीजिये।

श्री ऋतुराज गोविंद झा : अन्त में मैं अपनी बात को कन्क्लयूड करता हूं। मैं आपसे यही कहता हूं कि इस तरह के नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए और मैं अपना विरोध दर्ज कराता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदया : श्री वेद प्रकाश।

श्री वेद प्रकाश : माननीया उपाध्यक्ष महोदया, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पूर्व की सरकारों के भ्रष्टाचारी और तानाशाही रवैये के कारण दिल्ली के भोले भोले लोगों ने 7 फावरी, 2015 को माननीय अरविन्द केजरीवाल जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया। माननीय अरविन्द केजरीवाल जी 95 प्रतिशत लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे और सत्ता में उनको मुख्यमंत्री पद पर बिठाया गया। जैसे ही वे मुख्यमंत्री पद पर बैठे, उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिये। कभी पानी माफ किया और बिजली आधी की। एसीबी का गठन किया। किसानों को चैक और मुआवजे बांटे। भ्रष्टाचार पर जोर-शोर से लगाम लगाई गई। लेकिन केन्द्र में बैठे हुए हुक्मरानों को यह बात रास नहीं आई। उन्होंने 21 मई, 2015 को एक तानाशाही फरमान जारी किया। जिसको अधिसूचना कहते हैं। जिसकी मंशा केवल और केवल दिल्ली की जनता को दिल्ली की सरकार को पंगु बनाने की थी, हैंडीकैप करने की थी और कुछ भी नहीं थी। मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या

यही लोकतंत्र है? यही दिन देखने के लिए दिल्ली की जनता ने आपको दिल्ली की सातों सीटों पर जिताया था? माननय मोदी जी, क्या यह भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्म की बात नहीं है कि 95 प्रतिशत बहुमत लेकर भी एक जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से मुख्य सचिव तो दूर की बात है, अपना चपरासी/प्यून और क्लर्क की भी भर्ती नहीं कर सकता। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, शायद आप भूल गये हैं। आप और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसका हिस्सा 1993 तक मैं खुद होता था। मैंने भी 20 साल तक माननीय विजेन्द्र जी के नेतृत्व में, कभी विजय गोयल जी के नेतृत्व में मांग की थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो। कई बार चोटें भी लगी, हाथ की प्लास्टिक सर्जरी भी हुई। 20 सालों से सपना लेकर पार्टी में जवान हुआ। वहां बैठे है इधर माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी..शर्मा जी। मैं देखता था इनके अंदर एक टीस होती थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे मिले। कई बार बहुत लटठ खये, मैंने भी खाये, इन्होंने भी खाये। लेकिन पता नहीं आज वह करंट कहां गया, आज वह जज्बा कहां गया? जो कि 1993 में जब मैं स्कूल से कालेज से छिपकर धरनों में हिस्सा लेता था, कई बार कपड़े फटे, कई बार शरीर फटा, कई बार लाठियां लगी। और केवल और केवल भाजपा के नेतृत्व में मैंने सभी धरनों को अंजाम दिया। और आज उन्हीं के साथ काम करता हुआ मैंने सोचा था कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आयेंगे और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अगर आप जनता का सच्चा भला चाहते हैं। अगर आप जनता के जनादेश का आदर करते हैं, तो मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि आपका वो पहले का जज्बा, पहले की ताकत दिल्ली को दर्जा दिलाने के लिए कायम नहीं है? मैं सदन के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं जिस राज्य से एमसीडी जो कि दिल्ली की सफाई

करती है, जिस राज्य से डीडीए जो कि दिल्ली का विकास करती है, जिस राज्य से पुलिस व्यवस्था जो कि बहन-बेटियों की रक्षा करती है, कानून की रक्षा करती है और डीडीए के माध्यम से केन्द्र सरकार बाहर के किसान और दिल्ली के किसान का भी शोषण कर रही है। मैं बचपन में देखता था कि हमारे गांव की बहुत बड़ी मल्कियत होती थी। हजारों सैकड़ों बीघे जमीनें होती थीं। लेकिन केन्द्र के षडयंत्र के कारण आज हमारे गांव में आस-पड़ोस के गांव में एक सौ गज का पार्क भी खेलने के लिए नहीं है। क्या यह लोकतंत्र है, मैं पूछना चाहूंगा। दिल्ली के अंदर पुलिस तो दूर की बात है, शिक्षा भी अधूरी है। आज सभी जानते हैं 12वी तक की शिक्षा दिल्ली सरकार के हाथ में है। हुछ टैक्नीकल्स हैं लेकिन दिल्ली विश्व विद्यालय जो विश्व के गिने-चुने विश्वविद्यालयों में जाना जाता है। वहां पर दिल्ली सरकार का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं है। आप खुद बतायें माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, यहां केवल 70 विधायक नहीं बैठे हैं। पूरी दिल्ली ने इन लोगों के हाथ में, इन लोगों पर विश्वास पैदा किया है। ये सोचो कि यहां पूरी दिल्ली बैठी हुई है। एक छोटा मिनी भारत बैठा हुआ है। आज कितनी विडम्बना की बात है। मैंने..

उपाध्यक्ष महोदया : वेद प्रकाश जी, शार्ट में अपनी बात रखिये।

श्री वेद प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, बस 10 मिनट का समय दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदया : 10 मिनट नहीं और भी बहुत सारे साथियों को बोलना है।

श्री वेद प्रकाश : माननीय नरेन्द्र मोदी जी अगर आपको ऐसा ही करना था तो दिल्ली में एक साल में दो-दो बार चुनाव क्यों कराये हैं?

उपाध्यक्ष महोदया : वेद प्रकाश जी, शार्ट में अपनी बात रखिये।

श्री वेद प्रकाश : महोदया, आप बोलेंगी तभी तो बोलूंगा न। माननीय प्रधानमंत्री जी आपको भारत की जनता ने भ्रष्टाचार से दुखी होकर भारत का प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन दुख और विडम्बना की बात है। आपके नेतृत्व में एसीबी यानी एन्टी करप्शन ब्यूरो जिसकी निगरानी दिल्ली सरकार करती है, आप फरमान जारी करते हैं केन्द्र के अफसर जो लूट-खसोट मचायेंगे, उनको कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन दिल्ली का अफसर आपके अंडर आयेगा। केन्द्र के लोगों को नहीं। क्या केन्द्र के लोग दिल्ली में नहीं बैठते? क्या केन्द्र के सभी उफ्तर दिल्ली में नहीं हैं? क्या केन्द्र के सभी मंत्री दिल्ली में नहीं बैठते? तो दिल्ली का स्वरूप क्या है? मुझे समझायें। मुझे अब तक नहीं पता चला। मैं दो दिन से इस सदन में बैठा हूं।

उपाध्यक्ष महोदया : वेद प्रकाश जी, कन्क्लूड कीजिए।

श्री वेद प्रकाश : मैडम एक मिनट प्लीज। उपाध्यक्ष महोदया, ये चौंकाने वाले तानाशाही फरमान आप देना बंद करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली की जनता के खिलाफ ऐसे तानाशाही फरमान जारी न करें। कल मुझे माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी से बहुत बड़ा मंत्र मिला। शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और केन्द्र का सामंजस्य या तालमेल क्यों नहीं है। क्योंकि आप लोग ट्रेडीशनल नहीं हैं। ट्रेडीशनल दो तरह के होते हैं माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी। एक पाजिटिव एक नेगेटिव। ट्रेडीशनल का मतलब है कि भारत की सभ्यता एकता और अखंडता को बनाये रखना। हम वो हैं। लेकिन आप चाहते हैं कामन वेल्थ की 60 रु. की छतरी को 6 हजार रु. का बिल बनाकर बेचा जाये तो हम ऐसे ट्रेडीशनल नहीं हैं। अगर आप लोग चाहते हैं माननीय विजेन्द्र जी, में आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम ट्रेडीशनल बनकर केन्द्र के साथ व्यापार

शुरू कर दें ट्रान्सफर पालिसी का? कृपया मुझे बतायें आपका भी नम्बर आयेगा। दूसरी बात मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। जब आप बीस सालों से रोड पर थे। आप लोग बिल्कुल भारत माता की जय, वन्देमातरम ऐसे ऐसे नारे लगाकर हम जैसे युवाओं को पिटवाते थे। कहीं कहीं कुदवाते थे। मैं कम से कम आपके साथ सैकड़ों बार गिरफ्तारी दे चुका हूं। आपको पता है इस बात का। ..नहीं नही जी मुआवजे की बात नहीं है। बात सच्चाई की है। आप लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी ट्रेडीशनल..

उपाध्यक्ष महोदया : वेद प्रकाश जी, शार्ट में अपनी बात रखिये।

श्री वेद प्रकाश : प्लीज मैडम, प्लीज। अगर हम ट्रेडीशनल नहीं हैं। हम ट्रेडीशनल जनता के साथ धोखा करते हैं? क्या पिछली सरकारों की तरह एससीएसटी का पैसा खा जायें।उसको कामन वेल्थ में लगा दें। भ्रष्ट अफसरों को जेल न हो। क्या हम अम्बानी अडानी से सौदा कर लें कि आपको दिल्ली में एक रुपये के रेट पर जमीन देंगे। मैं आपसे सवाल जवाब करना चाहूंगा। मैंने कल आपके भाषण से एक ही बात पकड़ी थी कि हम आम आदमी के सभी विधायक ट्रेडीशनल नहीं हैं। माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी, हमें ऐसा परम्परावादी नहीं बनना। जो कि जनता का गला घोंटे। जो कि गरीब की ताफ न देखे। जो कि अस्पतालों से दवाई बिक जायें और एक गरीब हर चीज के लिए तरसता रह जाये। ये स्वराज की स्थापना के लिए सरकार बनी है। एक आम आदमी ने, एक गरीब आदमी ने अपना वोट देकर हम सभी को यहां पहुंचाया है। हम तो यहां किसी न किसी तरह से टाइम पास कर लेंगे, आपके कुठाराघात के हमलों से। लेकिन भगवान हमें माफ नहीं करेगा।

उपाध्यक्ष महोदया : वेद प्रकाश जी, शार्ट में अपनी बात रखिये।

श्री वेद प्रकाश : मैं आदरणीय मोदी जी से प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़कर कि आपको कुछ सालों बाद पब्लिक के सामने फिर जाना है और आप जब जाओगे तो आपके पास कुछ जवाब होना चाहिए। कि मैंने दिल्ली के लिए क्या किया है क्या नहीं किया है। मैं मानता हूं कि दिल्ली भारत की राजधानी है। वहां दूतावास, संसद व अन्य सर्वोच्च संस्थाएं हैं। एनडीएमसी को केवल अपने अधीन रखें, हमें कोई एतराज नहीं है। मैं विश्व में अनेक ऐसे देश हैं, जैसे कि आस्ट्रेलिया, अमेरिका कनाडा इत्यादि जहां पर शहर की राजधानी केन्द्र सरकार के अधीन आती है। ज्यादातर विकसित देश आस्ट्रेलिया, वाशिगटन डीसी, कैनबरा और ओटावा में उनकी छोटी छोटी प्रशासनिक राजधानियां बनाई हुई हैं। जिन पर नियंत्रण केन्द्र सरकार का होता है और बाकी शहर, राजधानी क्षेत्र राज्य सरकार का आधिपत्य रहता है। ये क्षेत्र बहुत लम्बे चौड़े नहीं होते और वहां पर केन्द्र और लोकल सरकार में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती।

उपाध्यक्ष महोदया : वेद प्रकाश जी, शार्ट में अपनी बात रखिये। और भी माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री वेद प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया, दो मिनट प्लीज। ऐसे विकसित देशों के उदाहरण पेश करते हुए ऐसी व्यवस्था को अपनाना चाहिए। जहां पर पुलिस, स्वास्थ्य, पुलिस, भूमि, शिक्षा, सैनिटेशन, सुरक्षा इत्यादि अनेक समस्याएं जिन पर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। यहां तक कि न्यूयार्क शहर में भी काफी बड़ी संख्या में दूतावास स्थित हैं और वहां पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय भी स्थित हैं। वहां पर भी लोकल पुलिस की जिम्मेदारी होती है। जिसका प्रबंध केवल मेयर के हाथ में होता है। इसी प्रकार लन्दन में भी लोकल पुलिस विभाग है। इसमें कोई शक नहीं है कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी केन्द्र

सरकार की होनी चाहिए। लेकिन बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए भी हमें फरमान जारी करवाना पड़े, हमें सफाई और स्वीपर को बुलाने के लिए भी केन्द्र में पूछना पड़े तो मैं धिक्कार करता हूं ऐसी केन्द्र की सरकार पर..ऐसे मोदी राज पर जिसको कि एक मिनट भी केन्द्र में प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं है। क्या हम अम्बानी अडानी से सौदा कर लें कि आपको दिल्ली में एक पैसे एक रुपये गज जमीन देंगे। मैं आपसे सवाल जवाब करना चाहूंगा। मैंने आपके भाषण से केवल एक ही बात पकड़ी थी कि हम आम आदमी के सभी विधायक ट्रेडीशनल नहीं है। माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी, हमें ऐसा परम्परा वादी नहीं बनना। जो कि जनता का गला घोटे, जो एक गरीब की तरफ न देखे। जो कि हस्पतालों से दवाई बिक जाए और एक गरीब हर चीज के तरसता रह जाए। ये स्वराज की स्थापना के लिए सरकार बनी है। एक आम आदमी ने एक गरीब आदमी ने अपना वोट देकर हम सभी को यहां पहुंचाया है। हम यहां तो किसी न किसी टाइम पास कर लेगें आपके कुठारघाती हमलों से लेकिन भगवान हमें माफ नहीं करेगा। मैं आदरणीय मोदी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं सदन के माध्यम से।

उपाध्यक्ष महोदया : वेद प्रकाश जी बैठ जाइए आप।

श्री वेद प्रकाश : आपको कुछ सालों बाद पब्लिक के सामने फिर जाना है। और आप जब जाओगें तो आपके पास कोई जवाब होना चाहिए कि मैंने दिल्ली के लिए क्या किया है क्या नहीं किया है। मैं माननीय, मैं मानता हूं दिल्ली भारत की राजधानी है। यहां दूतावास, संसद व अन्य सर्वोच्च संस्थाएं है। एन.डी.एम.सी. के केवल अपने अधीन रखें हमें कोई एतराज नहीं। मैं, विश्व में

अनेकों ऐसे देश हैं जैसे कि अस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा इत्यादि जहां पर शहर की राजधानी केन्द्र सरकार के अधीन आती है। ज्यादातर विकसित देश जैसे अस्ट्रेलिया, वाशिंगटन डी.सी., कैनब्रा और ओटावा में उनकी छोटी-छोटी प्रशासनिक राजधानी बनाई हुई है। जिनका नियंत्रण केन्द्र सरकार का होता है और बाकी शहर एवं राजधानी क्षेत्र पर राज्य सरकार का अधिपत्य रहता है। ये क्षेत्र बहुत लम्बे चौड़े नहीं होते और वहां पर केन्द्र और लोकल सरकार का किसी प्रकार के गवर्नेन्स में कोई समस्या नहीं रहती।

उपाध्यक्ष महोदया : वेद प्रकाश जी सारी।

श्री वेद प्रकाश : हमें ऐसे में ऐसे विकसित देशों को..

उपाध्यक्ष महोदया : वेद प्रकाश जी अभी और भी माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री वेद प्रकाश : मैडम दो मिनट प्लीज। उदाहरण पेश करते हुए ऐसी व्यवस्था को अपनाना चाहिए जहां पर पुलिस, स्वास्थ्य, भूमि, शिक्षा, सैनेटेशन, सुरक्षा, इत्यादी अनेक न्यूयार्क शहर में अनेक समस्याएं जिन पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार की जवाब देही होनी चाहिए। यहां तक की न्यूयार्क शहर में भी काफी बड़ी संख्या में दूतावास स्थित है और वहां पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय भी स्थित हैं। वहां पर भी लोकल पुलिस की जिम्मेदारी होती है जिस का प्रबंध केवल मेयर के हाथ में होता है। इसी प्रकार लंदन में भी पुलिस विभाग है। इसमें कोई शक नहीं है कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होनी चाहिए। लेकिन बहिन बेटी की सुरक्षा के लिए भी हमें...

उपाध्यक्ष महोदया : वेद प्रकाश जी।

श्री वेद प्रकाश : ..से प्रमाण जारी करवाना पड़े। हमें सफाई एक स्वीपर को बुलाने पर भी केन्द्र से पूछना पड़े। तो मैं धिक्कार करता हूं ऐसी केन्द्र की सरकार पर, ऐसे मोदी राज पर जिसको कि एक मिनट भी केन्द्र पर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं है। अतः मैं आप सभी सदस्यों की तरफ से एलान करता हूं। ध्यान रहे विजेन्द्र गुप्ता जी, मोदी जी आम आदमी पार्टी दुःख-दर्द और आन्दोलन की पैदाईश है। आप ये न समझें कि अपने तुगलकी फरमानों से आप हमें दबा देंगे। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। हम रोड़ों पर मिटना भी जानते हैं और मिटाना भी जानते हैं। अतः हम इस फरमान का 21/5/2015 जैसे तानाशाही तुगलकी फरमान का हम विरोध करते हैं, और अनुरोध करते हैं कि परमात्मा आदरणीय नरेन्द्र मोदी को सदबुद्धि दे और आपकी पार्टी को सदबुद्धि दे। ताकि दिल्ली की संस्था का कोई न कोई दिल्ली की जनता का कुछ निवारण हो सके। जय हिन्द। जय भारत।

उपाध्यक्ष महोदया : सरिता सिंह।

श्रीमती सरिता सिंह : Thank you. अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वक्तव्य की शुरूआत कुछ चिन्ताओं से करना चाहूंगी। डीडीए, एम.सी.डी. और दिल्ली पुलिस। पिछले कुछ महिनों से दिल्ली में एक अलग टाईप का आंतक मचा हुआ है। ये नोटिस है जो दिल्ली के ज्यादातर थानों में लगा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहती हूं। थानों में प्रवेश करने वाले आगन्तुकों से नम्र निवेदन है कि आतंकी गतिविधियों व आपकी सुरक्षा के मद्देनजर आप अपना निम्न सामान डिप्टी आफिसर या संत्री को जमा करवाएं। मोबाईल फोन, अन्य इलैक्ट्रोनिक आईटम

एंड डायरी इत्यादि। थानाध्यक्ष मानसरोवर पार्क। 14 फरवरी के बाद दिल्ली में ऐसा क्या हो गया कि आतंकवाद का डर बढ़ गया। वह आतंकवाद कुछ और नहीं एंटी करप्शन ब्यूरो है। जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए आया था। और ये नोटिफिकेशन भ्रष्टाचार को जो खत्म करने आया है, उसके लिए फरमान ले के आया एक हिटलरी फरमान लेकर आया है और ये पूरा सदन इस फरमान के खिलाफ है। एम.सी.डी. की बात करते हैं। आज पूरा दिल्ली, आज दिल्ली के छोटे-छोटे व्यापारी हैं मैं जिस विधान सभा से आती हूं रोहतास नगर वहां छोटे-छोटे व्यापार अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी लिए कुछ कमाने की कोशिश करते हैं, तो वहां के एम.सी.डी. वाले डी.डी.ए. वाले जबरन कन्वर्जन टैक्स लेते हैं। कन्वर्जन टैक्स जिसकी कोई एकाउंटी बिलिटी नहीं है। पार्किंग फीस, रोहतास नगर विधान सभा क्षेत्र में ली जाती है। जहां पर आज तक लोगों के पास पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। मैं सवाल पूछना चाहती हैंः कि यह कन्वर्जन टैक्स, ये पार्किंग फीस ये हाउस टैक्स जो भा.जा.पा. की एम.सी.डी. सरकार ले रही है, ये किसकी जेब में आया है। ये किसकी जेब में गया है। यही रोकने के लिए ए.सी.बी. ने काम करना शुरू किया था। दिल्ली के विकास के लिए अगर दिल्ली की जनता को जमीन चाहिए तो डी.डी.ए. मना कर देती है, कि हमारे पास जमीन है। हम जमीन नहीं दे सकते। तो अध्यक्ष महोदय, आप ये बताइये, क्या दिल्ली पुलिस, एम.सी.डी. और डी.डी.ए. के खिलाफ या उनके उनको एकाउंटेबल बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी किया था जैसा दिल्ली सदन के लिए जारी किया है। ये सवाल है। मैं आपसे माफी चाहती हूं। इस नोटिफिकेशन को मैं केवल एक फर्जी फर्रा कहूंगी। जो बच्चे अपने स्कूल के एक्जामिनेशन में चिटिंग करने के लिए यूज करते हैं। केन्द्र सरकार ने इस फर्रे के माध्यम से दिल्ली की जनता को, इस विधान सभा को चीट किया है, दगा दिया है, धोखा दिया है। बचपन से हम सुनते आते हैं। रघुपति रीत

सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और इस सदन के लोगों ने 2 करोड़ लोगों को वचन दिया था कि जब-जब दिल्ली की जनता के अपमान, दिल्ली की जनता का अपमान होगा, दिल्ली की जनता के सम्मान में कोई कमी आएगी तो हम उनके लिए खड़े होंगें। और आज पूरा सदन। यहां पर केवल 70 विधायक नहीं, दो करोड़ जनता की आवाज है। और उस जनता की आवाज को केन्द्र सरकार तो क्या कोई नहीं दबा सकता। जहां तक मैंने पढ़ाई की थी वहां पे हमेशा ये जाना है that amendment of the Constitution can only be done by the Honourable Parliament तो केन्द्र सरकार ने जो इस नांटिफिकेशन को जारी करके अपनी डिक्टेटरशिप दिखाई है। और संविधान की गुहार लगाने वाली केन्द्र सरकार ने जो संविधान की धज्जियां उठाई हैं, इसका न्याय कौन करेगा, इस पर कार्यवाही कौन करेगा। we always talk about federal structure and decentralization of powers, decentralization तो दूर रहा मैडम जी, केन्द्र सरकार जो दिल्ली विधान सभा और दिल्ली की जनता के मूलभूत अधिकारों को भी छीनना चाहती है। कल बहुत सारे लोगों ने यहां पर पूर्ण राज्य की बात की। आज भी पूर्ण राज्य की बात की। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, लोक सभा चुनाव में माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिल्ली के जापनीज पार्क में जोर-जोर से एलान किया था। मित्रों भा.जा.पा. की सरकार बनाओं। और हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देगें। कहां गया वो वादा। और अगर वो वादा भूल गयें हैं। अगर केन्द्र के पी.एम. अगर हमारे पी.एम. ये वादा भूल गए हैं, तो उनके सातों सांसदों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अरूण जेटली ने एक बात कही थी। आम राय। अगर आम राय बन जाती है तो इस पे बात की जा सकती है। कल हमारे भ.जा.पा. के भाईयों ने भी माना कि पूर्ण राज्य होना चाहिए। आम आदमी के लोग तो पहले से ही इस गुहार में लगे हुए हैं, हमारी मैनीफैश्टों में भी था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने.....

उपाध्यक्ष महोदया : सरिता थोड़ा शार्ट-शार्ट।

श्रीमती सरिता सिंह : माननीय प्रधान मंत्री जी ने जैपनीज पार्क में वादा किया था। तो अध्यक्षा जी आपसे अनुरोध है आज की चर्चा, नोटिफिकेशन, और रेजूलेशन के लिए है। एक नई चर्चा बुलाई जाए। एक ओर चर्चा बुला के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की गुहार को पूरी की जाए। पर अगर केन्द्र सरकार अगर केन्द्र सरकार अगर ऐसा करना चाहती तो वो कभी भी इस नोटिफिकेशन को जारी नहीं करती। केन्द्र सरकार तो एक चीज चाहती है कि यह सदन एल. जी. के पास जाए और एल.जी. से गुहार लगाए कि हमें 20 चपरासी, 15 स्टैनोग्राफर, 12 क्लर्क एक सैक्रेटरी दे दीजिए साहब। दिल्ली की जनता को इसकी जरूरत है। ये करना चाहती है केन्द्र की सरकार। और अगर ऐसा ही करना था तो ये केन्द्र की सरकार को तो दिल्ली में चुनाव क्यों कराया दिल्ली के लोगों के साथ ड्रामा क्यों किया। मैं यहां एलान करना चाहती हूं, कि यहां पे जो लोग बैठे हैं, यहां कुछ पाने या खोने नहीं आए। ये आन्दोलन से जुड़े हुए लोग हैं। इनके पास खोने या पाने के लिए कुछ नहीं है। अपने कैरियर अपने घर-बार को छोड़ के यहां पे आएं हैं। एक नारा जो रामलीला मैदान से जन्तर-मन्तर तक लगता था। आज विधान सभा अपनी इस विधान सभा में इस नारे को गुंजाना चाहूंगी- कि हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। और ये सदन दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए बनी है। ये पूर्ण बहुमत के चुने हुए लोग हैं यहां पे और इन्होंने यह तह किया था न खाएगें न खाने देंगे ओर जो खाने की कोशिश करेगा, उसको जेल भेजेगें। और इसी नियत से आने वाले 5 सालों तक काम करगें। अभी माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी का दैनिक जागरण में जो रिपोर्ट आया कि संसपेंडेड एनिमेशन लेना चाहिए साहब।

तो ये विधान सभा तो संसपेंडेड एनिमेशन में नहीं जाएगी कि आपको शोक है तो आप चले जाईए संसपेंडेड एनिमेशन में। और अभी भी होश में आ जाए भाजपाईयों। आपने हमें अराजक कहा। आपने हमें नकसली कहा। इसी अराजक और इसी नससली को 28 से 67 पहुंचा दिया। और आप जैसे सभ्यवान लोगों को 32 से 3 में ले आई दिल्ली की जनता। तो ये सच्चाई को न भूलि। और अपने प्रधान मंत्री जी को भी ये कहिए दिल्ली की जनता के साथ जो खिलवाड़ होगा। दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है। दिल्ली की जनता को अपने अधिकारों के बारे में पता है। मैं बस ये कहना चाहती हूं, कि आज ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। ये कोई लड़ाई आम आदम पार्टी, भा.जा.पा. या कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई आज इमानदारी और भ्रष्टाचार की है। तय हमें करना है कि हम भ्रष्टाचार के साथ हैं या इमानदारी के साथ हैं। एक चीज कह के मैं कन्कलूड करना चाहूंगी कि दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता हमको सब से प्यारी है ना आने देगें आंच इस बार, न आने देगें आंच इस बार, पूरी तैयारी है। जय हिन्द।

उपाध्यक्ष महोदया : श्री जगदीप सिंह :

श्री जगदीप सिंह : नमस्कार, उपाध्यक्ष महोदया, सबसे पहले आपको मुबारक हो आज आप पहले दिन स्पीकर की कुर्सी पर बैठी हैं। मेरे सारे साथियों ने बड़े अच्छे से कल से विधान सभा में इस बात को रखा है जो एक अनर्कोसटीट्यूशनल नोटिफिकेशन प्रजीडेंट से पूछे बिना, अभी उनकी टेबल पर सिर्फ कंसीडरेशन के लिए गई हुई थी और सीधा उसको नोटिफिकेशन को जारी कर दिया। जो कि बहुत सारे एडवोकेटस ने उसके ऊपर टिप्पणी भी की है। जैसे

कि मेरे दोस्त विजेंद्र गुप्ता जी कल उस नाटिफिकेशन को क्लरीफिकेशन बता रहे थे। उसी कानून में से, उसी कानून की किताब में से मैंने कुछ चीजें निकालकर रखी हैं। जो शायद कुछ केंद्र की सरकार या आप लोग भूल गए होंगे। उस सबसे हटकर कुछ चीजों के ये मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि डैमोक्रेसी जिसके आधार पर हमारा देश चल रहा है प्रजातंत्र। दुनिया में 198 देश हैं जिसमें से 116 देशों ने इसको अपनाया है। इसका जन्म ग्रीक में हुआ और इसको पसंद करके मैक्सिमम देशों ने इसको अपनाया है। Democracy means rule by the people लोगों द्वारा चलाया गया गर्वनेंस। इस गर्वनेंस सीस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जनता एक इलैक्शन करती है जिसमें फ्री फेयर तरीके से वोटिंग की जाती है और जनता द्वारा चुने जाते हैं लैजिस्लेटिव मैम्बर्स जो हम सब सारे यहां बैठे हैं और उससे बनती है एक लैजिस्लेटिव पावार। जो आज ये पावर हमारे बीच में बैठी है और उसी के जनता द्वारा, उस स्टेट को जो है गर्वमेंट गवर्न करती है, रन करती है और जनता की इजाजत से रन करती है।

एक बात मैं और रखना चाहूंगा डैमोक्रेसी जो कि मैजर फोर पीलर्स पर आधारित है, लैजिस्लेचर, जुडीशियरी मेरे भाई मीडिया से यहां पर है और एग्जीक्यूटिव बाडी एग्जीक्यूटिव बाडी जो है वो कैबिनेट और ब्यूरो क्रेसी इन दोनों को एक अच्छी कैमिस्ट्री से, जब कैमिस्ट्री अच्छे तरीके से चलती है तब एक ससैक्सफुल गर्वमेंट चलती है। उसमें एक स्टेट में ग्रोथ पैदा की जाती है और जो हम वादे करके आते हैं उसको पूरा किया जाता है। पर मेरे दोस्तों मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने इस

कैमिस्ट्री को खराब करने की कोशिश की है। एक unconstitutionel एक suspected notification को लाकर ये ब्यूरोक्रेसी ने और केबिनेट ने मुख्यमंत्री के साथ, सबके साथ मिलकर एक कंयूनिकेशन गैप पैदा कर दिया है ताकि एक friction पैदा हो जाए आपस में और कहीं न कहीं जो दिल्ली की प्रगति इतनी तेजी से चल रही है वो रुक जाए। लेकिन...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदया : जगदीप जी, थोड़ा शोर्ट में और भी बहुत सारे साथियों ने बोलना हैं।

श्री जगदीप सिंह : ठीक है जी। मैं बस दो मिनट लूंगा घडी में देखकर, ठीक है जी। लेकिन इस नोटिफिकेशन को जो लेकर आए ये केंद्र में एक उदाहरण दिया है कि जो वो कहते आ रहे थे जो इतने बड़े-बड़े बोर्ड लगा रहे थे कि वो भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे। अच्छे दिन लेकर आएंगे। उसमें खुद ही उन्होंने कालिख पोत दी है नोटिफिकेशन लाकर। मुझे खुशी है कि आज हम 70 लोग यहां बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं। इसके बारे में सोमनाथ भारती जी जो हमारे एम.एल.ए हैं वे एक Resolution भी लेकर आए हैं, बहुत दिल खुश हुआ इस चीज को देखकर, मुझे प्रसन्नता हुई है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार को एक और संदेश देना चाहूंगा कि Honourable Chief Minister, Dy. C.M. Cabinet, सरकार, सरकार का अहम अंग है। इन लोगों को जनता के बीच में जाकर जवाब देना है। इनको कुछ expertise bureaucracy चाहिए वो ब्यूरोक्रेसी को जनता के बीच में जवाब नहीं देना था इन लोगों को जाकर जवाब देना था। तो अपनी मन पसंद के लोगों को ये अपने साथ रख सकते हैं। जिसका एक

उदाहरण ये भी एक है प्रधानमंत्री जब खुद चुनकर आए तो उन्होंने आते ही एक आडिनेश पास किया था। जिसमें उन्होंने नृपेन्द्र मिश्रा को अपना प्रिंसिपल सैकेटरी बनाया था। क्यों पास किया था वो as a Principal Secretary eligible भी नहीं थे लेकिन आपस में जब तक एक आदमी के साथ कैमिस्ट्री नहीं बनेगी तो काम नहीं किया जा सकता। अगर देश का प्रधानमंत्री अपने लिए एक प्रिंसिपल सैकेटरी लाने के लिए आडिनेश पास कर सकता है क्या एक मुख्यमंत्री अपनी मर्जी का चीफ सैकेटरी नहीं पसंद कर सकता। ये कैमिस्ट्री बहुत जरूरी है। इन दोनों की expertise ही बनकर देश को चला सकती है। एक लास्ट बात में कहकर खत्म करूंगा क्योंकि समय की कमी है मैं समझ सकता हूं। डैमोक्रेसी का एक सुंदर प्रिंसिपल है जिस पर हमारा देश सबसे ज्यादा चलता है वो है sovereignty. Sovereignty means Government is free from all the external controls. It should be self-determination, itself rule means rule by the people, स्वराज, जिसके ओब्जक्टिव को लेकर हमारी सरकार शुरु से चलती आ रही है। आजादी के बाद इसी बात को हमने जोर दिया और इस पर हमने कोशिश की कि स्वराज को लेकर आ सके। इस गर्वमेंट को क्यों नहीं स्वराज की भावना से चलने दिया जा रहा है। क्यों ऊपर से इस तरह की नोटिफिकेशन लाई जा रही है जो कि असंवैधानिक है। बड़े-बड़े वकील अभी कल में एक वकील का वक्तव्य पढ़ रहा था, उनका ओपिनियन पढ़ रहा था गोपाल सुब्रमणयम उन्होंने क्लीयरली लिखा है। "when the matter is under the consideration before the highest Constitutional Functionary viz. the President, the President is taking time to examine the matter, then, why seem in appropriate further notification is issued in the name of President. President के नाम पर ऐसा नोटिफिकेशन क्यों किया गया। आप जनता के साथ, आप दिल्ली

सरकार के साथ ऐसी जालसाजियां क्यों कर रहे हैं। मेरे दोस्त आपके माध्यम से एक और बात...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जगदीप जी कंक्लूड़ कजिए।

श्री जगदीप सिंह : हां जी कंकलूड़ कर रहा हूं जी बिल्कुल। दूसरा उन्होंने एक और ओपिनियन दी है कि "The Legislative Assembly shall have a power to make a law for the whole or any part of the National Capital Territory with respect to any of the matter to the State List. उन्होंने क्लीयरली मेंशन किया है कि The State has a opinion. इतने पढ़े लिखे लोग, इतने ला में जो ग्रेजुएटस हैंमास्टर्स हैं वो इस ओपिनियन को दे रहे हैं तो विजेंद्र गुप्ता जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को ये बोले कि ऐसी नोटिफिकेशन ना लाए जहां पर आपस में कैमिस्ट्री है, एक जो दिल्ली प्रगति पर चल रही है वो रुक जाए। बस इतनी बात कहकर मैं बात रखूगा, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।

उपाध्यक्ष महोदया : श्री अखिलेश पति त्रिपाठी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : ये बड़ा गौरव का क्षण है क्योंकि पहली बार अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई महिला सदन में विराजमान हुई है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बधाई देता हूं इसके लिए। क्योंकि यह बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत गंभीर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मौका दिया है क्योंकि जो प्रस्ताव अभी सोमनाथ भारती जी द्वारा लाया गया है वो वाकई में पूरी दिल्ली की ढाई करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया था वो अगर देखा जाए तो संवैधानिक रूप से और वैधानिक रूप से दोनों रूप से

कही भी स्टैंड नहीं करता है। क्योंकि भारत के संविधान का प्रस्तावना जब शुरू होता है संविधान तो उसमें पहले ही कहा गया कि हम भारत के लोग यानि की भारत में सत्ता की सबसे ज्यादा अधिकार जो अंतिम कुंजी दी गई है वो जनता के हाथों में दी गई है और अगर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, जनता के द्वारा बनाई गई विधानसभा के पर कतरने के लिए कोई फरमान जारी होता है, अधिसूचना जारी होती है तो कहीं न कहीं वो कंट्राडीक्शन करता है संविधान के प्रस्तावना से और संविधान का प्रस्तावना एस.आर. बोम्बई मामले में आपने देखा है उसको मूलभूत ढांचे से संबंधित माना गया है और जो भी चीज संविधान के मूल ढांचे से इतफाक नहीं रखती वो विधि संवत, संविधान संवत नहीं मानी जा सकती। आज सुबह जब हम लोग बैठते हैं परडे, सुबह आठ बजे बैठते है- एक बजे तक विधानसभाओं में, सीवर, बिजली, पानी, महिला उत्पीड़न, नशा मुक्ति ऐसे तमाम मुद्दे झेलने को मिलते हैं और अभी आपने देखा कि अतुल गुप्ता जी हमारे एक पार्टी के मैम्बर हैं वो जब डी.डी.ए द्वारा गिराया जा रहा था झुग्गी-झोपड़ी उसको रोकने गए थे। अगर वैधानिक रूप से देखा जाए तो दिल्ली स्पेशल एक्ट वो कहता है कि दिसंबर 2017 तक दिल्ली में कोई भी झुग्गी गिराई नहीं जाएंगी। अगर उस स्पेशल एक्ट के प्रोटक्शन के लिए खड़े हुए थे लेकिन पुलिस ने कहीं भी उसकी वैधानिकता को नहीं देखा और उनको ले जाकर जेल में बंद कर दिया। एफआईआर कर दिया। आप बताइये इसका फैसला कैसे हो सकता है। अगर हमारे हाथ में पुलिस नहीं होगी, अगर हमारे हाथ में डीडीए नहीं होगी, अगर हमारे हाथ में law and order नहीं होगा तो दिल्ली की जनता ने जिन अपेक्षाओं से हमें यहां भेजा है, उन अपेक्षाओं को हम पूरा नहीं कर सकेंगे। हम अपील करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो हम लोगों के अधिकार

से जुड़े हुये मुद्दे यह नहीं है वो दिल्ली की जनता का ध्यान रखें। इसी दिल्ली की जनता ने सात सीटें दे करके उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है आप उनके अधिकारों की रक्षा की बात करिये आज हम लोग किसलिये यहां पर इकटठा हुये हैं क्या अपने अधिकारों के लिए खड़े हुये हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारे हाथों में पावर आ जाये, नहीं हम खड़े हुये हैं इसलिए क्योंकि हम जो वादा किये थे कि हम आपको सही समय पर हर सुविधायें मुहैया करा पायेंगें, उसके लिये हमें विधानसभा से जो पावर मिली थी उसको पूरा करने के लिये आज कहीं हमारी विधानसभा लोकतंत्र के मंदिर के अधिकारों का हनन हुआ है उसको सीमित करने की कोशिश की है हम ऐसे भी नोटिफिकेशन को पूरे तरीके से नकारते हैं और जहां तक चर्चा हुई थी इसलिए पहले कह दिया ज्यादा टकराव की स्थिति बार-बार पैदा करने की कोशिश की जा रही है दिल्ली के राष्ट्रपति द्वारा लगातार Provoke करने की कोशिश की जा रही थी कि आई. ए.एस. अफसर पिस रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है हमारी सरकार में सबसे ज्यादा अफसरों को छूट दी गई है ईमानदार अफसरों काम करने का और आज वो बहुत सुखी है लेकिन इस मुद्दे को टकराव का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है राजनीतिक तरीके से। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदया : अखिलेश जी, थोड़ा शार्ट में।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : संजीव जी ने बताया अभी बता रहे थे, गोपाल जी ने भी बताया कि किस तरीके से हमारे विधिवता जो भी है, विधि कानून जानने वाले लोग है वो किस तरीके से इस जो अधिसूचना जारी की गई है उसे नकार दिया है अगर देखा जाये तो हम लोग कभी कभी रोते हैं बैठ कर के क्या हालत बना दी है दिल्ली की। सबह अगर हम लोगों के पास अगर

अधिकार नहीं होगा तो न दिल्ली में एलजी मिलता है जनता से न दिल्ली में सात सांसद चुने जायेंगे, ना प्रधानमंत्री मिलते हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता का भाग्य कैसे सुधरेगा, कौर सुनेगा उनकी समस्यायें। यह तय करने का समय भी हम अपने लिये खड़े हुये हैं। आज विधानसभा के जो अधिकरों को शुरू किया गया है उसके लिये खड़े हुये हैं तो आज बहुत बड़ा निर्णायक क्षण है हम कुछ सोचें और एक बात अंतिम बोलकर कर के बैठना चाहूंगा मैं विजेन्द्र गुप्ता जी कल चर्चा में कह रहे थे नोटिफिकेशन को उन्होंने अधिसूचना स्पष्टीकरण कहा था और उसमें कहा था कि दिल्ली को अन्य केन्द्र शासित राज्यों के समान उन्होंने गिनती करके गिना दी थी लेकिन आपको पता नहीं है कि दिल्ली अपनी विधानसभा रखने वाली एक विधानसभा है उसकी तुलना पूडूचेरी, दमन और दीव उसके बाद इससे नहीं की जा सकती है। ये पूदूचेरी और दिल्ली एक अलग स्टेटस रखती है उन संस्थापित राज्यों से और दूसरी बात जैसा कि प्रस्ताव में सोमनाथ भारती जी द्वारा लाया गया है कि अगर दिल्ली में 239 ए अगर पार्लियामेंट के द्वारा जो है पास कर के बनाई गई थी दिल्ली एक्ट उसके तहत चलती है तो बिना किसी पार्लियामेंट के सहमति के अगर कोई उसमे कांट छांट या कोई जोड़ तोड़ की जा रही है वो भी विधि सम्मत नहीं है क्योंकि बिना पार्लियामेंट की सहमति के कोई भी संशोधन नहीं लाया जा सकता आर्टिकल 368 ये कहता है और कोई भी चीज अगर राज्स के मामले में आपको जोड़ना है तोड़ना है तो आपको सबसे पहले राज्यसभा में जा कर के प्रस्ताव लाना पड़ेगा और राज्यसभा से प्रस्ताव पारित करा कर फिर लोकसभा में ला सकते हैं और फिर राष्ट्रपति की सहमति के बाद आप इसमें कोई संशोधन कर सकते हैं तो ऐसे संविधान के खिलाफ दिये गये अधिसूचना को मैं पूरी तरह से विरोध करता

हूं और भाई सोमनाथ भारती जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस प्रस्ताव को खरिज कर दिया जाये। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया : श्री महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयल : अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बातें यहां पर अधिकारों की बहुत हुई हैं कहीं पर आम आदमी पार्टी की, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन मैं यहां पर बात करुंगा दिल्ली की पूरी जनता की, यहां पर जितने भी विधायक बैठे हैं ये दिल्ली की जनता के द्वारा चुनकर भेजे गये हैं और इन सभी विधायकों का फर्ज बनता है कि दिल्ली की जनता के हित के बारे में बात करें ना की सत्ता पक्ष की और विपक्ष की बात करें वहां पर आम आदमी पार्टी भी जनता के हितों की रक्षा के लिये आई है और भारतीय जनता पार्टी के जो 32 पहले सीटें होती थी उनमें से तीन विधायक बचकर आये हैं वो भी जनता के द्वारा चुनकर भेजे गये हैं आज आप भी जनता के हितों की रक्षा की बात करेंगे तो कल को परमात्मा भी आप के लिये अच्छा दिन दे सकता है जैसे आज आम आदमी पार्टी के लिये दिया हुआ है। मुझे विजेन्द्र गुप्ता जी से बहुत उम्मीदें थी क्योंकि राजनीति के बहुत मंजे हुये खिलाड़ी हैं लेकिन इनकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ जैसे की अखबार के अंदर चर्चा हुई है कि इस विधानसभा को संस्पेंडेड मोड के अंदर ले के आना चाहिये ये बहुत निंदनीय है अशोभनीय है आपके लिये मैं इसकी घोर निंदा करता हूं आप दिल्ली की जनता के हितों की बात करो ना उनके अधिकारों को छीनने की बात क्यों कर रहे हैं। जैसे कि अभी तक चलता रहा है डीडीए की पावर किसके पास है सेन्टर के पास है पुलिस की पावर किसके पास है सेन्टर के पास है और एमसीडी की पावर किसके पास

है वह सेन्टर के पास है आपके पास है मैं जो यह नोटिफिकेशन आया है इसका पुरजोर विरोध करता हूं यह किसी भी प्रकार से लागू नहीं होना चाहिये और मैं यह प्रति यहीं पर सदन के अंदर फाड़ने की हिमाकत करता हूं। बहुत सी बातें होती हैं आप देख रहे हो भ्रष्टाचार आज किस चरम के ऊपर है जनता जवाब मांगती है।

उपाध्यक्ष महोदया : महेन्द्र जी, कन्कलूड कीजिये।

श्री महेन्द्र गोयल : अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुये कल से वेट कर रहा था, मैं यहां पर इस सदन के अंदर 1993 से 1998 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 1998 से 2003 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन्द्र के अंदर रही बहुत से नेताओं ने आवाज उठाई। यहां पर इस सदन के अंदर 1993 से लेकर 1998 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 1998 से लेकर 2003 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर रही। बहुत से नेताओं ने आवाज उठाई चाहे वो डाक्टर साहिब सिंह वर्मा थे, मदन लाल खुराना जी थे, विजय गोयल जी है, विजय मल्होत्रा जी है, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात की। लेकिन मैं जो देख रहा हूं आज वे सभी के सभी नेता भी साइड लाइन कर दिये गये क्योंकि उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही थी या तो आप अपने मैनीफेस्टो में नहीं लिखते, आपके मैनीफेस्टो के अंदर था कि दिल्ली के अधिकार के लिए उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और दिल्ली की जनता का हक उसको दिया जाएगा। ऐसे झूठे वायदें क्यों करते हैं आप लोग, नहीं करने चाहिए आपको। कांग्रेस ने भी वायदा किया था, आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था। आम आदमी पार्टी आज अपने उस वायदे के ऊपर खड़ी है कि दिल्ली

की जनता को वो अधिकार मिलना चाहिए और पूर्ण राज्य का दर्जा वह दिल्ली की जनता को मिलना चाहिए। या आप यह कहिये, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा मैं नेता प्रतिपक्ष से कि आपने जो वायदा किया था या तो आप कहिये कि वो वायदा झूठा था हम दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे थे या आप कहिये कि वो वायदा सच्चा था तो आप दिल्ली की जनता के हक के लिए आम आदमी पार्टी के सदस्यों के साथ, इस सरकार के साथ खड़े होकर गृह मंत्री के पास चलिये और प्रधानमंत्री के पास चलिये और दिल्ली को हक दिलाकर रहिये। जगदीश प्रधान जी ने आज बात कही, बहुत अच्छी लगी कि हमें सभी को साथ मिलकर रहना चाहिये। आपने भी कल बात कही थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए उसके लिए हमें बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए उसके लिए हमें एकजुट होना चाहिए। हमें जितनी भी बातचीत रखनी चाहिये अपने लिए एक बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से रखनी चाहिए और रख रहे हैं आपके सामने।

कल एक और बात आयी थी हिटलर की। मैं भी कहता हूं कि हिटलर नहीं कहना चाहिए प्रधानमंत्री साहब को। मैं बताता हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं हिटलर किसी भी बात के लिए कहीं पर भी मरने मिटने के लिए तैयार होता था सामने वाले को मारने की हिम्मत रखता था लेकिन यहां पर पाकिस्तान यदि धमकी देता है तो हमारे प्रधानमंत्री कभी फ्रांस भागते हैं, कभी जर्मनी भागते हैं, कभी यूएसए में भागते हैं। यहां पर हमारे मुफ्ती मोहम्मद जी ठीक हमारे प्रधानमंत्री के सामने बोलते हैं पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, अलगाववादियों की तारीफ करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी उसको चुप सा सुन जाते हैं और उसके वाद कभी अमरीका में होते हैं नहीं कहा उन्होंने कभी भी, मैं तो कहता हूं उनको दब्बू

इंसान कहना चाहिए, डरने वाला इंसान कहना चाहिए हिटलर तो बहुत बड़ा ताकतवर व्यक्ति था। मैं यह बात भी कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदया : महेंद्र जी, शोर्ट कीजिए।

श्री महेंद्र गोयल : अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि अपने हक की लड़ाई के लिए हम लड़कर रहेंगे और जो वह नोटिफिकेशन हुआ है इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सोमनाथ भारती जी ने जो अपना प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं कहना चाहूंगा नेता प्रतिपक्ष से-

नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे,

सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे और

कस्ती को बदलने की जरूरत नहीं मेरे साथियों,

इसका रुख बदले तो किनारे बदल जाएंगे।।

उपाध्यक्ष महोदया : महेंद्र जी, बैठ जाइये।

उपाध्यक्ष महोदया : और मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी कहना चाहूंगा-

कुछ चलते हैं पग चिह्नों पर,

और कुछ पग चिह्न बनाते हैं,

पग चिह्न बनाने वाले ही,

वंदनीय हो जाते हैं, वंदनीय हो जाते हैं।

इन्होंने जो भी वायदे किए थे दिल्ली की जनता के साथ उनको पूरा करने के लिए ये दृढ़ संकल्प है और ऐसे कोई भी नोटिफिकेशन आएंगे तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे और पूरा का पूरा सदन इस बात का समर्थन करता है। जयहिंद, जयभारत।

उपाध्यक्ष महोदया : श्री दिनेश मोहनिया जी।

श्री दिनेश मोहनिया : माननीया उपाध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की इजाजत देने के लिए। यह चर्चा कल से चल रही है और लगातार सदस्यों के द्वारा यह बोला जा रहा है कि भई यह नोटिफिकेशन है वो अवैध है, असंवैधानिक है, मैं यह मानता हूं लेकिन इस असंवैधानिक नोटिफिकेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह केवल हमारे अधिकारों को कम नहीं कर रहा, केवल इस विधान सभा के अधिकारों को कम नहीं कर रहा बल्कि दिल्ली की जनता के साथ भी बहुत बड़ा धोखा कर रहा है क्योंकि यह विधान सभा वहां के सदस्य सब जनता के प्रति जवाबदेह हैं, वो जनता के वोट से चुनकर आये हैं और उनके काम करने के लिए बने हैं और दिल्ली की जनता ने जिन उम्मीदों के साथ इस पार्टी को इतना बड़ा प्रचंड बहुमत दिया है, यह नोटिफिकेशन उस जनता के साथ धोखा है। क्या दिल्ली की जनता ने इस पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत इसलिए दिया था कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से शासन चलाये। उस उपराज्यपाल जिसकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है और जो चुनी हुई सरकार को ओवर-रूल करें और जो सदस्य हैं उनको जो कम करने की शक्तियां संविधान के द्वारा मिली हुई हैं उनको कम करें। सदन के माध्यम से मैं यह भी जानने को उत्सुक हूं कि जो उपराज्यपाल जनता के प्रति किसी भी तरह से जवाबदेह नहीं है, किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है वो किस प्रकार जनता के भले के लिए काम करेंगे।

वो केवल केंद्र के प्रति जवाबदेह है तो वह निश्चित है कि वो केंद्र के ही काम करेंगे। इसका मतलब केंद्र सरकार परोक्ष रूप में दिल्ली का शासन चलाना चाहती है।

माननीय अध्यक्षा जी, मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा कि यह जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के द्वारा आया है जो कुछ बातें एसीबी के बारे में भी कहता हूं वो न केवल संविधान के मूल सिद्धांत के खिलाफ है बल्कि संविधान को बिल्कुल उल्टा खड़ा करने की कोशिश की गई है, उसमें। किसी भी जांच एजेंसी का अधिकार क्षेत्र राज्य की सीमाओं से तय होता है जैसे हरियाणा पुलिस है तो उसका स्टेट की जो सीमायें हैं उससे उसका अधिकार क्षेत्र तय होता है। महाराष्ट्र पुलिस है लेकिन केंद्र सरकार एक नई परिपाटी शुरू कर रही है, एक नई परमपरा शुरू हो रही है कि उसमें अब राज्य की सीमाओं से यह तय नहीं होगा कि उसकी जांच का अधिकार क्या होगा, उसके अधिकार क्षेत्र क्या होंगे बल्कि आरोपी के पद से यह तय होगा कि...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदया : दिनेश जी, थोड़ा शोर्ट कीजिए।

श्री दिनेश मोहनीया : बल्कि आरोपी के पद से यह तय होगा कि जांच एजेंसी के दायरे में वो आता है कि नहीं आता है। यह जिस तरीके का नोटिफिकेशन है इसमें आरोपी के पद के हिसाब से यह तय होगा कि जांच एजेंसी उसकी जांच कर पायेगी या नहीं कर पायेगी। इसका मतलब जो संविधान ने सब को एक बराबरी का हक दिया है उसके भी खिलाफ जाता है ये। मैं यह जानना चाहता हूं केंद्र सरकार जो काम सीबीआई और सभी जांच एजेंसियों के माध्यम से भी नहीं कर पा रही थी, दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों वो एसीबी के माध्यम से काम किया

है। आखिर भाजपा सरकार की मंशा क्या है, प्रधानमंत्री जी जो भ्रष्टाचार से लड़ने का वायदा करते थे और उन्होंने नारा दिया था कि ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा लेकिन मुझे लगता है कि जो एसीबी के साथ हो रहा है उसके हिसाब से उनका नया नारा होना चाहिए खाऊंगा भी, खिलाऊंगा भी और खाने वालों को बचाऊंगा भी। लेकिन यह सब देखने के बाद यह लगता है कि इतनी छटपटाहट क्यों है केंद्र सरकार इतनी परेशान क्यों है क्योंकि जिस प्रकार की सरकार पिछले दिनों से चल रही है। पिछले 100 दिनों में जितना कुछ हुआ है और पिछले जो 49 दिनों में हुआ था, 49 दिन की सरकार के कामकाज का नतीजा ये था की जो हमारे भाजपा के जो सदस्य थे वो 32 से 3 रह गये और उन्हें लग रहा है कि अगर ये सरकार 5 साल चल गई तो ये ना केवल दिल्ली में बल्कि केंद्र में भी शायद तीन पर आ जायेगी। अध्यक्ष महोदया आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि दिल्ली को जो पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग थी वो भाजपा ने ही सबसे पहले रखी थी और भाजपा ने हमेशा जब भी वो विपक्ष में रहे हैं तो इस मांग को पुरजोर ढंग से उठाया है, लेकिन में सदन को बताना चाहूंगा शब्दों पर ध्यान दीजिए जब वो विपक्ष में रहे हैं क्योंकि सत्ता में आते ही भाजपा अपने वादे भूल जाती है और सत्ता में किये वादे, चुनाव में किये वादे इनको जुमले लगने लगते हैं इसके कुछ उदाहरण हैं सन् 2011 में भाजपा के नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने भी ये पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा था की ये पूर्ण राज्य की मांग सन् 1956 से चली आ रही है लेकिन अभी तक उसपर कुछ नहीं हुआ है। पिछले लोकसभा चुनावों में भी भाजपा के घोषणा-पत्र में था की वो

पूर्ण राज्य का समर्थन करना चाह रहे हैं और उसके जीतने के बाद इसी सदन के सदस्य रहे माननीय दिल्ली के सांसद हर्षवर्धन जी ने प्रैस कसन्फ्रैंस करके ये कहा था कि केंद्र सरकार को सबसे पहला काम ये करना चाहिए दिल्ली की जनता के लिए वो कुछ करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दें लेकिन जिस प्रकार का ये तानाशाही नोटिफिकेशन लाया गया है उसको देखकर तो कही नहीं लगता की वो ये चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले बल्कि चुनी हुई इस विधान सभा को जो अधिकार मिले हुए हैं ये उन अधिकारों को छीनने का प्रयास हो रहा है। कल दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए एक दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए एसीबी को जो ताकत दी है और उसे कहा है। कि वो अपने पूरे अधिकारों के लिए कार्यवाही करे। लेकिन ये नोटिफिकेशन उसको भी रोक रहा है तो मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा होने का प्रयास कर रही है। मैं भाजपा के मित्रों में एक और चीज कहना चाहूंगा की आखिर 16 साल बहुत लम्बा समय होता है और सत्ता से दूर रहने का एक दुख है उनके लिए लेकिन परोक्ष रूप से सत्ता हथियाने की कोशिश ना करें।

उपाध्यक्ष महोदया : दिनेश जी शॉर्ट कीजिए।

श्री दिनेश मोहनिया : बस खत्म कर रहा हूं। वो संविधान की अनदेखी कर और संविधान की हत्या कर जो पीछे से परोक्ष रूप से सत्ता को चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए और इस कोशिश को ये सदन कभी भी सफल नहीं होने देगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नोटिफिकेशन ना ही असंवधानिक है बल्कि ये सदन की भावना और इस विधान सभा को जो

अधिकार मिलें हैं उनको भी कम करता है तो मैं इस नोटिफिकेशन का विरोध करता हूं और माननीय भारतीय जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया : श्री सुखबीर दलाल जी।

श्री सुखबीर दलाल : मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिल्ली की राजनीति में पिछले 50 वर्षों से कांग्रेस और बीजेपी जो करती आई है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। दिल्ली में पहली बार 1967 में दिल्ली में महानगर परिष्द गठित हुई और उस समय जनसंघ सत्ता में आई विजय कुमार मल्होत्रा जी उसके कार्यकारी पार्षद बने क्योंकि जनसंघ ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वायदा किया था उसको पूरा करने के लिए विजय कुमार मल्होत्रा के नेतृत्व में महानगर परिषद से प्रस्ताव पास किया और केन्द्र सरकार में भेजा गया लेकिन वो किसी कारणों से वहां पास ना हो पाया लेकिन उसके बाद भी जब भी जनसंघ 1972, 1977, 1983 तक अपने हर घोषणा पत्र में पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए मांग करती रही लेकिन दुर्भाग्य से वो तब भी पास नहीं हुआ लेकिन 1991 में हमारी भारत की संसद द्वारा दिल्ली को विधान सभा का दर्जा आधा-अधूरा राज्य देकर किया गया जब 1993 में विधान सभा के पहले अलैक्शन हुए तो बीजेपी सत्ता में आई और मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना जी बनाए गये उन्होंने एक साल बाद मुझे आज भी याद है अपनी साल गिरह मनाने के लिए तालकटोरा में एक समारोह किया उस समारोह में अतिथि के तौर पर माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उस समय प्रतिपक्ष के नेता होते थे और तत्कालीन उप-राज्यपाल पी.के. दवे दिल्ली के उप-राज्यपाल होते थे वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने

तालकटोरा स्टेडियम में एलान किया था अगर हम सत्ता में आये तो हम दवे साहब का प्रमोशन कर देंगे और इनका उप शब्द हटाकर राज्यपाल बना देंगे क्योंकि उन्होंने कहा था की दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हो जाएगा तो यहां पर राज्यपाल होंगे तब हम दवे साहब कर प्रमोशन कर देंगे तब भी जब 1998 से 2003 तक भाजपा केंद्र में शासित हुई तब माननीय आडवाणी जी ने एक प्रस्ताव रखा उसमें रखा गया एनडीएमसी और cantonment area को छोड़कर बाकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दें लेकिन तब भी कोई बात नहीं बनी। लेकिन मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जब भाजपा 1993 में 1998 में, 2003, 2008 और 2013 तक अपने लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांगती रही और 2015 के लोकसभा चुनाव में भी पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने की बात कही लेकिन 2015 के इलैक्शन में उन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इनके पूर्वज बीजेपी के माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, साहब सिंह वर्मा, मदनलाल खुराना जी और हर्षवर्धन जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी उनके दिल में कहीं न कहीं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात बहुत टसक के साथ उन्होंने अपने प्रयास भी किये लेकिन आज वो सभी नेता इस मुद्दे पर अपने घरों में दुबके बैठे हैं, आज उनकी बीजेपी में कहीं सुनवाई नहीं होती और बीजेपी की सत्ता किन्हीं तानाशाहों के हाथ में आ गई और उन तानाशाहों ने केंद्र सरकार में लोकसभा का इलैक्शन जीतने के बाद अपने मैनीफैस्टो से 2015 में लोकसभा का इलैक्शन जीतने के बाद पूर्ण राज्य के दर्जे का नाम ही हटा दिया जिसका दिल्ली की जनता ने पूरजोर विरोध किया और बीजेपी को 32 से 3 सीटों पर लाख खड़ा कर दिया तो इसी से लगता है कि बीजेपी के जो पूर्वज थे उनके दिल में जो जगह थी आज के जो तानाशाह हैं वो दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाकर उनसे यह कर रहे हैं की दिल्ली

को पूर्ण राज्य का दर्जा ना दें। आपके माध्यम से मैं अरुण जेटली जी के उस ब्यान को भी सदन में रखना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए आम सहमति की जरूरत है सभी दलों की मैं अरुण जेटली जी से पूछना चाहता हूं अरे भूमि अधिग्रहण का बिल जो भारत की 125 करोड़ जनता को गृसित करता है उसमें तो आपने आम सहमति की जरूरत नहीं समझी और एक अध्यादेश को लाकर उसको पास कर दिया लेकिन जहां दिल्ली की जनता के अधिकारों की बात है वहां सवा करोड़ जनता की बात है उसको देखकर आप आम सहमति की बात करते हैं मैं सदन के माध्यम से ये गुजारिश करता हूं भगवान श्री अरूण जेटली साहब को सद्बुद्धि दे और दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ ना करें इसी के साथ मैं अरुण जेटली साहब से गुजारिश करता हूं आप भारत की संसद में एक बार पूर्ण राज्य का बिल लाकर देखें उससे पता चल जायेगा की किसकी सहमति है किसकी नहीं है क्योंकि जब वहां कोई विरोध करेगा तो दिल्ली की जनता को पता लग जायेगा आप पार्टी विरोध कर रही है, कांग्रेस कर रही है बीजेपी कर रही है और आपकी नीयत का भी पता लग जायेगा और इसी के साथ में अंत में एक चीज कहूंगा की कल हमारे बीजेपी के प्रतिपक्ष के नेता विजेन्द्र भाई जी ने कहा की मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पहले भी पक्ष में था आज भी उस पर कायम हूं तो मैं इसी बात से अगर उन्होंने ये कहा की सत्ता पक्ष के आदमी उसको सही तरह से नहीं कर रहे सही दिशा में नहीं कर रहे मैं भी इनसे थोड़ा बहुत सहमत हो सकता हूं क्योंकि जब कोई बहस होती है तो उसमें गर्मा-गर्मी तो हो ही जाती है लेकिन हम सब जब इनकी भी नीयत यही है और हमारी भी नीयत है की दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाये तो इसमें कोई दो राय नहीं हैं और मुझे याद है इस विधान सभा में जब मैं पहले दिन आया।

अध्यक्ष महोदय : सुखबीर जी शॉर्ट कीजिए।

श्री सुखबीर दलाल : एक मिनट और लूंगा। पहले दिन मैं आया तो मुझे विजेंद्र भाई साहब के साथ चाये पीने का मौका मिला और बातों-बातों में यहीं पे चर्चा हुई और उसमें पूर्ण राज्य की बात हुई तो मैंने इनसे पूछा विजेन्द्र भाई मैं आपको पहले से तो नहीं जानता था पर आप ये बताएं आपकी क्या राय है उन्होंने जो कल राय बताई थी उस दिन भी यही कहा था की भाई हम पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए हम आपके साथ हैं और मेरी सहमति है और बातों-बातों यही पे एक चर्चा हुई और उसमें पूर्ण राज्य की बात हुई। तो मैंने इनसे पूछा-विजेन्द्र भाई, मैं आपको पहले से तो नहीं जानता था आप ये बतायें आपकी क्या राय है। उनहोंने जो कल राय बतायी थी उस दिन भी मेरे से ये कहा था कि भाई हम पूर्ण राज्य दर्जा के लिये आपके साथ हैं और मेरी सहमति हैं। मैंने इनको बताया अगर ये चीज आप दिल से कह रहे हो तो एक दिन वो आयेगा जब दिल्ली विधान सभा में 70 के 70 विधायक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का बिल पास करके प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजेंगें और दिल्ली की विधान सभा के ऐतिहासिक होगा और दिल्ली की जनता के लिए भी ऐतिहासिक होगा जो एक गिनीज बुक में लिखा जायेगा 100 परसेन्ट। तो तब उन्होंने पल्ले दिन जब कल जब इनकी बातों से मुझे ये लगा और आज अखबार के भी कहने से मुझे ये लग रहा है कि विजेन्द्र भाई ऊपर पर से कुछ बोल रहे थे और शायद नीचे से मुझे कुछ नहीं पता, हो सकता है अभी भी जब मैं ने जगदीश भाई की बात सुनी तो फिर मेरे दिल में कल वाली बात जगी कि दिल में तो इनके भी कहीं न कहीं है और मुझे लगता है, ये इस प्रस्ताव में हमारा साथ देंगे और मैं आशा करता हूं कि हमारे 70 विधायक इसका

पुरजोर से समर्थन करेंगे और कल 21 तारीख को जो गृह मंत्रालय से अधिसूचना जारी की गयी है उसको रद्द करायेंगे और हमारा उसमें भी साथ देंगे क्योंकि इससे दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है और दिल्ली में दो संवैधानिक एजेंसियां काम कर रही थी। इस अध्यादेश के आने के बाद एसीबी और दिल्ली पुलिस बामने-सामने आ गयीं जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भरना पड़ रहा हैं अर ये अधिसूचना रद्द नहीं हुई तो आगे भी ऐसा चलता रहेगा और दिल्ली की जनता के साथ धोखा हो जायेगा। तो मैं इसी से आशा करता हूं विपक्ष भी हमारे इसमें भी सोमनाथ भारती जो प्रस्ताव किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और इसको रद्द करने की सिफारिश करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष जी : श्रीमती प्रोमिला टोकस।

श्रीमती प्रोमिला टोकस : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने अपनी अधिसूचना के माध्यम से दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने की जो कोशिश की है, वास्तव में यह दिल्ली की जनता पर प्रहार हैं। इसे हम किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। मैं इस अधिसूचना का पुरजोर विरोध करता हूं। यदि इसी तरह की अधिसूचना आती रहेंगी तो दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता की भलाई के लिए एक भी कार्य नहीं कर पायेंगी। क्या भ्रष्टाचारियों को सजा देना कोई अपराध है। क्या इस अधिसूचना से भ्रष्टाचार रुक जायेगा। वास्तव में यह एक तुगलकी फरमान है जिसको आनन-फानन में जारी किया गया है। इसकी आड़ में केन्द्र सरकार कुछ लोगों को बचाना चाहती है। हमारी दिल्ली सरकार निरन्तर जनता के कल्याण के लिए समर्पित हैं। इस भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगी। यह कैसे मुमकिन हो सकता है कोई भी अधिकारी जो सीधा मुख्यमंत्री की सेवा के लिए नियुक्त हुआ हो वह मुख्यमंत्री को दरकिनार

कर बाहरी प्राधिकारी एल.जी. को रिपोर्ट करें जिसके लिए न तो संविधान में और न ही जीएनसीटी के एक्ट 1991 में कोई प्रावधान है। यह भी बहुत हैरानी की बात है कि जो नोटिफिकेशन 21 मई, 2015 को आया था वह सीधा संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत आया था जबकि दिल्ली से संबंधित कोई भी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239 एए में है जिसमें साफ है कि अनुच्छेद 239 एए में राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद के तहत ऐसा कोई नोटिफिकेशन लाने का कोई अधिकार ही नहीं है। अनुच्छेद 239 एए 3ए में बहुत साफ लिखा है कि दिल्ली विधान सभा को दिल्ली एनसीटी से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। जहां तक अधिकारों का नियंत्रण की बात है यह अधिकार है माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को ही। आल इंडिया सर्विस आफिसर की नियुक्ति आल इंडिया सर्विस एक्ट 1991 के अंतर्गत यू.टी. में कैडर के अनुसार की जाती है। एक बार किसी अधिकारी की नियुक्ति ज्वाईन्ट कैडर नियमों के अनुसार दिल्ली एनसीटी में हो जाती है तब उस आईएएस आफिसर का उनका पोर्टफोलियों या पोस्टिंग पूरी तरह से एनसीटी दिल्ली के तहत प्रशासनिक निर्णय है क्योंकि पोस्टिंग या ट्रांसफर में दिल्ली सरकार उस आईएएस अफसर को एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज रही है और दिल्ली एनसीटी केन्द्र सरकार द्वारा दिये नियमों में कोई फेरबदल नहीं कर रही है और न तो उनकी भर्ती गृह में और परमोशन में ही। यह स्पष्ट है कि दिल्ली के लिये आईएसएस अफसर यूटी कैडर के होते हैं जो कि ज्वाईन्ट कैडर है। रूल 32 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस कैडर रूल 1954 के तहत किसी भी आईएसएस की पोस्टिंग रूल के तहत होती है जिसमें रूल 7 बी में लिखा है कि ज्वाईन्ट कैडर में अफसर की नियुक्ति का राज्य अधिकार उस राज्य की चुनी हुई सरकार के पास है और आगे रूल 7 (2) यह भी लिखा है कि एनसीटी दिल्ली में आईएएस अफसर की पोस्टिंग पूरी तरह से दिल्ली सरकार

के अधिकार क्षेत्र में है। इस वजह से अभी केन्द्र सरकार एल.जी. को ऐसे निर्णय लेने के लिए नहीं कह सकती क्योंकि आईएएस कैडर रूल 7 बी रूल 2 सी के तहत दिल्ली की एनसीटी के अनुसार। एनसीटी की सरकार के पास आईएएस अफसर की पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर के अधिकार है एस रूल 23 बी. ए. ट्रांजैक्शन आफ बिजनश रूल्स के तहत सभी फाईल मुख्यमंत्री से मुख्य सचिव से होते हुए ही उपराज्यपाल के पास जाती है। अंत में मैं यह कहना चाहती हूं कि नोटिफिकेशन यह अवैध है। इसको रद्द किया जाये और जो हमारे माननीय एमएलए जी ने प्रस्ताव रखा है उसको हम उनका समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ओमप्रकाश शर्मा जी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी। जब मुझे दिल्ली विधान सभा के आपातकालीन सत्र की जानकारी मिली तो मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की सरकार शायद जनलोकपाल बिल ला रही है, लगा शाय केजरीवाल जी ने दिल्ली के बजट के लिए विशेष सत्र बुलाया होगा या फिर चलिये केजरीवाल जी इस सदन को बताने वाले होंगे कि दिल्ली में वाई फाई फ्री हो गया है। कान्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सभी कर्मचारयों को परमानेन्ट कर दिया गया है या गेस्ट टीचर को पक्का कर दिया गया है या फिर ये बता रहे होंगे कि 500 स्कूलों में से 100 दिन में कम से कम 5 या 10 नये स्कूल खोल दिये होंगे या फिर हाल में, या फिर हाल ही में केजरीवाल जी की सरकार ने जो अधिकारियों को अपमानित किया है उसके लिए खेद व्यक्त करने के लिए सत्र बुलाया होगा परन्तु मुझे देखकर लगा कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। सही बात तो ये है कि 100 दिन की अपनी विफलताओं को छुपाने, अपनी अमर्यादित संविधान विरोधी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए अपने

मुंह मिया मिट्ठु बनने के लिए तथा राजनीतिक तुच्छ स्वार्थी की पूर्ति के लिए विधान सभा का सदन का दुरूपयोग कर रहे हैं। केजरीवाल जी, केजरीवाल जी, मात्र 100 दिन दिल्ली में आम जनता का आपसे और आपसी सरकार से मोंह भंग हो गया है, आप पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। केजरीवाल जी, जिस निर्लज्जता से आपकी सरकार ने भारत के संविधान और संविधानिक पदों पर बैठें अल्पसंख्यक समाज से संबंध उपराज्यपाल का अपमान किया है। *व्यवधान*।

अध्यक्ष महोदय : ओमप्रकाश जी, एक मिनट बैठिये। मैं रोक रहा हूं। ओमप्रकाश जी, *व्यवधान*। ये शब्द कार्रवाई से निकाल दिये जायें। ओमप्रकाश जी, अगर, एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक सेकेंड, रुकिये। *व्यवधान*। ओमप्रकाश जी, आप जब दूसरा कोई बोलता है। *व्यवधान*। दो मिनट रुकिये, दो मिनट रुकिये। राखी जी, राखी जी, दो मिनट रुकिये। राखी जी दो मिनट रुकिये। *व्यवधान*।

श्री कपिल मिश्रा : ये भाषा नहीं चलेगी आपको संविधान पर तो भरोसा नहीं है संसद की भाषा पर तो भरोसा रखिये।

अध्यक्ष महोदय : ओमप्रकाश जी, आपने जो भाषा बोली है ये उचित है क्या।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : क्या है, क्या है, असंसदीय। बताइये। *व्यवधान*।

सुश्री राखी बिरला : मुद्दे पर बात करे आप। मुद्दे पर। सम्मानित मुख्यमंत्री के बारे में आप ऐसे बात नहीं कर सकते। **व्यवधान**। शर्म आनी चाहिए। इसे कार्रवाई से निकाला जाये।

अध्यक्ष महोदय : राखी जी, राखी जी, प्लीज बैठिये। **व्यवधान**।

श्री सोमनाथ भारती : ये सदन से माफी मांगे।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, बैठ जाइए। आप बैठिये प्लीज। *व्यवधान*।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे वक्तव्य में अगर कोई सदस्य लगता है कि असंसदीस शब्द है तो उसका उल्लेख करें।

अध्यक्ष महोदय : *व्यवधान*। चलिये कनक्लूड करिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अरे कौन सा निकलवाना है भाई, बताईये तो सही। अल्पसंख्यक समाज से संबंध उपराज्यपाल एलजी का अपमान किया है। *व्यवधान*। हर सिस्टम स्थापित परम्पराओं कानून की धज्जियां उड़ायी है। इससे यह सिद्ध हो गया है कि बन्दर के हाथ में उस्तरा है। *व्यवधान*। माननीय राज्यपाल का। *व्यवधान*। कुत्सित आरोप है। अरे भाई जितना लोग आप बोले उतना तो समय दे दो। *व्यवधान*। माननीय केजरीवाल जी आप अपने रंग में रंगे अपने नजदीकी व साथ खड़े या रहे अधिकारियों को लाकर ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री लगाना चाहता है। आप अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पूरी कार्यपालिका का अपमान किया है। महिला अधिकारी वह भी नार्थ इस्ट से लज्जित, अपमानिव व प्रताड़ित किया है और दफ्तरों में ताले जड़ दिये गये हैं। **...व्यवधान...**

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी, बैठिये। आप। अखिलेश जी बैठियें। शर्मा जी बैठिये। प्लीज। मैं कह रहा हूं। बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए। ये महिला अधिकारी को प्रताडित, अपमानित किया है ये शब्द निकाल दिया जाये। *व्यवधान*। ना ना निकाल दिया। **...व्यवधान...**/

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, आप भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं। *व्यवधान*। यह बात आपको शोभा नहीं देती। आपने भ्रष्टाचार को डेविटमाईज किया है। *व्यवधान*। 21 विधायको को पार्लियामेंट्री सेकेटरी बनाकर उन्हें दफ्तर, गाड़ी। **...व्यवधान...**।

अध्यक्ष महोदय : ओमप्रकाश जी, आप विषय से अलग जा रहे हैं। ओमप्रकाश जी, ये विषय से अलग जा रहे हैं आप। *व्यवधान*। ये 21 पार्लियामेंट्री का विषय नहीं है। विषय जो है संकल्प पर है। आप संकल्प पर बोलिये। *व्यवधान*। आपको सब सुनायी दे रहा है। मैं जब सुन रहा हूं। मेरी आपको सुनाई नहीं देंगी। मेरी बात सुनायी नहीं देगी। *व्यवधान*। में जो बात कह रहा हूं। आप दो मिनट रुकिये जरा। *व्यवधान*। राखी जी। *व्यवधान*। आप सभी, रिषि जी। वाजपेयी जी। मनोज जी बैठों प्लीज। कपिल जी आप बैठ जाओं। आप बैठ जाइए। आप बैठिये आप। आप बैठिये प्लीज। देखिये। अच्छा दो मिनट सब बैठ जायेंगे। जरनैल सिंह जी बैठिये। मनोज जी बैठियें। अखिलेश जी। *व्यवधान*। सोमनाथ जी। आप सब बैठ जायें प्लीज। *व्यवधान*। एक बार मेरी बात सुन लीजिये। राखी जी। मैं बार-बार प्रार्थना कर रहा हूं। सोमनाथ जी बैठियें। *व्यवधान*। सरिता जी। बैठिये। देखिये ओमप्रकाश जी, एक सेकेंड ओमप्रकाश जी, मेरी बात सुन लीजिये। अगर इस नोटिफिकेशन पर। एक सेकेंड मेरी बात सुन लीजिये। नहीं पहले मेरी बात सुन लीजिये। *व्यवधान*। मेरी पूरी बात सुन लीजिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : जितने लोग यहां बैठे हैं सब नोटिफिकेशन पर नहीं बोले हैं। मैं आ रहा हूं नोटिफिकेशन पर।

अध्यक्ष महोदय : मेरी पूरी बात सुन लीजिये। आप बैठिये प्लीज। आप बैठियें। ओमप्रकाश जी बैठिये आप। एक सेकेंड में खड़ा हूं बैठ जाइए। एक सेकेंड के

लिए बैठिये। मैं आपको बोलने दे रहा हूं। आपको समझ नहीं आयेगा कभी। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं ओमप्रकाश जी। इस नोटिफिकेशन के पक्ष में अगर आप बोलना चाहते हैं बोलें। आज नोटिफिकेशन पर चर्चा हो रही है। आपको लगता है नोटिफिकेशन सही है उसके तर्क में बोलिये। आप पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी, मेरी बात समझ लीजिये एक बार। चर्चा का विषय जो है उसके लिए मैंने समय दिया है। आपको इस पर बोलने का बहुत कुछ है। आप जो इसके पक्ष में बोलना चाहतें है उस पर बोलिये। आपको रोक नहीं रहा हूं। अब जरा शांत रहेंगे।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं करीब 20 सदस्यों को सुन चुका हूं जो शर्त 20 लोगों पर लागू नहीं होती हैं वो शर्त आप मेरे पर क्यों थोप रहें हैं पहली बात सुन लीजिये आप ध्यान से केवल नोटिफिकेशन के अलावा भी बहुत सी चीजें बोली गयी हैं यह सैक्रेटरिएट का जो यहां सारा मसौदा लिखा गया है यदि आपके ध्यान में नहीं है तो पढ़ लीजिये मैं अपनी बात कर रहा हूं और कहने के बाद में जो यह नोटिफिकेशन है जिसके बारे में मुझे बोलना है उसके बारे में भी बोलूंगा लेकिन जनहित की जो चीजें है और इस सदन का मैम्बर होने के नाते मुझे रखनी पड़ेगी में रखूंगा यह मेरा अधिकार है **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जनहित की चीजों के लिए सत्र होगा। मैंने जो समय दिया है आपके पास नोटिफिकेशन पर बोलने के लिए कुछ नहीं है क्या?

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मैं अपने समय सीमा में अपनी बात रखूंगा श्रीमानजी।

अध्यक्ष महोदय : आप रखिये चलिये। अभी बीच में नहीं प्लीज। अब बीच में कोई टोकेगा नहीं। मैं उनको 6 बजे तक का समय दे रहा हूं। प्लीज,

जो उनको बोलना है वो उन्हें बोलने दीजिये जनता सब देख रही है, मीडिया सब देख रहा है। नितिन जी, वेद प्रकाश जी भई ये ठीक नहीं है व्यवस्था अब जरा अलका जी प्लीज।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आपके विधायक बड़ा ढोल पीट रहे हैं गाडी, बंगला, दफतर सुविधायें कुछ नहीं लेंगे। आप जानते हैं कि 21 पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी की नियुक्ति गैर संवैधानिक व गैर कानूनी है। इतना ही नहीं यह आफिस आफ प्राफिट की जद में आते हैं संवैधानिक प्रावधान अनुसार इनकी मान्यता समाप्त हो सकती है। पूरे साल में **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बैठिये जरा ओमप्रकाश जी मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं माननीय सदस्य जगदीश जी भी बोले हैं किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया। आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी भाषा को इन सब चीजों से **...(व्यवधान)**

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्षजी, सरकार के हाथी के दांत खाने और दिखाने के अलग अलग है। अध्यक्ष जी केजरीवाल जी की सरकार ने 100 दिन में एक रिकार्ड जरूर कायम किया है अब तक किसी भी सरकार के कितने विधायकों पर मात्र 100 दिन में इतने मुकदमें दर्ज हुए हैं कानून तोड़ा है व्यवस्था को पैरों तले रौदा भी है कानून मंत्री बिना डिग्री के अन्दर कानून मंत्री बने है। ये सब चीजे जो है यदि यही स्पीड रही तो एक साल में आपका एक भी विधायक शायद हो सकता है कि किसी पर मुकदमा दर्ज न हो। आप बड़ा कहते हैं केजरीवाल जी टिकट देने से पहले पूरी जांच पड़ताल करेंगे राय शुमारी करेंगे क्या हुआ आपकी पार्टी की तो कहानी खत्म हो गयी। यदि आज चुनाव हो जाये तो आपके तीन लोग भी नहीं आयेंगे **...(व्यवधान)** केजरीवाल जी आपकी एक जग जाहिर खूबी कि आप तानाशाह हैं डिक्टेटर हैं आप आपके तानाशाही

रवैये के कारण बहुत से साथी आपको छोड़कर चले गये कुछ को आपने लात मार दी कुछ आपका विरोध नहीं झेल पाये जिनकी बात आपने **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी आप कनक्लूड कीजिए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : वो आज आपके साथ नहीं है **...(व्यवधान)** मैं आपकी बात पर आ रहा हूं नाराज मत होइये। संविधान की किसी भी धारा **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट शांति रखिये। ओम प्रकाश जी कनक्लूड कीजिये। वेद प्रकाश जी बैठ जाइये। बैठ जाइये। अखिलेश जी बैठ जाइये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : संविधान की किसी भी धारा उपधारा की दो अलग अलग व्याख्यायें हो सकती है दृष्टिकोण अलग हो सकता है यह स्वाभाविक है परन्तु ऐसी स्थिति आने पर कौन सी व्याख्या या दृष्टिकोण ठीक है इसका फैसला वकील या सदन नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट करता है। इस सदन की अनाधिकार चेष्टा केवल सदन का समय जनता की गाढ़ी मेहनत की कमाई को आप खराब कर रहे हैं यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है यह इस सदन के purview में नहीं आता दूसरी बात बार बार ए.सी.बी. की बात कर रहे है। ए.सी.बी. कमजोर नहीं हो रही हैं केवल इतना ही हो रहा हैं कि ए.सी.बी. दिल्ली के मुख्यमंत्री देखें या गवर्नर देखें तो आज जो है दिल्ली सरकार की **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अलका जी आप बैठ जाइए प्लीज।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मेरी भी सुन लीजिये मैंने भी सुना है आपको कल अरे बैठ जाइए। मेरा यह मानना है कि हमारे अधिकांश जो सदस्य हैं उनको यह लगता है कि दिल्ली की सरकार कमजोर हो रही है केवल इनका एक एहसास है 1993 से जब से दिल्ली के अन्दर विधानसभा बनी है वही एक्ट चल रहा है अब ये बार बार जिसको नोटिफिकेशन और बार बार बात कर रहे हैं जब

दो मत अलग अलग आयें तो होम मिनिस्टरी ने अपना जो view है नोटिफिकेशन के द्वारा दिया।

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी हम समय खराब कर रहे हैं प्लीज। आप बहुत समझदार हैं बैठिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : दिल्ली सरकार पूरी पावर विड्रा नहीं की गयी है। केवल कुछ लोगों को कमजोरी का एहसास हो रहा है। ये अधिकार की तृष्णा और लिप्सा ही इसके मूल में है इसी के लिए यहां दो दिन का समय खराब किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जय हिन्द जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ भारती जी द्वारा... नहीं राजेश जी बैठ जाइये प्लीज। नहीं-नहीं अब कुछ नहीं। नहीं सोमनाथ जी नहीं अब नहीं। सोमनाथ जी समय की सीमाएं मेरे पास है।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय ऐसा विषय उठाना चाहता हूं चूंकि उनके वक्तव्य से बहुत महत्वपूर्ण मामला है हार्डली 15 सेकेंड के लिए मैं आपका समय लूंगा। पूरे सदन के अन्दर जितने भी सदस्य अभी बैठे हुए हैं कईयों ने मेरे पास आकर के बताया कि पूरे दिल्ली के अन्दर इलैक्ट्रीसिटी पावर की बहुत गंभीर समस्या है। मैं आपके माध्यम से सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से माननीय पावर मिनिस्टर से गुजारिश करता हूं कि डी.ई.आर.सी. चेयरमैन और पावर कंपनीज को बुलाकर ये पूछा जाये कि स्थिति क्या है। पूरी दिल्ली चिन्तित है और सब चिन्तित हैं और सब जानना चाहते हैं कि पावर शेडिंग हो रही है लोड शेडिंग हो रही है चारों तरफ और एक तरफ का माहौल बनाया जा रहा है ये आम आदमी पार्टी को वोट देने के कारण हो रहा है। इसके संदर्भ में मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से माननीय उप मुख्यमंत्री से माननीय पावर मिनिस्टर से गुजारिश करता हूं कि सदन की अनुमति से आपकी अनुमति से कि उनको बुलाया जायें वो बुलाये और डीईआरसी चेयरमैन को और पावर कंपनीज से पूछे कि क्या स्थिति है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब सोमनाथ भारती जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर मुझे तीन संशोधन प्राप्त हुए हैं। मैं मदनलाल जी से प्रार्थना करता हूं वे अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री मदन लाल : थैंक यू अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से श्री सोमनाथ भारती द्वारा प्रस्तुत गैर सरकारी संकल्प पर निम्नलिखित संशोधन देना चाहता हूं पहला पैरा 7 of the resolution to be deleted which was read in as "therefore, this House declares this notification as unconstitutional and invalid." So, this paragraph may kindly be deleted from the संशोधन जो उनके सोमनाथ भारती जी कर रहे हैं मैं प्रपोज कर रहा हूं और दूसरा जो 8वां पैरा है इसी नोटिस का वो है "I would like to bring to the notice of this August House the opinion received from the Constituional experts and legal luminaries" ये पैरा 7वें की जगह एड कर दिया जाये, थैंक यू।

अध्यक्ष महोदय : कैलाश गहलोत जी का संशोधन। श्री कैलाश गहलोत जी।

श्री कैलाश गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री सोमनाथ भारती द्वारा प्रस्तुत गैर सरकारी संकल्प पर निम्नलिखित संशोधन देना चाहता हूं।

The wordings of para 12 mentioned in the Resolution be replaced with the following:

"The government of NCT of Delhi has not, so far, brought any legislation before this House regarding Entry 41 of the State List. This House recommends the Government to bring a legislation of creation of an entity 'Public Service'." धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। कपिल मिश्रा जी।

श्री कपिल मिश्रा : I seek to move following amendment to the Private Members' Resolution.

"Several Members have broguth to the notice of this August House that the situation in Health, Power, Water and some other essential services have started deteriorating since the issue of the notification. As this notification has brought confusion in the minds of the Officers and employees of the Government, this resulted in indiscipline and complacency among the Officers and the employees thereby affecting the essential services. In view of this, even though this House strongly feels that the Ministry of Home Affairs' notification as illegal, however, for the purposes of smooth and quick solution to the issues and problems of the people of Delhi, while not conceding that the Services as the entries with the Central Government, still the Services include only the conditions of service and with no stress of argument includes work allotment to the Officers and employees of the Government. Hence, this House directs the Council of Ministers to continue allocting the work to its Officers and employees."

ये सदन निर्देश देता है मंत्रीमंडल को कि अधिकारियों को काम का अलाटमेंट जारी रखें "The expects the Officers and employees of the Government to follow the orders related to work allotment without fear. ये सदन यह

आशा करता है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी बिना किसी भय के मंत्रीमंडल के द्वारा दिये गये कामों को जारी रखेंगे "This House assures them that as long as they continue to work sincerely in the services of the people of Delhi, this House will not let any Officer or employee be victimized by any extraneous elrment whatsoever." Thank you.

अध्यक्ष महोदय – धन्यवाद। ये तीन संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत हुए हैं श्री मदनलाल जी कैलाश गहलोत जी और कपिल मिश्रा जी के इन तीनों संशोधनों पर मैं सदन के सदस्यों से प्रार्थना करता हूं जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मेरा Point of Order जब अभी चर्चा चल रही है तो amendment भी part of discussion है आप फाइनली जब संकल्प पर फाइनल डिसीजन लेंगे तब आप एमेंडमेड लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधनों पर...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : संशोधन भी अभी डिसकसन चल रहा है कोई और मेम्बर कुछ और कहेगा।

अध्यक्ष महोदय : डिसकसन पूरा हो चुका है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अभी हमें बोलना है, हमारे बोलने के बाद आप अमेंडमेंड कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कल बोले तो थे आप। कल समय दिया तो था मैंने आपको।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, क्या बात कर रहे हैं आप। आपने 89 में डिसकसन करा रहे हैं आप।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं कल मैंने।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, कल आपने उनके, उनका मोशन जब मूव हुआ था उसका डिसकसन कराया था। उसके बाद अपना सोमनाथ भारती ने।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी पार्टी के दो सदस्यों को समय दे चुका हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, देखिए।

अध्यक्ष महोदय : देखिए विजेन्द्र जी, आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप इतने इम्पोर्टेंट उस पर एल.ओ.पी. को नहीं बोलने देंगे। तो इससे बड़ा अन डेमोक्रेटिक कुछ नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : चलिए बैठिए आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हां, मुझे आप समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक बार संशोधनों पर बात कर लेने दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : संशोधन भी तो तभी लेंगे आप।

अध्यक्ष महोदय : अभी बैठिए आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बिना डिसकसन के बीच में संशोधन कैसे आ गये।

अध्यक्ष महोदय : किसके।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अभी यहां पर अमेंडमेंट आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, संशोधन तो कोई प्रस्ताव आया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी तो प्रस्ताव तो साथ ही होगा न।

अध्यक्ष महोदय : उस प्रस्ताव पर संशोधन कोई।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : संशोधन बीच में वोटिंग होती है मैंने तो पहली बार सुना है।

अध्यक्ष महोदय : किसमें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कोई भी रेजोलूशन होता है उसके बीच में वोटिंग नहीं होती। बहस के बाद ही तो करेंगे आप।

अध्यक्ष महोदय : बहस तो आपने कर ली न।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैंने कहां बहस कर ली, मैं तो बोला ही नहीं अभी तक।

अध्यक्ष महोदय : आपके दोनों सदस्य बोल चुके हैं चलिए, मैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं यहां प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उपस्थित हूं।

अध्यक्ष महोदय : चलिए आप बोलिए कितना समय लेते हैं आप, बोलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन आपको प्राप्त हो चुके है न।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जी, मुझे सब प्राप्त हो चुके हैं मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बात कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब बीच में मेरी प्रार्थना है, कोई टोकेगा नहीं, एक सेकेंड कोई टोकेगा नहीं, उनको बोल लेने दीजिए पांच मिनट।

अब बीच में मेरी प्रार्थना है कि उनको बोलने दीजिए। कोई टोकेगा नहीं। प्लीज अलका जी। प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यहां कल से इस विषय पर चर्चा चल रही है और कल उप मुख्यमंत्री महोदय ने एक मोशन मूव किया था और कल शाम को जब सदन की बैठक स्थगित की गई थी, उससे पहले सोमनाथ भारती जी एक प्रस्ताव लाये थे। दिन भर की चर्चा के बाद कुछ विषयों पर मैं जानकारी का अभाव पूरा करना चाहता हूं। एक तो बार बार यहां पर ये बात आ रही है कि चपरासी नहीं रख सकते। कोई क्लर्क नहीं लगा सकते, ये सदन को भ्रमित करने वाले बयान हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सबोर्डिनेट सार्विज सलेक्शन बोर्ड है, जो मुख्यमंत्री और कैबिनेट और सरकार के अंतर्गत काम करता है। और 99 प्रतिशत से अधिक जितनी भी एप्वाइन्टमैंटस हैं, भर्तियां हैं, 99 प्रतिशत से अधिक.. जो हजार दो हजार चार हजार नहीं हैं। लाखों में हैं। उन तमाम जगहों को भरने का काम दिल्ली सरकार करती है। बी और सी कैटेगरी की जितनी पोस्ट हैं। और डी। अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि तीस हजार से ज्यादा दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विसेज की वेकेन्सीज खाली पड़ी हैं। जिनको भरने में आपने अभी तक कोई उत्सुकता नहीं दिखाई है। यानी कि जो लोग आपने लगाने हैं, तीस हजार से ज्यादा लोग जिनको आप इम्पलायमैंट दे सकते हैं, और उनके ऊपर आपने कोई कार्रवाई.. हमारी जानकारी में तो नहीं है कि अलग से की हो, बतायें। मात्र एक प्रतिशत से भी कम हो वेकेन्सीज

की बात यहां पर हो रही है, उसमें भी ए केटेगरी में उसमें भी जो आई.ए. एस. और आई.पी.एस. लेवल के अधिकारी हैं, उनकी यहां पर बात हो रही है सिर्फ। उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं। अभी यहां पर जो रेजल्यूशन मूव किया गया है। उसके अंदर आपने.. चलिए थोड़ा थोड़ा तो आप हमारी तरफ बढ़े हैं.. जो कल कह रहे थे। अभी मदन लाल जी ने यह अमेंडमैंट मूव किया है। the wording of para 12 तो ठीक है। क्या अमेंडमैंट लाये हैं। Government of NCT of Delhi has so far brought any legislation before this house regarding entry 41 of the slate list आपने खुद मान जिया कि जो एन्ट्री 41 है, उसके लिए हम अभी तक कोई लेजिस्लेशन नहीं लाये हैं। This House recommends the government to bring the legislation for creation of NCT Public Service. अच्छी बात है। लेकिन आप फिर एक बड़ा कन्ट्राडिक्सन कर रहे हैं। आप एनसीटी पब्लिक सर्विस नहीं बना सकते। क्योंकि आप union territory हैं। आपको अगर NCT सर्विस बनाना है तो पहले यूनियन टैरिटरी यूटी कैडर से बाहर आना पड़ेगा। और यूटी कैडर से बाहर आने के लिए ये जो अगस्ट हाउस है, उसको पावर नहीं है। ये कंस्टीट्यूशनल अमेंडमैंट की जरूरत है। पार्लियामैंट का कंस्टीट्यूशनल अमेंडमैंट होगा। उसके बाद हम यूटी कैडर से बाहर आयेंगे। और जो बात आप अब इसमें कह रहे हैं, यही बात कल हमने मोशन मूव होने के बाद कही थी कि क्योंकि ये ग्रुप आफ यूनियन टैरिटरीज का पार्ट है इसलिए इनकी जो ट्रांस्फर पोस्टिंग है, वह करने की जिम्मेदारी गवर्नमैंट आफ इंडिया की है। अब आप आगे आ जाइये। अभी आपने एक आर्डर निकाला। आर्डर नं. 260 ये कंट्राडिक्टरी आर्डर है। क्योंकि ये जो गवर्नमैंट आफ इंडिया का गजट नोटिफिकेशन है, उनको ये कंट्राडिक्ट कर रहा है और आप उन अधिकारियों को जबरदस्ती कर रहे हैं कि ज्वाइन करो। फिर एक रेजल्यूशन

अमेंडमैंट और मूव कर दिया। उसमें अपने प्रवचन बोले हैं कि अधिकारियों ये देखिये, आप डरिये नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये सब पूरा पढ़ दूं।

अध्यक्ष महोदय : रिपीट करने की जरूरत नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। इसलिए आप क्यों दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी को इतना डिस्टर्ब और कन्फ्यूज करने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप सही प्रकार से शासन चलाने की स्थिति में हैं। अब मैं कुछ और विषय आपके सामने रख देता हूं। प्राइवेट मेम्बर रेजल्यूशन में जो लैंग्वेज यूज की गई है। वह हाइली आब्जेक्शनेबल है। there fore this house declares this notification as unconstitutional and invalid. आप हाउस की गरिमा से खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने एक लैंगवेज यूज की है। therefore this house resolves to ignore this notification of Ministry of Home Affairs and directs the Government of NCT Delhi and its Employee to ignore it and to function as if this notification did not exit. ये इस तरह की अन कंस्टीट्यूशनल भाषा का प्रयोग करके सदन की आप मोहर लगाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करके ये आपका रेजल्यूशन कहीं टिकेगा और सरकार की एरोगेन्सी और एनार्की..एनार्किस्ट वाला नेचर जो है, वो साफ रूप से सामने नजर आ रहा है। अभी यहां बात की गई एसीबी को लेकर के। देखिये, यहां बात हुई है एसीबी की सीमाओं की। ये बात आप समझ लीजिए। अगर आप डिस्पेन्सरी में आपरेशन करने शुरू करोगे तो क्या सफल होंगे। डिस्पेन्सरी में डिस्पेन्सरी का काम होगा और हास्पिटल में हास्पिटल का काम होगा। अगर सारा काम डिस्पेन्सरी में होने लग जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी कन्क्लूड कीजिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं हर बात प्वाइंट पर बोल रहा हूं। मैं एक लाइन भी इस रेजल्यूशन के बाहर नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ आपको आगाह करा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : बोलने को आप बहुत बोल सकते हैं..

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं आपके माध्यम से वस्तुस्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। आप सत्ता में हैं। ब्रूट मेजोरिटी है आपकी। आप कुछ भी पास कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी प्रार्थना है आप इसे कन्क्लूड कीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हमको कोई दिक्कत नहीं है और बहुमत के आगे सिर झुकता है। वो कोई विषय नहीं है। लेकिन मुझे अपनी बात कहने दी जाये। मैं कम से कम शब्दों में कह रहा हूं। क्योंकि मुझे आपने यहां पर इजाजत दी है। और मैं टु दि प्वाइंट बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कीजिए लेकिन कन्क्लूड कीजिए। इसे शार्ट कीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया, ये नोटिफिकेशन है, ये गलत है। ये आर्डर क्योंकि 21 मई के बाद 25 मई को आप ये निकाल रहे हैं। इसको भी ..किया जायेगा हर जगह पर कि आप एक तरफ कोर्ट की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ तुरन्त दादागिरी कर रहे हैं। अगर आपको कोर्ट पर विश्वास है तो फिर आप जबरन जबरदस्ती ये क्यों कर रहे हैं? आगे बढ़िए। यहां पर गुमराह किया गया।

गोपाल सुब्रह्मण्मय जी ने कहा कि प्रजीडेन्ट रेफरेन्स के लिए जब मैटर पैंडिंग है। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि प्रेजीडेन्ट के पास कोई रेफरेन्स गया है। आपकी जानकारी में हो तो सदन को अवगत करायें। क्योंकि जो मेरे पास जानकारी है और जो मैंने मीडिया में और बाकी जगह पर नोटिस किया है, प्रैजीडेन्ट के पास नोटिस अगर जायेगा तो उस कंडीशन में जाएगा जब उपराज्यपाल उसको वहां पर भेजेंगे और उस कंट्राडिक्शन को सामने लायेंगे। आप कहिए प्रेजीडेन्ट का रेफरेन्स इसमें जाना चाहिए। आप जाकर बात करिए। कहिए। तो मुझे लगता है कि वो होना चाहिए। आप एक बात समझ लीजिए। यहां पर ब्रेड डाउन पर कंस्टीट्यूशनल मशीनरी हो रहा है। इस सरकार के अंदर और बार बार मेरी इस बात को कहा गया कि महाभियोग लाया जाये। देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। और आज भी इस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है। आगे बढिये यहां पर गुमराह किया गया कि गोपाल सुब्रमनयम जी ने कहा कि प्रजिडेन्ट रिफरेंस के लिए जब मैटर पेंडिग है। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि प्रेजिडेंट के पास कोई मैटर गया है। आपकी जानकारी में हो तो सदन को अवगत कराएं। क्योंकि जो मेरे पास जानकारी है और मीडिया में और बाकी जगह पर नोटिस किया है प्रजिडेंट के पास रिफरेंस जाएगा तो उस कन्डीशन में जाएगा जब उपराज्यपाल उसको वहां पर भेजेगें। और उस कंडराडिक्शन को सामने लाएगें। आप कहिए प्रजिडेंट का रिफरेंस इसमें जाना चाहिए। आप जाकर बात करिए कहिए तो मुझे लगता है वो होना चाहिए। आप एक बात समझ लिजिए यहां पर ब्रेक डाउन आफ कान्सटीच्यूशन मशीनरी हो रहा है। इस सरकार के अन्दर और बार-बार मेरी इस बात को कहा गया जबकि कल कहा गया कि महाभियोग लाया जाए। देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ।

और आज भी इस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है। जिससे साफ हो गया हमारी आंखें विपक्ष में बैठे होने के बाद भी शर्म से झुक रही हैं। आखिर कितना मीडिया सारी जनता, सारा देश देख रहा है, दिल्ली देख रही है, और दो दिन सदन चला है। लेकिन यहां पर क्वालिटी आफ डिस्कशन जो है...

अध्यक्ष महोदय : अब आप विजेन्द्र जी इसको कन्क्लूड करें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : एक बात अन्त में पूरी कर दूं। एक लास्ट। आपने कहा है एम.सी.डी.।

अध्यक्ष महोदय : इसको कन्क्लूड करिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं। लगता है आपको संविधान पर यकीन नहीं है और एक पुष्टि आप इस विषय पर भी कर रहे हैं। एम.सी.डी. किसी के आधीन नहीं है। MCD is sn autonomous body. ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था का third tier of Government है। देखिए तीन तरह की सरकारें हैं। केन्द्र की सरकार, आपकी सरकार और Municipal Government. म्यूनिसिपलिटी जो है वह पंचायती राज व्यवस्था है। आप बार-बार कर रहे हो वह हमें दे दो। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। क्योंकि मुझे लगता हैं आपका पंचायती राज व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है। इस लिए ये डिमांड भी जो यहां की गई है, कि दिल्ली सरकार हमको सौंप दो में इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। और इसके साथ-साथ मैं इतना कहूंगा, 1994 का जो ये एक आर्डर और है। 1994 का जो आर्डर है, जिसमें साफ रूप से कहा है The

Lt. Governor alone is a competent to approve transter and posting of Principal Secretary/Secretary level Officers in consultation with the Chief Minister. सिर्फ विवाद क्या है कुछ 20-30 ओफिसर्स का या 50 आफिसर्स का। प्रिसिपल सैक्रेटरी/सैक्रेटरी जिसमें आपको फाइल एक प्रकार से उप-राज्यपाल के पास भेजनी है। और उप-राज्यपाल ने आपसे कन्सलट करके उस पर फैसला लेना है जैसे गैमलिन मैडम का लिया था। तो उस पर इतना विवाद करना, इतना-इतना सारा हंगामा खड़ा करना। चपड़ासी नहीं लगा सकते, वो नहीं कर सकते, हमें दबा दिया गया है। हमारी मैज्योरिटी से डर गए हैं। ये सब बातें बेमानी है। समस्या का समाधान करिऐ। दिल्ली की जनता की समस्याओं की तरफ आगे बढिए। और वे नान इश्यू को इस तरह इश्यू बनाकर पूरे सिस्टम को कोलेक्स मत करिए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : ये संशोधन जो तीनों बंधुओं के आए हैं।

मैं सदन के सामने रखता हूं जो इसके पक्ष में है वो हां कहें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हमारा विरोध है हम वाकआट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें।

श्री कैलाश गहलोत : अध्यक्ष महोदय किसी कारण की वजह से एक amendment मैं पढ़ना छूट गया था। मैं फिर दोबारा जो तीन amendments मेरे पास है मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूं। Para 7 of the Resolution to be deleted. Para 8 be treated as para 7 of the Resolution.

Amendment No.2:

A new para 8 be inserted in the Resolution which states:

"This House, therefore, is of the strong and unambiguous opinion that this notification is unconstitutional and invalid and expectes the Government of NCT of Delhi to take all such necessary action as it deems fit."

Amendment No. 3

The wording of para 12 mentioned in the Resolution be replaced with the following :

"The Government of NCT of Delhi has not, so far, brought any legislation before this House regarding Entry 41 of State List. This House recommends the Government to bring a legislation for creation of an NCT Public Service."

Thank you, Sir.

अध्यक्ष महोदय : ये तीनों amendments मैं सदन के पटल पर रखता हूं। जो इसके पक्ष में हैं वो हां कहें, जो इसके विरोध में है वो न कहें। हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता। तीनों संशोधन को स्वीकार किया गया।

इससे पहले कि मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूं, इस पर बोलने के लिए जो-जो निवेदन मेरे पास आए थे, उनमें से कुछ बन्धु रह गए। उसके लिए मैं खुद समय का अभाव होने के कारण उनके नाम नहीं ले सका।

श्री अवतार सिंह जी, सोमदत्त जी, जरनैल सिंह, तिलक नगर से, नितिन त्यागी जी और विजेन्द्र गर्ग जी। इसके इलावा विशेष रवि जी ये बन्धु कुछ रह गए और एक पुष्कर जी का रह गया।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे इसका उत्तर दें।

श्री पंकज पुष्कर : मेरा नाम पंकज पुष्कर है। माननीय महोदय, मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं, कि अपका विशेषाधिकार, आपका विवेक, जिसका हार्दिक रूप से हम सम्मान करते हैं। मैं एक सदस्य के तौर पर केवल यह अनुरोध करना चाहता हूं, कि विधायिका को औपचारिकता में न बदला जाए। विधायिका का पहले सत्र का तीसरा हिस्सा चल रहा है। पहला हिस्सा जो है शपथ लेने के लिए आया, दूसरा लेखानुदान के लिए आया तीसरा एक विशेष स्थिति पर एक विशेष चर्चा के लिए आया। विधायिका के कार्य भार कुछ दूसरा है। व्यापक कार्यभार है। उन बिन्दुओं को नहीं पटल पर आने दिया गया। मैं कुछ आपसे कहना चाहता था, उसका अवसर नहीं मिला। इसके बारे में आपसे बहुत विनम्रता के साथ बहुत सम्मान के साथ प्रतिवाद दर्ज करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री से प्रार्थना कर रहा हूं वो इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें।

उप-मुख्यमंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल से इस सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चली है। और ये जो विषय है, हमारे विपक्ष के साथी जो सूक्ष्म समय के लिए अभी बाहर गए हैं, भले ही इसे एक सूक्ष्म सा मुद्दा बना दें। लेकिन ये मुद्दा दिल्ली की गवर्नन्स से जुडा हुआ है। दिल्ली के एक-एक आदमी के, क्योंकि दिल्ली के लोगों में बहुत समने संजोके एक सरकार चुनी है। वो सरकार ठीक से काम करे, पूरे दम के साथ काम करें, पूरी ईमानदारी के साथ काम करें

और लोगों की जिन्दगी में जो बदलाव बाकी सरकारें नहीं ला पा रही थी, दिल्ली की व्यवस्था में, दिल्ली की स्थिति में जो बदलाब लोग अपेक्षा कर रहे थे, जो वो नहीं ला पा रही थी, उनको देखते हुए लोगों ने एक नई सरकार चुनी। इतने प्रचंड बहुमत के साथ चुनी। तो मैं सबसे पहले तो इस बात की निन्दा करता हूं, कि सदन में बैठे हुए लोग इस प्रस्ताव का इस चर्चा को बहुत सूक्ष्म मान रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि ये एक बहुत छोटा सा मुद्दा है। मुद्दा कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है। इस सदन से बाहर बैठ के जिस व्यक्ति को अपने बच्चे का किसी सरकारी स्कूल में ब्लकि मैं कहूंगा कि प्राइमरी स्कूल में भी एडमिशन कराना है, उसके लिए उससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं। अगर उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। वो अगर अपेक्षा रखकर चल रहा है कि वो शिक्षा मंत्री से बात करेगा और शिक्षा मंत्री उन गड़बड़ियों को दूर करते हुए कि वहां उसका एडमिशन नहीं हो रहा है या किसी के घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उस व्यक्ति को अपने उस अजीज को किसी हास्पिटल में एडमिट कराना है तो उसके लिए उससे बड़ा मुद्दा कुछ होता नहीं है। हमारे लिए राजनीति, देश के बारे में बड़े-बड़े भाषण, सत्ता पक्ष में बैठके उसका साथ देना, विपक्ष में बैठकर उसका विरोध करना। ये सब बड़े मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन लोगों की जिन्दगी में तो ये छोटे-छोटे से मुद्दे उनकी जिन्दगी के सबसे बड़े मुद्दे हैं। कहीं कोई बीमार है तो उसको इलाज मिल जाए, कहीं पानी ठीक नहीं आ रहा है तो पानी ठीक आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा तो कहीं न कहीं मिस गवर्नेन्स की वजह से नहीं हुआ। और अभी भी जो नहीं हो पा रहा है, उस मिस गवर्नन्स के इफैक्ट की वजह से ही। देखने में आ रहा है कि अभी समस्याएं दूर करने में बाधा आ रही है। कल से चर्चा चली कि इस जो मिस-गवर्नेन्स थी, इसको और ज्यादा मिस-गवर्नेन्स बनाने की साजिश चल रही है। एक चुनी हुई लोक प्रिय सरकार इस मिस गवर्नेन्स को ठीक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उससे पहले लोक सभा चुनाव में चुनी हुई एक और सरकार जो केन्द्र में बैठी हुई है उस

मिस गवर्नेन्स को और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैं थोड़ा सा समय लेते हुए आपका आज अपनी चीजें मैं रखूं, बात रखूं, कल से चर्चा चली है। मैं गांधी जी को पढ़ता हूं कभी-कभी। उनकी किताब मैं लेकर आया हूं सदन में सत्य के प्रयोग। गांधी जी पीछे, वहां एक फोटों भी है। गांधी जी की पेटिंग लगी हुई है। कैमरे के पीछे। और ये शायद सही है क्योंकि गांधी जी हमेशा कैमरे के पीछे रहना ज्यादा पसंद करते थे। आज भी कैमरे के पीछे उनका पोटर्टे लगा हुआ है। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है आज की चर्चा से जुड़े हुए। ये संदर्भ दो घटनाओं का जिक्र मैं इस किताब से करना चाहता हूं, अपकी अनुमति से। 1893 में, गांधी जी, तब गांधी जी नहीं होते थे। वो मोहन दास करमचन्द नाम के एक एडवोकेट थे। जो यहां से इंडिया से गये थे। एक व्यापारी दादाद्दुला नाम के एक व्यापारी के वकील बन कर गए थे। और उनका मुकद्दमा लड़ने के लिए दादाद्दुला साहब ने उनको प्रटोरिया भेजा। प्रटोरिया जाते हुए रास्ते में हम सबने बचपन से वो कहानियां पढ़ी हैं, दोहराई है, प्रेरणादायक कहानियों में सुनी हैं, वो घटना की कहानी। वो कोई नई बात नहीं है जिसको मैं बता रहा हूं लेकिन उसका संदर्भ जरूरी है। हम सब जानते हैं कि कैसे जो पीटरमिटीज वर्ग का जो स्टेशन था, उस पर गांधी जी के पास फस्ट क्लास का टिकट था ट्रेन में, लेकिन क्योंकि उस समय की भाषा में कहें तो वो कुली थे। वहां रंगभेद चलता था। तो वो बतौर कुली उस रंग के होने के नाते वो उसमें नहीं बैठ सकते थे। उनकी परम्पराओं के हिसाब से उनको उठाकर बाहर फैंक दिया गया। ये घटना हम सब जानते हैं। मुझे लगता है, यहां जितने लोग बैठे है, इनमें से कोई इनको नहीं जानता होगा, इस घटना को। लेकिन इस घटना के बाद की कड़ी एक महत्वपूर्ण है इस सदन के लिए। गांधी जी को जब निकाल के स्टेशन पे फेक दिया गया धक्के मार के ट्रेन के डिब्बे से तो उसके बाद गांधी जी ने क्या किया। गांधी ने बड़ा अच्छा लिखा है इस किताब में उन्होंने। अपने एक्सपैरिमेंट में। उन्होंने लिखा हैः- कि उसके बाद मैंने अपने धर्म पर विचार किया या तो मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, या फिर लौट जाना चाहिए। नहीं तो जो

अपमान हो उसे सहकर प्रिटोरिया पहूंचकर मुकद्दमें में काम करना चाहिए। मुकद्दमा अधूरा छोड़कर भागना तो बेकार होगा। मुकदमा अधूरा छोड़कर भागना तो बेकार होगा। गांधी जी कहते हैं मुझे जो कष्ट सहना पड़ा है सो तो ऊपर का है। मैं इस तरह की बात ध्यान दिला रहा हूं इतने बड़े अपमान के बाद गांधी जी ने कहा कि मुझे जो कष्ट सहना पड़ा वो तो ऊपर का है। वह गहराई तक बैठे हुए महारोग का लक्षण है। यह महारोग है रंगद्वेष। उस समय का महारोग था रंगद्वेष। मुझ में गहरे रोग को मिटाने की शक्ति हो तो उस शक्ति का उपयोग मुझे करना चाहिए, ऐसा करते हुए स्वयं को जो भी कष्ट सहना पड़े, जो अपमान सहना पड़े उनका विरोध मुझे इसको करना चाहिए और उसके बाद की घटना यह तो उनकी उस वक्त की मनःस्थिति है जब वो स्टेशन पर बैठे हैं उसके बाद की घटना, वो लिखते हैं कि सवेरे ही सवेरे मैंने जब वो ट्रेन से उतार कर फैक दिए गए। सवेरे ही सवेरे मैंने जनरल मैनेजर को शिकायत का लम्बा तार भेजा। जनरल मैनेजर ने अपने आदमियों के व्यवहार का तो बचाव किया लेकिन बताया कि मुझे बिना किसी रूकावट के मेरे स्थान तक पहुंचने के लिए स्टेशन मास्टर को कह दिया गया है। अगली रात पड़ी, ट्रेन आई बकायदा मेरे लिए जगह तैयार थी और ट्रेन मुझे चार्ल्स टाउन स्टेशन की ओर ले गई। इस घटना का मैं आज के इस संदर्भ से, इस डिस्कशन से जोड़कर एनालिसिस करना जरूरी समझता हूं और हमारे लिए बहुत कुछ, यह कब की घटना है मैंने कहा 1893 की, कब, जब भारत एक गुलाम देश होता था। दक्षिण अफ्रीका जहां की यह घटना है वहां गुलामी थी अंग्रेजों की गुलामी थी। एक गुलाम देश का नागरिक दूसरे गुलाम देश में जाता है और उसके साथ कुछ अन्याय होता है और वो गांधी जी नहीं थे मोहनदास करमचंद एक सामान्य

वकील, वो व्यक्ति एकमात्र टेलीग्राम भेजता है स्टेशन मास्टर को और सिस्टम, देशों को गुलाम बनाकर रखने वाला सिस्टम भी उतना रिस्पोंसिव था एक टेलीग्राम के जवाब में एक सामान्य वकील को लवाब देता है कि आप चिंता मत करिये, हम आपको अगली ट्रेन में उसी डिब्बे में बैठकर भेजेंगे और वो भेजता है यह बहुत बड़ी घटना थी उस वक्त की। एक और छोटी सी घटना का जिक्र गांधी जी करते हैं इस मुकदमे के बाद क्योंकि हमें अपने इतिहास से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और गांधी जी का नाम हम लोग हमेशा दो अक्टूबर को लेते हैं, 30 जनवरी को लेते हैं हमने यहां बहुत कार्यक्रम भी किए लेकिन सीखते नहीं है। गांधी जी आगे लिखते हैं कि जब वो मुकदमा खत्म हो गया तो वो वापस आने की तैयारी कर रहे थे इंडिया, उन्होंने कहा कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे पास कुछ अखबार पड़े थे, मैं उन्हें पढ़ रहा था। एक अखबार के कोने में एक छोटा सा संवाद देखा, सह सदन के लिए बहुत जरूरी है, यह ध्यान रखना, क्या गांधी जी कह रहे हैं उसका शीर्षक था Indian Franchise यानी हिंदुस्तानी मताधिकार उसका टाइटल था अखबार पर लिखा हुआ। इस संवाद का आशय यह था कि हिंदुस्तानियों को Natal की जो वहां की सभा थी विधान सभा जैसी जिसे धारा सभा बोलते थे धारा सभा के लिए सदस्य चुनने का अधिकार छीन लिया जाये। धारा सभा में इससे संबंधित कानून रखने की तैयारी करी जा रही थी। गांधी जी ने क्या किया, वहां के लोगों ने उनसे अनुरोध किया। गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी वहां के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उसके आंदोलन की रूपरेखा बनाई और एक तार भेजा कि बिल पर अधिक विचार करना मुलतवी कर दें, इस आशय का तार मुख्यमंत्री सर जान रेविल्सन को भेज गया और देखिये वंडरफुल, इस तार के जवाब में अध्यक्ष का तार मिला कि बिल की चर्चा दो दिन तक मुलतवी कर दी गई है क्यों ये दोनों चीजें

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अंग्रेजो के जमाने में भी अगर एक सामान्य आदमी एक टेलीग्राम भर भेज देता था तो उस समय, इतिहास देखें, हम हिंदुस्तानी जानते हैं कि अंग्रेज कितने क्रूर थे, हमने खूब समझने की, सोचने की फिल्मों के माध्यम से, इतिहास को पढ़ने के माध्यम से कोशिश की है कि कितने क्रूरतम, लेकिन कागज पर लिखे हुए और सिस्टम में लिखे हुए का क्या व्यवस्थाएं थीं कि एक सामान्य आदमी भी अगर एक तार भर भेज दें तो विधान सभा अपनी चर्चा दो दिन के लिए मुलतवी कर देती थी। अगर एक स्टेशन पर उठा कर बाहर फेंक दिया गया आदमी जिसके रंगभेद के दबाव के चलते, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में टिकट होने के बावजूद नहीं बैठाया जा रहा है, बाहर निकाल कर फेंक दिया गया वो अगर लिखित शिकायत सिस्टम से करता है तो सिस्टम रिस्पोंस करता है और यह सुनिश्चित करता है कि अगली रात को उसको फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठाकर भेजे। उसके साथ जस्टिस करता है। हम लोग कहते हैं बार-बार मजाक में कि अंग्रेज चले गए अंग्रेजियत रह गई क्या अंग्रेजियत रह गई, हम तो अंग्रेजों से बुरे हाल में आ गये। आज दिल्ली की एक पूर्ण बहुमत से चुनी हुई विधान सभा यहां पर चल रही है, मैं अंग्रेजी राज का पक्षधर नहीं हूं। मैं जानता हूं अंग्रेजी राज में जो कुछ होता था उसको मैंने पढ़ा है और आज अगर हिंदुस्तान में हमारे जैसे लोग इस विधान सभा में आकर इतने पुरजोर स्वर में बोल सकते हैं तो यह आजादी की ही देन है। आजादी की बदौलत ही बोल पा रहे हैं। इतने लम्बे संघर्ष के बाद बोल पा रहे हैं। उसकी वकालत नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं सिर्फ एक कम्पेयर कर रहा हूं क्या अंग्रेजियत रह गई। अंग्रेजियत यह रह गई है, हम तो उससे बुरी स्थिति में पहूंच गए हैं सवा सौ साल पहले की घटना से बुरी स्थिति में पहुंच गए हैं। आज एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, चुनी हुई विधान सभा बैठी है, चुना हुआ मुख्यमंत्री

विचार कर रहा है, चुनी हुई कैबिनेट और वो जाकर देश के हर दरवाजे पर कह रहे हैं कि भई आप लोगों ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो गलत है। आप लोगों ने जो अधिसूचना जारी की है वो गलत है और सब कह रहे हैं कि नहीं साहब आप असंवैधानिक बात कर रहे हैं। यहां सदन में बैठकर कहा जा रहा है आपको संविधान की समझ नहीं है। बाहर मीडिया में कहा जा रहा है संविधान की समझ नहीं है। मुझे लग रहा है कि हमको यह सोचना पड़ेगा कि हम सवा सौ साल में व्यवस्था की कोई समझ बना पाए हैं या नहीं बना पाए हैं। कम से कम इन दो घटनाओं से हमें सीखना पड़ेगा कि एक सामान्य आदमी भी अगर किसी को चिट्ठी लिखता था तो क्या जबर्दस्त रिस्पोंस मिलता था आज तो पूरा का पूरा सदन, पूरी की पूरी चुनी हुई सरकार उसके सामने बौनी पड़ गई है सारी व्यवस्थाएं जो थोड़ी बहुत थी वो भी खोखली पड़ गई हैं। अध्यक्ष महोदय, बात उसकी नहीं है, विधान सभा कह रही है मैं दूसरी बात इसके साथ जोड़ रहा हूं एक आम आदमी कहता था तो क्या होता था आज देश के लाखों-करोड़ों लोगों ने एक पुस्तक को अपनाया है उसका नाम है देश का संविधान। उसको क्या कहते हुए अपनाया We, the people of India. We, the people of India कहकर हम लोगों ने अपने लिए जो पुस्तक तैयार की है, अपने लिए जो विधान तैयार किया है उसका सम्मान भी नहीं किया जा रहा है, उसमें जो लिखा हुआ है उसको भी तार-तार किया जा रहा है। ऐसी अधिसूचना जारी की जा रही है उसके तहत् बनी हुई पार्लियामेंट का कोई सम्मान नहीं रह गया, उसके तहत् बनी हुई विधान सभा का कोई सम्मान नहीं रह गया, उसके तहत् चुनी हुई सरकार का कोई सम्मान नहीं रह गया। हम लाखों-करोड़ों लोगों के, एक तरह से हम सब ने मिलकर लिखा है We, the people of India ने एडोप्ट किया है वो हमारी आवाज है एक आदमी की आवाज कितने मायने

रखती थी। आज लाखों-करोड़ों लोगों की ओर से लिखा गया We, the people of India कोई मायने नहीं रख रहा है इनके लोगों के सामने, ऐसी स्थिति में हम पहुंच गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब हम इस सरकार में आये थे, इन-फेक्ट जब हमने तय किया था कि हम दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा नहीं था कि हमें दिल्ली की सीमाएं नहीं पता था, ऐसा नहीं था कि हमें नहीं पता था कि दिल्ली को यूटी कहते हैं, संविधान में यूटी का स्टेटस है with legislature पता था कि लैंड, पुलिस, पब्लिक आर्डर जैसे सब्जेक्ट इसमें नहीं आयेंगे, हमारे दायरे में नहीं आयेंगे। उसके बावजूद, ये सब समझने के बावजूद हमने दिल्ली की जनता के साथ चर्चा करके कुछ तय किया था कि हमको सत्ता में भेजो, हमको विधान सभा में भेजों, हम ये-ये काम करेंगे। वो सब समझते हुए हमने कहा था और हम आज भी दावा कर रहे हैं कि जितने वायदे, जितने इरादे आम आदमी पार्टी या यह विधान सभा, तीन तो चले गये बाकी जितने बैठे हैं हम लोग जिन वादों, जिन इरादों को लेकर जनता के बीच गए थे वो सब उन्हीं के बारे में हैं जिनके बारे में हम कह रहे हैं कि इनको भी curtail करने की कोशिश, तीन तो पहले से ही थे, हमको पता था कि पूर्ण राज्य नहीं है, पौना तो है, अब तो आधा करने की कोशिश की जा रही है, धीरे-धीरे चौथाई छोड़ने की साजिश रची जाएगी। हमने फिर काम करना शुरू कर दिया, हम तो सत्ता में आए, सोच-समझ कर आए हमें पता था यूटी है लेकिन फिर भी, जब हम सरकार में आए अभी थोड़े दिन पहले हमने एक कार्यक्रम किया था कई लोगों ने, कई साथियों ने बधाई दी है यहां पर। यह जो नोटिफिकेशन है अब 100 दिन हो गए, 100 दिन में, हम काम कर रहे थे अचानक एक नोटिफिकेशन आता है। यह पुलिस को छीनने के लिए नहीं आ रहा, यह लैंड को छीनने के लिए नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि हम यह कह रहे हैं कि लैंड विभाग हमारा है। हम

यह नहीं कह रहे हैं कि पुलिस हमारे अंडर में आनी चाहिये। हम यह नहीं कह रहे हैं कि पब्लिक आर्डर हमारे अंडर में आना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि इस विधान सभा के अधिकार क्षेत्र में इन तीन को छोड़कर वो सब कुछ होना चाहिए जो संविधान में लिखा हुआ है जो We, the people of India वाली किताब में लिखा हुआ है। हम हिंदुस्तान के लोगों ने जो किताब संविधान के रूप में स्वीकार की है उसमें लिखा हुआ है। हम वही तो कह रहे हैं। कहां से असंवैधानिक हो गया, यह नोटिफिकेशन जारी होता है 100 दिन से जो सरकार लगातार काम कर रही थी दिन-रात मंत्री, विधायक सब लगे हुए हैं, पार्लियामेंटरी सेक्रेट्रीज बनाये गये हैं वो लगे हुए हैं बिना तनख्वाह के, कहने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे बिना घोड़ागाड़ी के सब बेचारे लगे हुए हैं अपने पैसे से आते है खर्च कर कर के, सब लगे हुए हैं और 24 घंटे काम कर रहे हैं। लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है, लोग कहने लगे है कि ईमानदारी की सरकार तो आई है, लोग कहने लगे हैं कि बिजली, पानी तो सस्ता हुआ है, लोग कहने लगे हैं कि स्थिति, over-night कुछ चीजें नहीं होती हैं तो कुछ हो सकती हैं जो हो सकती हैं वो हैं की जो नहीं हो सकती हैं उन पर लम्बा काम शुरू हो गया है। यही से हम नोटिफिकेशन की जरूरत महसूस हुई। उन लोगों को जो संविधान को नहीं मानते। एक आदमी की आवाज को नहीं मानते, जो We, the people of India की आवाज को नहीं मानते उन लोगों को इस नोटिफिकेशन की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने तालिबानी नोटिफिकेशन जारी किया कि दिल्ली की सरकार अपना पूर्ण राज्य छोड़ो, हम तुम्हें पौना राज्य लायक भी नहीं छोड़ेंगे, इस मानसिकता के साथ। यह मानसिकता वही है, वही रंगभेद वाली मानसिकता। हम बहुत बड़े हैं, हमारे सामने संविधान क्या और आम आदमी क्या, एक आदमी क्या, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी

कर रहे हैं क्यों नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि यह 100 दिन में सरकार जितना बढ़ गई अगर इसी तरह से काम करती रही तो फिर वास्तव में यह संविधान के, इसी संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिखे हुए हैं उसमें एक बहुत शानदार हिंदुस्तान का एक सपना दिखाया गया है वो सपना सच होने लगेगा और संविधान सच होने लगेगा। इस संविधान के माध्यम से देखा गया सपना सच होने लगेगा, यह उनको डर है। ये नहीं कर सकते, अपनी क्षमताओं को लेकर उनको डर है, वो नहीं कर सकते, वहां उतनी ईमानदारी से, इतनी मेहनत से काम नहीं कर सकता, अपनी क्षमताओं को लेकर उनको डर है और यहां बैठे हुए लोगों की क्षमताओं से उनको लग गया है कि अगर इनको इसी तरह से अधिकार मिले रहे और ये करते रहे तो वो काट रहे हैं इसलिए काट रहे हैं क्योंकि पहली बार दिल्ली में एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो सीना तानकर खड़े होकर कहता है कि मैं दिल्ली सरकार के किसी भी दफ्तर में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। दिल्ली क्षेत्र के, सिर्फ सरकार नहीं, दिल्ली के लोग जिन-जिन भी सरकारी दफ्तरों से डील करते हैं वहां रिश्वत नहीं चलने दूंगा, नहीं चलने दूंगा, नहीं चलने दूंगा, पहली बार न सिर्फ कहता है बल्कि करके भी दिखाता है। इसलिए वो घबरा गए हैं वो इसलिए घबरा गए हैं कि सरकारी दफ्तरों में रिश्वत बंद हो गई है तो साथ-साथ जो ठेके पहले यह कहकर लिए जाते थे कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो ऐसा करो 120 करोड़ का बना दो। वो अब 100 करोड़ नहीं बल्कि 80 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ तक में होने लगे हैं क्योंकि वहां का कमीशन कट, बंद हो गया है। वहां की फिजूलखर्ची बंद हो गई है। वहां के ओवर ऐस्टिमेट बंद किए जा रहे रहे हैं इसलिए वो घबरा गए हैं कि यह जो भ्रष्टाचार का, लूट खसोट का, जनता की मेहनत की कमाई पर ऐशोआराम करने का जो साम्राज्य खड़ा किया जाता है राजनीति के माध्यम से, लोकतंत्र, के नाम पर, सरकार चलाने के नाम पर उस पर खतरा

मंडरा रहा है इसलिए उन लोगों ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है कि इस सरकार को, इस विधान सभा को जो बहुत उम्मीदों के साथ आयी थी चुनकर और काम कर रही है लगातार उसको किसी तरह से रोका जाये। इसके लिए ये सब लोग डर रहे हैं। पहली बार कोई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा है साथ-साथ खड़े होकर कह रहा है कि दिल्ली में ई-गवर्नेस और एम-गवर्नेस का ऐसा माडल खड़ा करेंगे, वाई-फाई और इन सारी सुविधाओं से दिल्ली को एक ऐसा राज्य बना देंगे कि हर दिल्लीवासी, बल्कि हर हिंदुस्तानी अपने देश की राजधानी पर गर्व करने लगेगा ऐसा राज्य बनायेंगे और उनको लग रहा है कि ये बना सकते हैं। उनको यह समझ में आ गया है कि यह रोके से रुकनेवाले नहीं हैं। ये लोग बनायेंगे, बना सकते हैं इसलिए वे डरे हुए हैं, इसलिए वो पंख कतरने की कोशिश कर रहे हैं कि रात-दिन इनके रास्ते में बाधाएं डाले जाओ। रास्ता रोके जाओ। पर ऐसा कहने की बहुत सारी वजहें हैं 13-14 साल से जो-जो प्रोजेक्ट अटके पड़े थे, उद्घाटन हो गए थे 20-20 साल पहले हमारी सरकार ने दिन-रात काम करकर के इस विधान सभा से निकली हुई और विधायकों ने दिन-रात मेहनत करकर के उन पर काम शुरू करवाया है। आपको याद होगा, यहां रिकार्ड के लिए कह रहा हूं कि 14 साल से एक वाटर प्लांट पड़ा हुआ था, बना हुआ पड़ा हुआ था, बनना शुरू नहीं हुआ, नारियल फूटने वाले काम तो कब से नहीं हुए, उसका तो हिसाब-किताब नहीं है जिस पर इंजीनियर्स ने मेहनत करके काम करके ठेकेदारों ने पूरा भी कर दिया बिल्डिंग भी बना दी, प्रोजेक्ट भी पूरा कर दिया, उसके बावजूद भी वो चालू नहीं हो रहे थे क्योंकि वहां पानी का टैंकर माफिया काम करता था। उसके आगे सरकार झुकी हुई थी। दिन-रात काम करके, मेहनत करके इन सारी फाइलों को क्लियर करा कर उनको क्लियर किया। आज 13-14 साल से रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं, जो बिल्डिंगें

बनकर खड़ी हो गई थी। जो कल हमारे साथियों ने बताया, मंत्री जी ने भी बताया presentation में अलग-अलग आता है, लगातार दिल्ली के लोग देख रहे हैं, सिग्नेचर ब्रिज जैसे, दूसरा कौन सा फलाई ओवर है, उसका नाम आप ले रहे थे, बारापुला फलाई ओवर, ऐलिवेटेड रोड ये सारी चीजें ऐसी कछुआ चाल से चल रही थी यह सरकार और इस विधान सभा में बैठे हुए विधायक इन सब की मेहनत से कहीं न कहीं उसमें बहुत तेजी से काम होने लगा है और अब लगाने लगा है कि अब ये टाइम बाउंड तरीके से पूरे होने लगेंगे। इसलिए वो घबरा गये हैं कि टाइम बाउंड तरीके से काम हो रहा है। एक विजनरी तरीके से काम हो रहा है। दिल्ली की लाइफ को माडर्न बनाने पर काम हो रहा है। दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है इससे घबरा गये। ठेके कर्मचारियों को नियमित करने का काम हो रहा है इससे घबरा गये, बिजली सस्ती हो गई, 80-90 परसेंट दिल्ली के लोग कहने लगे हैं कि भई अभी देखो और कुछ हुआ हो या न हुआ हो समय तो लगेगा पर हमारे यहां बिजली के बिल सस्ते हो गये, इससे घबरा गये हैं। पानी के दाम घट गये हैं इससे घबरा गये हैं तो ये सब घबरा गये हैं इस चीज से, जनता से पूछकर बजट बनाना शुरू किया, पहली बार जनता को पता चला कि एक विधान सभा में कितने करोड़ रुपये खर्च होते हैं तो क्या होता है। प्रयोग शुरू किया है, सफल रहेगा आगे इसको पूरी दिल्ली में करेंगे। जनता से पूछकर बजट बनाना शुरू किया तो इससे घबरा गये हैं बोले हमारे बजट के तरीके तो ये थे कि कहीं डील कर दो, उसकी पालिसी बना दो, ये तो जनता के बीच में ले आते हैं सारा कुछ डीलडौल यहीं से तय हो रहा है, जनता के बीच में तय हो रहा है, इससे घबरा गये हैं। इससे घबराकर और एक बड़ी चीज जो कही जिससे ज्यादा घबराए पहली बार दिल्ली के किसान को किसान माना गया। हमने दिल्ली में ऐसे मुख्यमंत्री देखे हैं जिन्होंने कहा कि दिल्ली में, मैं तो पत्रकार रहा हूं, मैंने पढ़ा भी है, रिपोर्ट भी किया है और

दुख भी व्यक्त किया है, अपने समाचारों में कि कैसे मख्यमंत्री के मुंह से हमने सुना है कि क्या दिल्ली में किसान रहते भी है, दिल्ली में कहां खेती होती है। आज उसी दिल्ली में जब देखने निकले हैं तो करोड़ों रुपये की फसल उनकी बर्बाद हुई है पहली बार दिल्ली के किसान को किसान मानकर उसको गले से लगाया गया है। इसलिए वो घबरा गये हैं। ये सारी घबराहट कहीं न कहीं इस नोटिफिकेशन के रूप में सामने आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस नोटिफिकेशन, जैसा मैं कह रहा हूं बार-बार कि सटरडे, संडे भी काम कर रहे हैं, 24 घंटे, सातों दिन काम कर रहे हैं यह नोटिफिकेशन 21 तारीख को आया था उसके बाद सटरडे को, हमको तो आदत है कि घर में देर तक सोते नहीं, निकल पड़ते हैं, जनता आ जाती है, लोग मिलते हैं और नहीं होता तो दफ्तर में बैठकर काम करते हैं। अपनी फाइलें निपटाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं उनको तो मैंने अपने एक साथी अधिकारी को कहा फाइडे शाम को नोटिफिकेशन के बाद के भई अब कल सुबह आफिस खोलेंगे सटरडे को, तो उसने मजाक में कहा कोई आरोप नहीं है लेकिन मजाक में मुझसे पूछा सर, देख लीजिए इस नोटिफिकेशन के बाद ऐसा न हो कि सटाडे को आफिस खोलने के लिए पियून से कहेंगे तो कहीं वो कह दें कि एलजी से साइन करा लिए क्या, ऐसा न हो कि सटरडे को दफ्तर खोलने के लिए पियून भी मना कर दे कि पहले एलजी से साइन करा कर लाओ।

ये मजाक का विषय है, ये मजाक में की गई टिप्पणी थी लेकिन इसकी गम्भीरता को हमें समझना होगा। कोशिश की जा रही है एक और बड़ी कोशिश की जा रही है ये मुद्दा मैंने उठाया है एक मानसिकता से, उएक कोशिश से एक साजिश से की सरकार काम कर रही है सफलता से उसको असफल बनाए जाए और कोशिश क्या की जा रही है की ये तो अफसरों व मुख्यमंत्री की

इगो की लड़ाई है, मुख्यमंत्री और एलजी की इगो की लड़ाई है ये अरविंद केजरीवाल और किसी भी लड़ाई को लड़ सकते हैं लेकिन इगो की लड़ाई नहीं लड़ सकते, भ्रष्टाचार से किसी भी हद तक जाकर लड़ सकते हैं लेकिन अपनी इगो के लिए एक इंच एक समय नहीं लड़ सकते और यही हम सब अपनी तरफ से कह सकते हैं कि हम सब लोग अलग-अलग लड़ाईयां लड़के आये हुए हैं लोग हैं कोई किसानों की लड़ाई लड़ता था, कोई मजदूरों की लड़ाई लड़ता था कोई व्यापारियों की लड़ाई लड़ता था या फिर कुछ और करते थे कोई वकील होकर के गरीबों की लड़ाई, मजमूनों की लड़ाई लड़ता था अदालत में, पत्रकार होकर के लड़ाई लड़ते थे लेकिन उन सब लड़ाई में एक चीज हममें कामन है की ईगो के लिए हम कभी नहीं लड़ते थे, हम बड़े की तुम बड़े इसके लिए कभी नहीं लड़े, हमारा तो सिद्धांत है हम एक दूसरे को कोम्पलीमैंट करते हैं एक दूसरे के पूरक हैं अगर बार-बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बार-बार ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है चर्चा में अभी विपक्ष के सदस्य कह रह थे की बहुत मामूली सा मुद्द है यही लोग प्रचार भी करते हैं की अफसरों की लड़ाई है, अफसरों और केजरीवाल में टकराव है, अफसरों व मुख्यमंत्री में टकराव है इस बात को तो हम भी अच्छी तरह से समझते हैं कि अफसरों व मंत्री सरकार में गाड़ी के दो पहिए की तरह चलते हैं ऐसा नहीं है कि ये बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा नहीं है कि अफसरों को शिकंजे में लेने की कोशिश की जा रही है, ये सब मायाजाल, शब्दजाल बिछाकर किया जा रहा है और मैं आज पूरे दावे के साथ इस सदन के सामने ये कहना चाहता हूं कि ये सदन एक बहुत बड़ा फैसला लेगा आज कल से जो चर्चा हुई है उसके बारे में, आश्वस्त रहे ये सदन की दिल्ली में आज सरकार में जितने आज अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या ईमानदार अधिकारियों, की है, ऊर्जावान, ईमानदार कर्मचारियों की है और जो ईमानदार व ऊर्जावान लोग हैं वो energised

फील कर रहे हैं वो कहते हैं की साहब पहली बार काम करने का, निर्णय लेने का मजा आ रहा है, जनता के पक्ष में निर्णय लेने का मजा आ रहा है, खुलके बात करने का मजा आ रहा है कुछ लोग हैं जिनकों शायद अपनी गलत आदतों से छुटकारा नहीं मिला है, मिल जायेगा धीरे-धीरे लेकिन ये लड़ाई उसकी नहीं है, उसको तो हम सचिवालय में बैठकर तय कर लेंगे यहां अगर बड़े सदन में आए हैं, अपने बड़े परिवार में आए हैं तो इसलिए की पूरा मूल मुद्दों को समझ और मुल मुद्दे को उठाएं कल से जो चर्चा हुई है जिन चीजों पे बेईमान और अक्षम तो घुटन महसूस करेंगे ही करेंगे और आज अगर मैंने कहां कि ऊर्जावान हैं, ईमानदार हैं आज अगर हम खड़े होकर के कह रहे हैं की सरकार ने पिछले 100 दिन में इतना काम किया है तो इसी बदौलत कह पा रहे हैं कि बहुत सारे अफसर हमारी तरह दिन-रात पागलपन की तरह काम में लगे हुए हैं अगर हमको एक फाईल साईन करनी होती है तो उनको उसके 50 पेज पढ़ने भी होते हैं तब वो हमें पांच शब्दों, पांच लाईनों में हम समझाते हैं तो दिन रात काम करने में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और अगर आज हम यहां एलान कर पा रहे है 100 दिन पे दिल्ली के दिल में खड़े होके या कनाट पैलेस में राजीव चौक से एलान कर पा रहे हैं कि सरकार ने ये ये काम किए हैं और शान से कर पा रहे हैं तो उसके पीछे भी उन आफिसर्स की मेहनत का जज्जबा है जो इन 100 दिनों में उन लोगों ने किए हैं ऐसा नहीं है कि ये अफसरों से लड़ाई है या अफसरों को दबाने की कोशिश है, जैसा बार-बार sentiments जबरदस्ती बात की जा रही है। एक चीज है कि हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, ऊर्जा से बात करना चाहते हैं और जहां जरूरत पड़े वहां सख्ती से भी काम करना चाहते हैं जहां जरूरत पड़ेगी वहां सख्ती भी करेंगे और की है काफी दिनों की है, आप लोगों ने देखा होगा जहां हमें पता चला स्कूल में बेईमानी

हो रही हैं, फर्जी बिल बनाये जा रहे है वहां उन्हीं आफिसर्स के साथ मिलकर पहुंच गये और जाके पकड़ लिया, स्कूल में कहीं बेईमानी हो रही है, मिड-डे-मील में बेईमानी हो रही है, किसी सब-रजिस्ट्रार आफिस में दलाली चल रही है वहां जाके पकड़े हैं, हम भी सख्ती करते हैं और सक्षम अधिकारियों को भी कहा हुआ है और उसका असर निकल रहा है, उसका असर लोगों में ईमानदारी की सरकार देखने में आ रहा है। मैं समझता हूं कि संख्ती की भी जरूरत है और प्यार की भी जरूरत है एक दूसरे के complementary होने की भी जरूरत है और हमारा जो सरकार चलाने का मूल सिद्धांत है, सिर्फ डंडे के जोर से सरकार नहीं चलती अध्यक्ष जी, ये हम पहले भी कहते आये हैं और समझते आये हैं की सरकार जब भी सफल होगी प्रेरणा से होगी, आफिसर्स, सरकार में बैठे लोग डंडे से प्रेरणा लेंगे ऐसी अद्भुत धटनाएं समाज में घटती नहीं है, अफसर प्रेरणा लेंगे हमारी गंभीरता से अगर आफिसर्स को प्रेरणा मिलेगी तो हमारी ईमानदारी से हमारी दिन-रात की मेहनत से हमारी समझदारी से, हम समझते कितना हैं चीजों को, हमारा विजन क्या है, इन सब से प्रेरणा मिलेगी और overall हमारा आचरण क्या है। क्या हम बाहर ईमानदारी की बात करके अंदर घोटालों की बात करते हैं, उनसे सैटिंग्स करते हैं इन सबसे सरकारी चलेगी और सफलतापूर्वक सरकार चलेगी और ये हमारा सिद्धांत है और इस सिद्धांत पर हम अमल कर रहे हैं पूरी तरह से। लेकिन जब-जब आदेश का पालन नहीं होगा, तब-तब कहीं-कहीं या इस विजन पर पालन नहीं होगा तब-तब सख्ती भी करनी पड़ेगी जैसा मैंने कहा और यही संविधान का मकसद भी है संविधान में ये दोनों व्यवस्थाएं हैं, संविधान में कुछ बेसिक प्रिंसिपलस लिखे हुए हैं उसके बाद व्यवस्थाएं लिखी हुई हैं व्यवस्थाओं में प्रेरणा और मूलतः अगर कहीं गलती हो गलती की संभावना हो तो वहां कैसे काम करना है कैसे carrot and stick दोनों के साथ

काम करना है वो सारी चीजें संविधान में लिखी हैं यही संविधान का मकसद है। उस सारे संविधान के खिलाफ उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ, उसको साइड करते हुए एक नोटिफिकेशन हमारे देश के गृह मंत्रालय ने जारी किया है मैं समझता हूं मैंने कल भी कहा था कि ये नोटिफिकेशन एक तरह से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन पैदा करने जैसे हालात पैदा करना है एक तरह से ये कोशिश की जा रही है की पहले तीन सब्जैक्ट तो बाहर थे ही सर्विसिज को ले लिया जाये, थोड़े दिन बाद आप आ के कहेंगे एंटीक्रप्शन को ले लिया गया, थोड़े दिन बाद आप आ के कहेंगे की बिजली भी छोड़ दो, फिर पानी भी छोड़ दो मैंने कल उदाहरण दिया था कैसे किन-किन शब्दों में कह सकते हैं फिर कहेंगे स्कूल भी छोड़ दो, सड़के भी छोड़ दो, सारी चीजें आपके दायरे में नहीं आती, फिर एक दिन ये कहेंगे ये विधान सभा भी छोड़ दो। इसलिए आज हम यहां आकर बैठे हैं, क्योंकि धीरे-धीरे ये कुचक्कर यही तक आयेंगा, इस सदन पर ये आंच आयेगी और दिल्ली पे आई है कल दूसरी जगह आयेगी। विधान सभा के अस्तित्व पर खतरा है, ये नोटिफिकेशन सिर्फ दिल्ली सरकार के अधिकारों के पंख कतरने की कोशिश नहीं है दिल्ली सरकार के काम-काज में बाधा डालने की कोशिश नहीं है बल्कि ये नोटिफिकेशन इस विधान सभा के अस्तित्व पर खतरा है अध्यक्ष महोदय मैं बार-बार सोच समझकर ये बात सदन पर रखना चाहता हूं। हमारे संविधान में तीन सभाओं का जिक्र है एक ग्राम सभा, एक विधान सभा और एक लोकसभा-पार्लियामैंट, basically राज्यपाल उसके हिस्से हैं लेकिन लोकसभा। ग्राम सभा की बात करना अभी यहां मुनासिब नहीं है क्योंकि शहरीकरण हो गया है अभी ग्राम सभाएं हैं लेकिन उस sense में नहीं है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आया है 21 मई को ये सीधे-सीधे ना सिर्फ विधान सभा पर खतरा है बल्कि देश की लोकसभा पर भी खतरा है। क्योंकि इस विधान सभा के दायरे

में ये तीन चीजें नहीं आती है ये लोकसभा में लिखा गया है संविधान में लिखा गया तो लोकसभा के माध्यम से लिखा गया। अगर किसी चौथी चीज को निकालना है या जोड़ना है तो होम मिनिस्ट्री के पास ये अधिकार ही नहीं है को वो ये सब कर सके ये तो होम मिनिस्ट्र के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है ये सिर्फ विधान सभा का अपमान नहीं है ये लोकसभा का भी अपमान है ये वाला जो नोटिफिकेशन दिया है तो आ कल से दो दिन की चर्चा के बाद ये सदन अपना दायित्व समझ रहा है इस नोटिफिकेशन को, नोटिफिकेशन के माध्यम से, दिल्ली की विधान सभा का, देश की संसद का अपमान होने से हम बचाएंगे ये जिम्मेदारी हम सब लोगों पर है और कल से बहुत जिम्मेदारी से बहुत लोगों ने अलग-अलग तथ्य रखके अपनी बात कही भी है तो मैं चाहता हूं मैं निवेदन करूंगा इस सदन से की कल मेरे चर्चा प्रस्ताव के बाद सोमनाथ भाई ने एक बात कही थी जो resolution सदन के सामने रखा और उसके बाद कुछ अन्य साथियों ने उसमें कुछ संशोधन रखे उन संशोधन के साथ सोमनाथ भाई के प्रस्ताव को पारित किया जाए और ये याद रखकर किये जाये। देखिये लड़ाई सच्चाई की है हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं हममे से लगभग सारे लोग उस स्थिति में हैं हमें अपने लिए पद, प्रतिष्ठा, पैसा नहीं चाहिए हम ये लड़ाई सच्चाई की लड़ रहे हैं और सच्चाई की लड़ाई के लिए कुदरत का कानून काम करता है हमने विधान सभा चुनावों में भी देखा, हमने उस समय भी देखा जब विधान सभा चुनावों से पहले जो परिस्थितियां पैदा की गई हमने उससे पहले भी देखा जब 28 विधायक इधर और कुछ विधायक उधर थे किस तरह से जब हमने सरकार छोड़ दी थी तो कैसे zig jack cross-cross करने की कोशिश की जा रही थीं ये सब हमने देखा लेकिन लड़ाई सच्चाई की थी जीत सच्चाई की हुई तो वसिम बरेनवी साहब ने उस सच्चाई की लड़ाई पर एक शेर कहा है मैं उन लाईनों को पढ़ते हुए अपनी बात खत्म करूंगा किः

खुली छतों के दीये कब के बुझ गये होते,

कोई तो है जो हवाओं के भी पंख कतर देता है।

जमीन की वकालत फिर नहीं चलती वहां,

जब आंसमां से कोई फैसला उतरता है।

तो ये हम नहीं लड़ रहे है। कुदरत कुछ करा रही है। दिल्ली के लोगों से कुछ करा रही है हमको यहां बैठाकर कुछ कराना चाह रही है। हम सब इस बात को ध्यान रखते हुए अब फैसला लें क्योंकि काफी समय हुआ है। हम मुख्यमंत्री जी को भी सुनेंगे लेकिन जो भी फैसला ले दिल्ली के हित में दिल्ली की विधान सभा के हित में लें और इस सदन में जो प्रस्ताव पेश हुआ है उस पर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री अरविन्द केजरीवाल (माननीय मुख्यमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, जब से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और जब से इतना प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी की सरकार को मिला है। एक बहुत बड़ा षडयंत्र रचा जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को ठप्प करने के लिए, उसे फेल करने के लिए। इस सरकार को अस्थिर करने के लिए और दिल्ली की पूरी व्यवस्था को ठप्प करने के लिए ये नोटिफिकेशन उसी एक बहुत बड़े षडयंत्र का हिस्सा है। 10 फरवरी को चुनाव के नतीजे आये। 14 फरवरी को हम लोगों ने शपथ लेकर

सरकार बनाई। तब से लेकर लगातार लगभग रोज कुछ न कुछ, कुछ न कुछ उड़चने जान बूझकर केन्द्र सरकार द्वारा उपराज्यपाल को और दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए कुछ अड़चने अड़ाने की कोशिश की जा रही है।

मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे ही हमने सरकार बनाई। कुछ दिनों के अंदर, हफ्ते दस दिन के अंदर हमने सुना कि दिल्ली के अंदर किसी महिला का बलात्कार हो गया। कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए आये। उन्होंने कहा कि पुलिस तो जांच कर रही है। हमें भरोसा नहीं है। आप भी इसमें एक इन्कवारी करवा दीजिए। मैंने फाइल पर एसडीएम से इन्क्वारी कराने के लिए लिख दिया। फाइल एलजी साहब के पास भेजी। एलजी साहब ने फाइल पर लिख दिया, इन्क्वारी करवाने की जरूरत नहीं है। एक मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री होते हुए मैं एक इन्क्वारी नहीं करा सकता। दिल्ली के अंदर बलात्कार हो गया। वहां के लोग मुझसे मिलने के लिए आये। मैं एक मुख्यमंत्री हो कर एक इन्क्वारी नहीं करवा सकता। मैं चुप रहा।

संविधान में लिखा है कि अगर उपराज्यपाल को किसी भी बात पर अगर हमारे साथ डिफरेन्स आफ ओपीनियन होता है, तो उनको वह मुद्दा राष्ट्रपति जी को भेजना पड़ेगा। उनके पास अपने कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। लेकिन एलजी साहब ने ये मुद्दा राष्ट्रपति जी के पास नहीं भेजा। हम चुप रहे। 28 फरवरी को दिल्ली को दिल्ली के तत्कालीन चीफ सैक्रेटरी सपोलिया जी रिटायर हुए। नये चीफ सैक्रेटरी को ज्वाइन करने में अभी थोड़ा समय था। हफ्ते दस दिन का टाइम था। हम लोगों ने तत्कालीन फाइनेन्स सैक्रेटरी को 10 दिन के लिए, हफ्ता या दस दिन मुझे एग्जेक्टली याद नहीं है, तात्कालीन फाइनेन्स स्क्रेटरी को हम

लोगों ने एडीशनल कार्य भार दे दिया। तो उपराज्यपाल महोदय ने फाइनेन्स सैक्रेटरी और सर्विसेज सैक्रेटरी को दोनों को शो काज नोटिस जारी कर दिए। और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा। सर्विसेज सैक्रेटरी से ये एक्सप्लेनेशन मांगकि आपने इनको एडीशनल कार्यभार देने का आर्डर जारी क्यों किया? मुझसे पूछे बिना। और फाइनेन्स सैक्रेटरी से जवाब मांगा कि आपने मुझसे से पूछे बिना एडीशनल चार्ज चीफ सैक्रेटरी का कैसे ले लिया? दोनों से जवाब मांगा उन्होंने। और हमारे थ्रु नहीं मांगा। मुख्यमंत्री को भी नहीं बताया, काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स को भी नहीं बताया। सीधे शो काज नोटिस अफसरों को जारी कर दिया। हम चुप रहे। अगर उनको डिफरेन्स आफ ओपीनियन था तो उन्हें राष्ट्रपति जी को लिखना चाहिए था, संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जी को वे लिखेंगे। हम चुप रहे।

अभी हमारे चीफ सैक्रेटरी साहब 10 दिन की छुट्टी लेकर गये और ये पूरा विवाद हुआ कि किसे चीफ सैक्रेटरी बनाया जाये। उसके ऊपर भी दोनों का डिफरेन्स आफ ओपीनियन था। उपराज्यपाल महोदय ने गलत बोला मीडिया के अंदर कि 40 घंटे तक फाइल हमारे पास रही थी। उन्होंने ये नहीं बताया कि लगातार हम लोग 24 घंटे तक उनके साथ सम्पर्क कर रहे थे। उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम एक्स वाई जेड को क्यों चाहते हैं और ए. बी.सी. को क्यों नहीं चाहते। उन्हें लगातार बताने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अगले हमें जानकर आश्चर्य हुआ। शाक्ड रह गया मैं कि जब उपराज्यपाल महोदय ने सैक्रेटरी सर्विसेज को डायरेक्ट आर्डर दे दिया कि एक्स वाइ जेड को दिल्ली का एडीशन कार्यभार दे दीजिए। चीफ मिनिस्टर को नहीं बताया, काउन्सिल आफ मिनिस्टर को नहीं बताया। सब लोगों को अलग कर दिया। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे राष्ट्रपति शासन चल रहा है और हद तो तब हो गई जब एक हफ्ते के बाद मेरे पास तीन चिट्ठियां एक साथ आई उपराज्यपाल महोदय

की, जिसमें उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार के द्वारा पास किए गए तीन आर्डर को उन्होंने रद्द कर दिया। हमने दो सेक्रेटरीज का एप्वाइंटमैन्ट किया था। उन्होंने कहा कि This order is null and void ab intio. मनीष सिसोदिया ने अपने विभाग के अंदर एक स्टैण्डिंग आर्डर पास किया था कि किस तरह से, हम ये चाहते हैं कि सारे काम, सारी फाइलें मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सारी फाइलें मंत्री तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कुछ काम नीचे हो जाने चाहिए। हम डेलीगेशन कर रहे थे पावर का। तो मनीष सिसोदिया ने एक आर्डर पास किया था कि ये वाला काम सैक्रेटरी लेवल तक हो जाना चाहिए। ये वाला काम चीफ सैक्रेटरी तक हो जाना चाहिए। उन्होंने उस आर्डर को रद्द कर दिया कि ये आर्डर null and void abentio. मैंने एक आर्डर सारे दिल्ली के सैक्रेटरीज को, प्रिन्सीपल सैक्रेटरीज और हेड आफ दि डिपार्टमैंट को भेजा था । उपराज्यपाल महोदय ने उसे भी null and void कर दिया है ab intio. मुझे एक बार तो लगा कि इतना कंट्रोल तो मेरे हेड मास्टर ने भी नहीं किया था। जब मैं स्कूल में पड़ा करता था। इतनी दखलअन्दाजी में जिन्दगी में किसी ने नहीं की थी जितनी उपराज्यपाल महोदय कर रहे हैं। और ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे है। मैं ये सोच रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की किरण वेदी जी मुख्यमंत्री होती, तो क्या वे इसी तरह से दखलअन्दाजी करते? एक दखलअन्दाजी करने की हिम्मत करते अगर वे, तो अगले दिन उन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल पद से हटा दिया जाता। मैं ये सोच रहा था कि ये मुद्दा, कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने का कि ये कंस्टीट्यूशनल मुद्दा है। ये कंस्टीट्यूशनल मुद्दा नहीं है। ये राजनैतिक मुद्दा है। पालिटिकल रीजन्स की वजह से ये सारे ऑर्डर्स किए जा रहे हैं। क्या कारण है कि देश के अंदर इतने राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल नहीं बदले गये। क्या कारण है कि उन राज्यपालों को बदला गया दूसरे राज्यों के?

क्योंकि केन्द्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार ये चाहती है कि हम ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल बनाये कि चुन-चुन कर, चुन चुन कर हमारे जो विरोधी पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिन्दगी हराम कर दी जाये। दिल्ली के अंदर उनको बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मुझे बताया, कहा जाता है कि जिस दिन फ्रंट पेज पर खबर छपती है केजरीवाल के खिलाफ उपराज्यपाल ने ये किया। उतनी उपराज्यपाल की कुर्सी और पक्की हो जाती है। उपराज्यपाल के जरिये दिल्ली की सरकार को ठप्प करने की कोशिश की जा रही है। हमें फेल करने की कोशिश की जा रही है।

अभी पिछले 10-15 दिन से एक और षडयंत्र चलाया जा रहा है। एक एक करके कई विधायक यहां पर मेरे पास आये हैं। एक एक करके, एक एक करके झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं दिल्ली के अंदर। गलत तो नहीं कह रहा हूं? एक एक करके झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं दिल्ली के अंदर। बड़े क्रूर तरीके से दिल्ली के अंदर एक कानून है संसद ने पास किया है, पार्लियामैंट ने कानून पास किया है special provisions act. जो ये कहता है कि झुग्गियों को नहीं तोड़ा जायेगा जब तक कि उनको बसाया न जाये। जब हम पूछते हैं डीडीए से कि ये झुग्गी क्यों तोड़ रहे हो? तो कहते हैं कि एलजी साहब के आर्डर हैं। एलजी साहब झुग्गियां तुड़वा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी झुग्गियां तुड़वा रही है, हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अरे, हार गये अब दिल्ली की जनता से बदला तो मत लो कम से कम। इस किस्म की राजनीति, इतनी नीच राजनीति तो मत करो कम से कम।

अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग पर कब्जा करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि चपरासी

से लेकर चीफ सैक्रेटरी तक की ट्रांसफर पोस्टिंग हम करेंगे। थोड़े दिन बाद कहेंगे कि बस एक चीफ मिनिस्टर रह गया, इसकी पोस्टिंग भी हम ही करेंगे। चपरासी से लेकर चीफ सैक्रेटरी तक की पोस्टिंग हम करेंगे। ये कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ये लोग। पहला कारण है कि जैसे एलजी साहब केन्द्र के इशारों पर नाच रहे हैं। एलजी साहब केन्द्र के इशारों पर क्यों नाच रहे है? जिस दिन एलजी साहब ने कुछ भी ऐसा कर दिया जो केन्द्र को पसंद नहीं आया। 24 घंटे के अंदर उनको हटा दिया जायेगा। मान लीजिए ऐसी व्यवस्था होती है हमारे संविधान के अंदर कि एलजी को केन्द्र नहीं हटा सकता। तब एलजी साहब केन्द्र की बात नहीं मानते। तब वे थोड़ा बहुत independent view भी ले सकते थे। तो एलजी साहब तो पूरी तरह से उनके इशारों पर नाच रहे हैं। अब वे कह रहे हैं कि नीचे के अफसरों को भी हम ऐसे फिट करेंगे कि वे भी उनके इशारों पर नाचेंगे। पावर सैक्रेटरी ऐसा लगायेंगे जो बिजली की व्यवस्था को ठप्प करदे ताकि आम आदमी पार्टी की सरकार बदनाम हो। पानी विभाग में ऐसा अफ सर नियुक्त करेंगे जो उनके इशारों पर नाचेगा जो पानी की व्यवस्था को ठप्प कर दे। ताकि आम आदमी पार्टी की सरकार बदनाम हो। ट्रांसपोर्ट के अंदर हम ऐसा आदमी लगायेंगे जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम कर सके। जैसे एलजी साहब उनके इशारों पर नाच रहे हैं। ऐसे ही वह सारे अफसरों को ऐसा लगाना चाहते हैं कि दिल्ली की व्यवस्था को वे ठप्प करना चाहते हैं। एक कारण ये है।

दूसरा कारण, मुझे कई सचिवों ने बताया, कई लोगों ने बताया, कई अफसरों ने बताया कि पहले ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली में बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी। मनीष बताते हैं कि कई सिफारिशें आती थी। जैसे इन्होंने महरौली का, साकेत का उदाहरण दिया कि एसडीएम की पोस्टिंग करनी थी। सभी की सिफारिश आ

रही थी कि महरौली का एसडीएम बना दो या साकेत का एसडीएम बना दो। महरौली का एसडीएम बना दो। महरौली और साकेत में क्या है जी? तो पता चला कि वहां पर खूब पैसा बनता है। तो मनीष ने वहां पर छांट-छांट कर ऐसे लोगों को लगाया, जो ईमानदार लोग थे। सारे एसएडीएम को बुलाकर पूछा कि तुमसे किसी ने पैसा तो नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं जी। पहले खूब पैसा देना पड़ता था। इस बार एक पैसा नहीं लिया। मनीष ने उनको कहा कि तुमसे हमने पैसा नहीं लिया अब तुम भी आगे पैसा मत लेना। उस ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री को हम लोगों ने बंद किया। जितने भ्रष्टाचारी लोग पैसे देकर बना करते थे। वे सारे दौड़े दौड़े पहुंचे होम मिनिस्ट्री। वे सारे दौड़े दौड़े पहुंचे पीएमओ। और पीएमओ और होम मिनिस्ट्री ने दखलअंदाजी करते हुए कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग तो हम ही किया करेंगे। मैं एलजी साहब से इतनी बार मिलता हूं। एलजी साहब ने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि अरविन्द दिल्ली में बिजली का क्या हाल है। सभी को बिजली मिल रही है, सभी को रोटी मिल रही है, सब को पानी मिल रहा है। सब सड़कें ठीक ठाक हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ा इन्ट्रेस्ट है। कुछ तो गड़बड़ है सर। ट्रांसफर पोस्टिंग सारे चाहते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं। और तीसरा कारण क्या हो सकता है। तीसरा कारण है कि हमारे आने से पहले ये बीजेपी और कांग्रेस की बीस साल से सरकार चल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है। अपोजिशन का तो नाटक किया करते थे। चाहे बीजेपी की सरकार हो, ठेके कांग्रेस वालों को भी मिलते थे। कांग्रेस की सरकार हो, ठेके बीजेपी वालों को भी मिलते थे। चाचा-भतीजा थे दोनों, दोनों कजिन्स थे। आम आदमी की सरकार आने के बाद इनके सारे दलालों को और ठेकेदारों को ठेके मिलने बंद हो गये हैं। अब ये अपने अफसरों को लगाकर,

चुने हुए अफसरों को लगाकर उनसे ठेके अपने लोगों को दिलवाना चाहते हैं। ये तीन कारण हैं जिसकी वजह से ट्रांसफर पोस्टिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन थ्योरी के लिए मान लिया जाये, चलो इनकी कोई गलत मंशा नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। मैंने वायदे किये थे, हमारी पार्टी ने वायदे किये थे। आप सब लोगों ने जनता से वायदे किये थे। आज अगर आपके इलाके के अंदर पानी नहीं आ रहा है तो एलजी साहब जाकर पानी दिलवायेंगे क्या? अगर हम वहां पर जल बोर्ड के अफसर को ट्रांसफर नहीं कर सकते तो कैसे पानी दिलवायेंगे? अगर हमारे इलाके के अंदर बिजली नहीं आ रही है तो एलजी साहब जाकर बिजली दिलवायेंगे क्या? प्रधानमंत्री जी आकर बिजली दिलवायेंगे क्या? राजनाथ सिंह जी आकर बिजली दिलवायेंगे क्या? कौन दिलवायेगा बिजली? बिजली तो हमें दिलवानी है। अफसर हमारी क्यों सुनेंगे? सुनना बंद कर देंगे। और आज आप लोगों ने कइयों ने बताया, मैं सारी स्पीच सुन रहा था। कइयों ने बताया कि व्यवस्था पिछले चार दिन से धीरे धीरे चरमराती जा रही है। अफसरों ने सुनना बंद कर दिया है। अगर आपको यही करना था। तो चुनाव क्यों कराया आपने? क्या जरूरत थी चुनाव कराने की? राष्ट्रपति शासन तो लगा ही हुआ था। दिल्ली तो आप चला ही रहे थे। क्या जरूरत थी, नाटक करने की मुख्यमंत्री बनाने की, ये सब करने की क्या जरूरत थी? लोगों ने हमको वोट दिया है। लोगों ने आप लोगों को वोट दिया है। हमने वायदे किए थे। जनता हमसे उम्मीद करती है। एलजी साहब से उम्मीद नहीं। सोमवार को, एक चमत्कार हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज ने ऐन मौके पर ऐन टाईम पे एक ऐसा जजमेंट दे दिया जिससे इनके सारे नापाक मनसूबों पर पानी पड़ गया। एक ऐसा जजमेंट आया कि जिसमें कहा कि एंटी करप्शन ब्रांच पर पूरा अधिकार दिल्ली सरकार का है। और इनका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन

गलत है। यह दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट क्या था? एक पुलिस वाला कांस्टेबल. . हैड कांस्टेबल जो भी था, एक पुलिस वाला रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भई ठीक पकड़ा एंटी करप्शन ब्रांच ने और इसको सजा मिलनी चाहिए और उसकी बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट कर दी। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने वाला है। अभी-अभी जो मैं बाहर बैठा था टी.वी. पर देख रहा था, खबर चल रही थी। होम मिनिस्ट्री जो है उसकी बेल लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। एक पुलिस वाला रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों पकड़ा गया, उसको बेल दिलवाने के लिए हमारे देश के और मेरे को पता चला कल रात को मीटिंग हुई होम मिनिस्ट्री में। मेरे को पता चला पता नहीं कितना सच कितना झूठ है फैली हुई है दो केबिनेट मिनिस्टर मौजूद थे, सैक्रेटरी मौजूद थे। सारी होम मिनिस्ट्री, सारी केन्द्र सरकार लगी हुई है इसको बेल दिलवाओं- इसको बेल दिलवाओ। तो देश के सारे भ्रष्टाचारियों को मैसेज है चिन्ता मत करो, हम हैं, बचा लेगें तुमको। केन्द्र सरकार बचा लेगी तुम्हें। पूरी होम मिलिस्ट्री लगी हुई है उसको बचाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगें उसका बचाने के लिए उसको बेल न मिले उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। मैं तो यह कहना चाहता हूं अभी भी थोड़ी गैरत बची है, तो केन्द्र सरकार को और एल.जी. साहब को इस किस्म का षडयंत्र करना बन्द करना चाहिए। बहुत थू-थू हो चुकी है इन लोगों की जनता में। सारी दिल्ली की जनता क्या अब तो देश की जनता कह रही है कि चुनी हुई सरकार को ये काम नहीं करने दे रहे हैं। अब इनको बन्द कर देना चाहिए अपना ये षडयंत्र अब इन लोगों को बन्द कर देना चाहिए। ये तो नोटिफिकेशन आया है, संविधान कहता है हमें पता है जी, जब हमने चुनाव लड़े थे, हमें पता था तीन मुद्दों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पुलिस, पब्लिक आर्डर

और लैंड। इन तीन मुद्दों पर.. बाकियों पर तो है। अब ये संविधान को संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं सर्विस के ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं है। संविधान को संशोधन करने की किस की पावर है। पार्लियामेंट की पावर है। पार्लियामेंट में गए बिना ये संविधान को संशोधन कर रहे हैं तो इसका मतलब पार्लियामेंट का भी हनन कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे से गुजारिश है कि इस प्रस्ताव की कापी सारे MPs को भेजी जाऐ। लोकसभा के और राज्यसभा के MPs को भेजी जाए और उनको कहा जाए कि सारी पार्टियों के सारे MPs जोर से इस बात को उठांए, कि इस किस्म से पार्लियामेंट के अधिकारों का हनन और उनके पावर का हनन नहीं किया जाएगा। ये गलत है। ये हम नहीं कर रहे हैं। गोपाल सुब्रमण्यम जो देश के फार्मर सोलीशीटर जनरल है, विवेक तनखाह साहब जो देश के अडिशनल सोलीशीटर जनरल हैं, इंदिरा जयसिंह, इतनी बड़ी वकील है, सीनियर एडवोकेट है। डा. राजीव धवन इतने बड़े वकील हैं। के.के. वेणूगोपाल साहब इतने बड़े वकील हैं, भट्टाचार्य साहब जो देश के अडिशनल सोलीशीटर। ये सारे इतने सारे इतने बड़े-बड़े लोग टी.वी. में देखा होगा के.टी.एस. तुलसी साहब बोल रहे हैं, रामजेठमलानी साहब बोल रहे हैं। सारे लोग बोल रहे हैं कि unconstitutional, unconstitutional है, unconstitutional है संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। तो इस विधान सभा के भी अधिकारों को भी छीनने की कोशिश की जा रही है। तो आज इस विधान सभा को तय करना पड़ेगा कि क्या वो अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है कि नहीं है। दिल्ली की जनता, जो नोटिफिकेशन

आया है, उससे हमें उतनी तकलीफ नहीं है, जितनी दिल्ली की जनता को तकलीफ हो रही है। दिल्ली की जनता यही कह रही है, हम तो जो कर सकते थे कर दिया, इतना भारी बहुमत देकर भेज दिया। लेकिन इन लोगों ने, केन्द्र सरकार ने बहुत ही नीच हरकत की है। कह रहे हैं कि कोर्ट चल जाओ। मैं ये सोच रहा था कि मान लो कल को होम मिनिस्ट्री एक नोटिफिकेशन पास करें। in exercise of the powers granted under article 239 and 239AA of the constitution, the Home Minister hereby directs the Chief Ministery of Delhi to wear a white shirt on every Sunday. मान लीजिए, वह कर देते हैं ऐसे कि भई हम in exercise of the powers granted under article 239 and 239AA of the constitution हम कहते हैं भई, मुख्यमंत्री हर संडे को white shirt पहना करेगा। तो मैं क्या करूंगा? क्या मान लूंगा? वे कहेंगे कि मान लो नहीं तो कोर्ट जाओ। जब तक कोर्ट नहीं जाते, हर संडे को white shirt पहना करो। हम तो नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे? उनको इग्नोर कर देंगे। हम लड़ाई नहीं चाहते। हम सहयोग से काम करना चाहते हैं। हम ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं। यहां पर एक भी एमएलए के खिलाफ अभी तक इतने. .49 दिन की जो सरकार रही, और उसके बाद दस महीने तक हम लोग एमएलए रहे यहां पर। आप में से बहुत सारे लोग एमएलए रहे। और अभी भी अपनी तीन महीने की सरकार हो गई। मुझे गर्व है अपने एक एक एमएलए के ऊपर, एक भी किसी के ऊपर दाग नहीं लगा है अभी तक। एक भी दाग नहीं लगा है। और कई एमएलए ऐसे हैं, जो बहुत ही गरीब बैक ग्राउंड से जाते हैं। जिस दिन तनख्वाह मिलती है। वो सारी तनख्वाह दफ्तर में खर्च हो जाती है। Hand to mouth जी रहे हैं। लेकिन देश के लिए लगे हुए हैं। सेवा में लगे हुए हैं सब लोग। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अपने स्वार्स्थ के लिए नहीं कर

रहे हैं। अपनी ego के लिए। जनता के लिए कर रहे हैं। तो हम कोआपरेशन चाहते हैं। हम दिल्ली बदलना चाहते हैं। एक सपना लेकर आये हैं। व्यवस्था बदलना चाहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेकर आये हैं हम लोग। मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिला था, तुरन्त चुनाव के नतीजों के बाद, मैंने उनसे भी कहा था। मैंने कहा, हम आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं कर पायेंगे। आपका सहयोग चाहिए हम लोगों को केन्द्र सरकार का सहयोग चाहिए, केन्द्र सरकार से पैसा चाहिए। केन्द्र सरकार से तरह तरह के हमें काम पड़ेंगे। हम सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस किस्म की हरकत करेंगे। अगर हमारे जनता के हकों के ऊपर अगर इस तरह के वार किया जायेगा। तो फिर हम लोग उसको काउंटर करने की शक्ति रखते हैं। उसकी कैपेसिटी हम लोगों की है। अध्यक्ष महोदय, तीन महीने के अंदर हम लोगों ने खूब काम किए और सारी दिल्ली की जनता कह रही है कि खूब काम किया लेकिन ये काम केवल हम लोगों की वजह से नहीं हुए। मुझे कहने में बहुत गर्व है कि जो अफसरों की टीम हमारे पास है। बहुत ही शानदार टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है और उन्हीं की वजह से जो कुछ हम लोगों ने किया, वह हम कर पाये। और आज इस सदन के माध्यम से और अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं दिल्ली सारे कर्मचारियों और सारे अफसरों को यह आश्वासन देना चहता हूं, एशोरेंस देना चाहता हूं कि आप निड़रता के साथ काम कीजिए हमारे साथ मिलके। दिल्ली सरकार आदेश देगी उन आदेशों को आप निडरता के साथ पालन कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, ये सदन आपके साथ खड़ा है। मजाल जो केन्द्र सरकार की हिम्मत अगर वो आपकी तरफ आंख उठाकर देख सके। मजाल जो किसी की हिम्मत जो आपको विक्टिमाईज कर सके। आप चिन्ता मत कीजिए। आज

अखबार में लिखा था कि तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम देगें आपको तनख्वाह, ये सदन देगा आपको तनख्वाह। केन्द्र सरकार कौन होती है हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह देने वाली। केन्द्र सरकार कौन होती है हमारे कर्मचारियों को भड़काने वाली। हमारे कर्मचारियों को धमकाने वाली। हम देगें, हम बचाएगें, हम क्षमता रखते हैं। ये सदन क्षमत रखता है, अपने कर्मचारियों को बचाने की। तो अंत में अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सोमनाथ भारती जी ने रखा और एमेंडमैंडस उसमें किये गए मैं उनका पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी। अब यह यथा संशोधित संकल्प जो सोमनाथ भारती जी ने सदन के सामने रखा था। मैं सदस्यों के सामने रखता हूं।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें।

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

संकल्प पास हुआ।

एक विषय मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। उसके लिए मैं सदन की इजाजत चाहता हूं। सदन के परिसर में मैं जब राउंड ले रहा था। 1985 से स्टेट बैंक आफ इंडिया माननीय मुख्य मंत्री जी यहां चालू है। लगभग पांच हजार स्केयर फुट जगह उनके पास है। मैंन जब सैक्रेटरी, पुराने अधिकारियों से पूछा मैंने में बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से भी बात की। आज तक 1985 से आज तक सदन के परिसर में चलने वाले बैंक द्वारा कोई किराया लिया जा रहा है। कोई इलैक्ट्रिसिटी बिल नहीं लिया जा रहा है। कोई पानी का बिल नहीं लिया जा रहा हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने प्रबंधक महोदय, से पूछा क्या बैंक

लॉस में चल रहा है? उन्होंने उत्तर दिया कि कनाट प्लेस की किसी भी ब्रांच से स्टेट बैंक आफ इंडिया की हमारा ये बैंक ज्यादा इन्कम ले रहा है। मैंने सैक्रेटरी साहब को उसी वक्त कहा कि स्टेट बैंक को चिट्ठी लिखें कि हमें पिछला किराया दिया जाए, और आगे से हमारे परिसर में बैंक चलाना है तो उसका एग्रीमेंट करें किराया का। मैं नहीं जानता किन कारणों से किन परिस्थितियों में दिया गया। लेकिन मेरे पास कोई एग्रीमेंट नहीं मिला। सदन का परिसर है। और अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है कि सदन के परिसर में किसी ढंग का इस ढंग का नुकसान दायक कोई कदम है, उसको मैं आपके सामने रखूं और में आप सब लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं कि जैसा चाहता हूं कि जो स्टेप मैंने लिया है कि बैंक किराया दे। क्या आप सहमति प्रकट करें, या असहमति प्रकट करें। तो मैं मानूं मैं इस कदम पर आगे बढ़ूं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कपिल मिश्रा : ये प्रस्ताव जो विधान सभा ने पारित किया है, कृपया करके इसे सीधे राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाए। ये आपसे अनुमति चाहता हूं। ये कहना चाहता हूं आपसे विनती है ये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है सभी सांसदों को भेजा जाए और लीगल वे में मैं उप-राज्यपाल के पास भी भेजूगां। और गृह मंत्री को भी भेजूगां और राष्ट्रपति महोदय को भी भेजूगां। आप सब का बहुत-बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं। दो दिन की इस चर्चा में गंभीरता रही। कुछ विषयों को छोड़कर। और कई जगह मुझे थोड़ा सा ऊंचा भी बोलना पड़ा। ओम प्रकाश शर्मा के साथ उनके व्यवहार के कारण मुझे सख्त स्टैप उठाना पड़ा। मुझे उसका खेद भी है। लेकिन सदन को चलाना सदन की गरिमा को बनाए रखना इस

कुर्सी का दायित्व भी है। मैंने उसका प्रयास किया। मीडिया के बन्धुओं का भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पूरी संख्या में आप लोगों ने कवरेज दी है। पुनः एक बार सभी का आभार। धन्यवाद। और सदन का यह सत्र अनिश्चित काल तक के लिए adjourn किया जाता है।

(राष्ट्रीय गान-जन-गण-मन)

अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुई।